खण्ड-143, अंक-4
गुरूवार, 22 आश्विन, शक संवत् 1876
(14 अक्टूबर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 143 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १४ अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५८)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुगुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुरसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री

रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवीमहनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर जिले में वन विभाग की सड़कें

*२—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में वन विभाग की कौन-कौन सी कुल कितनी मील लम्बाई की सड़क है और उनकी मरम्मत में कुल औसतन कितना रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—मिर्जापुर जिले में वन विभाग की कुल ३१ सड़कें हैं। इनका विवरण सूची सं० १ में है, जो मेज पर रखी है। ५,००० रू० औसतन प्रतिवर्ष इन सड़कों की मरम्मत पर खर्च होता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९५ पर)

*३—श्री व्रजभूषण मिश्र—इस वर्ष किन-किन सड़कों की मरम्मत हुयी और किन-किन की नहीं और क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस वर्ष जिन सड़कों की मरम्मत हुयी, उनके नाम सूची सं० २ में तथा जिनकी मरम्मत नहीं हुयी, उनके नाम सूची सं० ३ में दिये गये हैं। ये सूचियां मेज पर रखी हैं। कुछ सड़कों की मरम्मत न करने का कारण धनाभाव और वन विभाग के कार्य के लिये उपयोगी नहीं होना था।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९६-२९७ पर)

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह जो सूची दी गयी है यह केवल गवर्नमेंट स्टेट दुद्धी की सूची है और जमींदारी उन्मूलन के बाद जो क्षेत्र सरकार के कब्जे में आये उनकी सूची नहीं दी गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हां, पहले से जो रिजर्व फारेस्ट हैं उन्हीं की सूची यह है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—तो क्या सरकार इन क्षेत्रों की सूची जल्द तैयार करके उनकी सड़कों की मरम्मत का भी प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो विचाराधीन है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन सब पर विचार होगा ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या यह सही है कि मिर्जापुर में जो सड़कों की फेहरिश्त मरम्मत के वास्ते दी गयी है वह सिर्फ मोटर कार की सड़कों के बारे में है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नहीं हमारे यहां तो सब मिलाजुला रहता है ।

*४-५-श्री जोरावर वर्मा--[स्थगित किये गये ।]

भूतपूर्व रामपुर टेहरी तथा बनारस राज्यों के कर्मचारियों की सीनियारटी का प्रश्न

*६-श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व रामपुर, टेहरी तथा बनारस राज्यों के कुछ कर्मचारी इस राज्य में गजेटेड पदों पर काम कर रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)--जी हां ।

*७-श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य में इन गजेटेड कर्मचारियों की seniority of service किस आधार पर निश्चित की गयी है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--सीनियारिटी के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय इन भूतपूर्व रियासतों के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी तरक्की और तनख्वाह की कंडीशन वगैरह जो हैं वह किस आधार पर बिना सीनियारिटी तय किये हुये चल रही हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--वह तो जिस सर्विस में रखे गये हैं, उसके स्केल के मुताबिक उनको तनख्वाह मिलती है और उसकी कंडीशन से वह गवर्न होते हैं ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिला सीनियारिटी तय किये हुए इनका प्रोमोशन किस तरह हो रहा है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जो प्रोमोशन का सवाल होता है वह तो एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जाने पर हो सकता है । उसके लिये जो भी आदमी होते हैं उन सबकी मेरिट्स पर विचार किया जाता है । असल में सीनियारिटी का मामला बड़ा पेचीदा है । अगर मैं सब पढ़कर सुना दूं जो कि उसके उसूल कायम हुये हैं, तब भी शायद भगवान सहाय जी को दिक्कत होगी उसके माने समझने में । इस तरह की उलझी हुयी चीज है । मगर मोटे तौर से यह तय किया गया है कि जो गजटेड आफिसर्स हैं वे जिस तनख्वाह पर यहां रिक्रूट हुए हैं उससे पीछे ले जाकर के जब से उनकी सर्विस शुरू होती है तब से उनकी सीनियारिटी कायम की जाय सिवाय ऐसी हालत के जबकि इस तरह से पीछे ले जाने से ऐसा वक्त आ जाय कि जबकि उनकी उम्र उससे भी कम हो जाय जबकि वह भर्ती हो सकते हैं । ऐसी हालत में उसी जगह पर उसे रोका जाय । अगर उसे मैं एक्सप्लेन भी करूं तो काफी झंझट की चीज है । मगर उनकी दिलचस्पी हो तो वह देख सकते हैं ।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन रियासतों को विलीन हुए ५,६ वर्ष हो गये और अभी तक यह मामला विचाराधीन है, तो कितना समय और लग जायगा ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—उसका उसूल तो तय हो गया है। उसके लागू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

*८-९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किए गए।]

फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यवसाय

*१०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री को विदित है कि फिरोजाबाद में चूड़ी के व्यवसाय में बीस पच्चीस हजार कारीगर चूड़ी का काम करते हैं?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी)—जी हां।

*११—देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या उद्याग मंत्री को मालूम है कि यहां गैस का कोई प्लान न होने के कारण कारोगर चूड़ियों की जुड़ाई मुंह से फूंक कर करत हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है? यदि हां, तो क्या उद्योग मंत्री इस बड़े उद्योग के लिये फिरोजाबाद में एक गैस प्लान्ट लगाने का विचार कर रहे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—कारोगर चूड़ियों की जुड़ाई मुंह से फूंक कर नहीं करते हैं। हवा पंखे के द्वारा फेंकी जाती है।

फिरोजाबाद में गैस प्लान्ट लगाने का कोई विचार इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यवसाय करने वाले इन कारीगरों की सहायता के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—उस उद्योग का विकास कराने का प्रयत्न कर रही है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस व्यवसाय के स्टैन्डर्ड को ऊंचा रखने के लिये क्या वे कोई अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह—ऐसी जरूरत अभी महसूस नहीं हुयी है।

श्री गैंदासिंह (जिला देवरिया)—चूड़ियों के व्यापार को बढ़ाने के लिये क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कोई विचार कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह—मैं अपने माननीय मित्र की सहायता चाहता हूं कि वे प्रचार करें ताकि लोग काफी चूड़ियां पहनें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस स्थान पर लाल चूड़ियां ज्यादा ईजाद की जा रही हैं?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे नहीं रहता है।

कुमायूं के जंगलों से वार्षिक आय

*१२—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं के जंगलों से ५०-५१ से ५३-५४ तक प्रतिवर्ष कितने रुपये की नकद आय (नेट इनकम) राज्य सरकार को हुयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--निम्नलिखित आय हुयी :--

	रु०	आ०	पा०
१९५०-५१	६२,१०,७३१	११	८
१९५१-५२	७७,३६,०५५	४	४
१९५२-५३	६८,७५,८०७	१५	३
१९५३-५४	८६,१९,१९३	११	९

*१३--श्री गोवर्धन तिवारी--उक्त धनराशि में से कितनी आय जिला अल्मोड़ा के जंगलों से हुयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--	रु०	आ०	पा०
१९५०-५१	६२,८१५	१४	८
१९५१-५२	११,२४,७९३	३	७
१९५२-५३	८,५४,०३२	१५	३
१९५३-५४	१३,०५,९०५	३	९

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतानें की कृपा करेंगे कि आमदनी के जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं वे वन की टोटल इनकम है या नेट ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह नेट इनकम है ।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा नियुक्त लोकल बोर्डस जांच नियम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि कुमायूं के वनों की बचत से जो आमदनी सरकार को होती है उसका १/४ भाग कुमायूं के बोर्डों को दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसका कोई सीधा सम्बन्ध फारेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं है, बल्कि रेवेन्यू स्वायत्त शासन विभाग से हो सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जंगलात की इस आमदनी में से सरकार १/४ हिस्सा कुमायूं के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देने पर विचार कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जैसा मैंने पहले कहा, जो वनों से इनकम होती है वह सरकार की रेवेन्यू में चली जाती है, तो जंगलात से देने या न देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्रौस इनकम में से प्रोड्यूस और माइनर प्रोड्यूस से अलग-अलग कितनी इनकम होती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसमें टोटल इनकम दी हुयी है, अलग-अलग नहीं दी हुयी है ।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या इन जंगलों की आमदनी में पंचायती जंगलों की आमदनी भी शामिल है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसमें शामिल नहीं है ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जिला गढ़वाल के लैन्सडाउन और कालागढ़ डिवीजन की आय इसमें शामिल नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, सारे गढ़वाल की लैन्सडौन और कालागढ़ डिवीजन की आय भी शामिल है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इन जंगलों की आमदनी में लीसे की आमदनी शामिल है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, शामिल है ।

अल्मोड़ा जिले में पंचायती तथा सरकारी जंगल

*१४--श्री गोवर्धन तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा जिले में पंचायती जंगलों तथा सरकारी जंगलों का क्षेत्रफल क्रमशः कितने वर्गमील अथवा एकड़ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अल्मोड़ा जिले में पंचायती तथा सरकारी जंगलों का क्षेत्रफल क्रमशः निम्नलिखित है :--

जंगल	वर्गमील	एकड़
(१) पंचायती	१४५	९२,८०७
(२) सरकारी	१०६५	६,८२,१५०

*१५-- श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) --[२१ अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

लखनऊ में मुगल कालीन ख़जाने की खुदाई

*१६--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ में मुग़लकालीन किसी ख़जाने की खुदाई सरकार के सहयोग से हो रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--पिछले अगस्त में एक सज्जन ने एक खाली नजूल जमीन को, गड़े हुये खजाने की खोज में खोदने की इजाजत मांगी थी, जो दी गई थी । खुदाई ख़त्म हो चुकी है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ख़जाने में से कुछ हिस्सा राजकीय कोष में देने के लिये कुछ तय हुआ था ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जी हां, यह तय हुआ था कि उसके खोदने और भरने में जो खर्च होगा उसको दरख्वास्त देने वाले देंगे लेकिन जो ख़जाना मिलेगा उसमें आधे की हिस्सेदार सरकार होगी।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस सज्जन ने यह इजाजत मांगी थी उन्होंने क्या क्या बातें सरकार को समझाई कि यहां ख़जाना है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--उनको पूरा इत्मीनान था इसी वजह से उन्होंने इस पर काफी खर्चा किया।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक खजाने में से कुछ मिला या नहीं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--ऐसा है कि कुछ दिनों तक तो वह काफी उम्मीद रख रहे थे कि कुछ मिलता जा रहा है लेकिन आखिर में कुछ नतीजा ऐसा नहीं निकला कि जिसकी याद रहे कि क्या निकला।

श्री रामनारायण त्रिपाठी-- (जिला फ़ैज़ाबाद)--क्या यह सही है कि खजाने के बारे में एक स्थान के अलावा और जगहों पर भी सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--एक जगह के लिये और दरख्वास्त मिली थी लेकिन क्योंकि वह निजी जमीन थी जिसमें खोदना चाहते थे लिहाजा सरकार से इसका कोई ताल्लुक नहीं था।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस खजाने की खुदाई के समय कितने सरकारी कर्मचारी वहां पर मुक़र्रर रहे और उसमें क्या खर्च हुआ सरकार का ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--एक मैजिस्ट्रेट कभी-कभी जाया करते थे यह देखने को कि अगर खजाना निकले तो कोई जेब में न रख ले और कुछ पुलिस वाले भी देखा करते थे कि इस तरह की बात न हो कि खजाना निकले और कोई उसे ले ले और हमारा आधा हिस्सा न मिले।

भटनी नूरी सुगर मिल, देवरिया के बन्द होने से मजदूरों को क्षति

*१७--श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)--क्या सरकार को पता है कि चार साल से भटनी नूरी सुगर मिल, देवरिया के बन्द रहने से उस स्थान के सम्बन्धित किसानों तथा मजदूरों की अपार क्षति हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सरकार को पता है कि नूरी सुगर वर्क्स, भटनी गत पांच साल से बन्द है। फलतः कुछ सम्बन्धित मजदूर शायद बेरोजगार हो गये हों। परन्तु इस मिल के बन्द हो जाने से किसानों को कोई विशेष क्षति होने की सूचना सरकार को नहीं मिली है।

*१८--श्री शिववचन राव--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस क्षति से किसानों को बचाने के लिये क्या कोई प्रयास उपर्युक्त मिल को चालू करने का हो रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह मिल ४ अक्तूबर, १९५४ को नीलाम कर दी गई है और आशा है कि इसके नए मालिक इसको अब चालू कर देंगे।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन्हों ने इस मिल को नीलाम में लिया है उनको मंजूरी दे दी गयी है कि वे उसे चालू कर सकें ?

श्री हुकुमसिंह--यह इजाजत तो केन्द्रीय सरकार से उनको मिलेगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल के बन्द होने से कितने मजदूर बेकार हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह--कुछ बेकार हुये हैं और कुछ अड़ोस-पड़ोस की मिलों में जहां कि उस क्षेत्र का गन्ना दिया गया उसमें एम्प्लाय हो गये। तादाद ठीक बतायी नहीं जा सकती।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह मिल इस वक्त किसके हाथ में है?

श्री हुकुमसिंह--बेग सदरलैंड के हाथ में है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन साहब ने इस मिल को खरीदा है उनको यह भी अख्तियार है कि वहां से मिल को उखाड़ कर दूसरी जगह ले जायं?

श्री हुकुमसिंह--शायद बिना इजाजत वे ऐसा नहीं कर सकते।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि मिल बन्द हो जाने के कारण वहां के किसानों का गन्ना रह जाता है और वह पेरा नहीं जाता?

श्री हुकुमसिंह--ऐसा तो नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह मिल इसी अंडरस्टैंडिंग पर बेग सदरलैंड ने खरीदी है कि वे इसे यहां से उठा ले जायेंगे?

श्री हुकुमसिंह--यह अंडरस्टैंडिंग शायद माननीय सदस्य को मालूम हो, मुझे नहीं मालूम है।

प्रान्तीयरक्षकदल के वर्तमान वैतनिक अधिकारी तथा कार्यकर्त्ता

*१९--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल में आजकल कितने वैतनिक अधिकारी तथा कार्यकर्त्ता हैं, और उनके सुपुर्द कौन-सा प्रमुख सेवा-कार्य है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्रान्तीय-रक्षक-दल में आजकल ५ अधिकारी, १ टेक-निकल असिस्टेन्ट, ३१ कार्यकर्ता, १ क्वार्टर मास्टर, ५९ अन्य कर्मचारी तथा ८२ नीची श्रेणी के कर्मचारी केन्द्रालय में काम कर रहे हैं। जिलों में ५१ आर्गनाइजर, ५१ सहायक जिला आर्गनाइजर, ८७० जोन कर्मचारी और १२ व्यायामशाला के शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

१--जिलों में युवकों का संगठन विकास के कार्य्यों के लिये करना।

२--शिक्षण और विकास के केंद्रों का सामूहिक कार्य और श्रमदान के आधार पर संगठन करना।

३--फ़िजिकल कल्चर का प्रसार करने के लिये खेल-कूद और व्यायामशालाओं का संगठन करना।

४--युवकों को सैनिक शिक्षा देना और उनको इस प्रकार संगठित करना कि उनमें अनुशासन की भावना बढ़े और वे आत्मरक्षा कर सकें।

*२०--श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्तीय-रक्षक-दल पर माहवारी कितना रुपया खर्च होता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--लगभग १,५८,३६६ रुपया माहवारी खर्च होता है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि टेकनिकल असिस्टेंट का खास काम क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसका विशेष कार्य तो इसमें उल्लिखित नहीं है लेकिन उनको टेक्निकल मामले में सहायता देता है यानी जैसे उनकी मोटर हो या और कोई चीज जो मैकेनिक के काम की हो, उसमें सहायता देने से उनका तात्पर्य है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि राज्य भर में युवकों के कितने संगठन हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो प्रत्येक जिले में ऐसा संगठन है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इन रक्षक-दल के कार्यकर्त्ताओं को वर्दी भी देती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो ऊपर के हैं उन्हें दी जाती है।

श्री शिवनारायण—क्या वह जो छोटे वालंटियर गांवों में काम करते है भविष्य में सरकार अपने अगले बजट में कुछ सहायता वर्दी के लिये देगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो, जिस इलाके में या गांव सभा में काम करते हैं तो वहीं के लोग कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ वहां के पैसेदार लोग होते हैं जो उनकी मदद कर देते हैं। इसलिये उनका काम चल ही रहा है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि राज्य भर में कितनी ऐसी व्यायामशालायें हैं जिनकी नीव रक्षक-दल के लोगों ने की है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि प्रान्तीय-रक्षक-दल को तोड़ कर यू० पी० पुलिस का एक आग्जिलियरी फोर्स बना दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में चोरी डकैती को देखते हुये गांव की रक्षा के लिये जो गांव में रक्षक-दल वालंटियर काम करते हैं उनको बन्दूक देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उनको ट्रेनिंग तो दी जाती है। लेकिन बन्दूक देने का कोई विचार नहीं है। वैसे डिफेंस कमेंटीज तो बन गयी हैं रक्षा के लिये।

श्री उमाशंकर—राज्य के कितने युवकों को ट्रेनिंग प्रान्तीय-रक्षक-दल द्वारा दी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। क्योंकि उनका काम ही ट्रेनिंग देने का है। उनकी संख्या मालूम नहीं है।

*२१—२२—श्री परमेश्वरीदयाल (जिला जौनपुर)—[स्थगित किये गये।]

बख्शी तालाब, लखनऊ की तरह अन्य जिलों में शिक्षण-शिविर खोलने का विचार

*२३—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बख्शी तालाब, लखनऊ की तरह अन्य कुछ जिलों में शिक्षण-शिविर खोलने का वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और किन-किन स्थानों पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बख्शी तालाब पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके रहने-सहने का कितना खर्चा सरकार देती है ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उत्पन्न नहीं होता। बात यह है कि मूल प्रश्न में दूसरी जगह के लिये पूछा गया है।

श्री शिवनारायण—वहां के विद्यार्थी जो रहते हैं, और जो विकास-कार्य करने जाते हैं उनको सरकार कुछ सहायता देती है ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उत्पन्न नहीं होता है। सवाल तो यह है कि बख्शी तालाब जहां कि ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह की ट्रेनिंग दूसरी जगह खोलना चाहते हैं, तो उससे उत्पन्न नहीं होता।

सामुदायिक विकास योजना केन्द्र, बख्शी तालाब के शिक्षकों का वेतन

*२४श्री श्याममनोहर मिश्र (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक विकास योजना केन्द्र, बख्शी तालाब (लखनऊ) में कितने शिक्षक किन-किन विषयों के हैं, उनका मासिक वेतन क्या है तथा उनमें से कितने गजटेड अफिसर हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो सूचना पूछी गयी है उसकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ—२६८—पर)

*२५—श्री श्याममनोहर मिश्र (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त शिक्षण केन्द्र में जो शिक्षार्थी जाते हैं उनके लिये ऐसा कोई नियम है कि वह विकास योजना केन्द्र के अन्तर्गत लिये हुये ग्रामों में जाकर किसानों को विकास के कार्य समझाये तथा करवायें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, जो शिक्षार्थी इस शिक्षण केन्द्र में शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें व्यावहारिक (जाब ट्रेनिंग) शिक्षा देने के लिये आस-पास के ग्रामों में भेजा जाता है। ये शिक्षार्थी गांव वालों को विकास सम्बन्धी बातें समझाते हैं तथा कार्य भी कराते हैं।

*२६—श्री श्याममनोहर मिश्र (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उक्त केन्द्र के शिक्षार्थी सप्ताह या मास में कितने बार गांवों को जाते हैं ? यदि जाते हैं, तो क्या उनसे साप्ताहिक अथवा मासिक रिपोर्ट भी ली जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शिक्षार्थी १५–२० दिन में ग्रामीण समस्याओं से परिचित हो कर प्रति दिन गांव जाते हैं, उनसे आवश्यकतानुसार कार्य और प्रगति की दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक रिपोर्ट भी ली जाती है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के जो अध्यापक रखे गये हैं उनकी सर्विसेज मुस्तकिल हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, वह तो परमानेन्ट सर्विसेज के लोग हैं जो वहां चले गये हैं।

श्री शिवनारायण—जो शिक्षार्थी वहां से ट्रेनिंग पाकर वापस होते हैं तो उनके व्यवसाय के लिये सरकार कोई विशेष सहायता देती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वहां पर ट्रेनिंग होती है ब्लाक ट्रेड डेवलपमेंट आफिसर्स की।

*२७—श्री परमेश्वरीदयाल—[स्थानान्तरित किया गया।]

*२८-२९—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[स्थगित किये गये।]

*३०-३१—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—[स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश में फाइनेन्सियल कारपोरेशन की स्थापना

*३२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने प्रदेश में इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन खोलने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण योजना सदन को बताने की कृपा करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां। [उत्तर प्रदेश फाइनेन्शल कारपोरेशन के विषय में एक नोट मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ-२९९, ३००—पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने अपना कार्य शुरू कर दिया है ? अगर हां, तो किस तारीख से ?

श्री हुकुमसिंह—अभी सब इन्तजाम कर रहे हैं। शुरू नहीं हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि बाक़ी ४ डायरेक्टर इस कारपोरेशन के कब तक नियुक्त कर दिये जांयगे ?

श्री हुकुमसिंह—जल्द अज जल्द।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस कारपोरेशन के मुख्य मुख्य क्या काम होंगे ? मैं सारांश जानना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह—मिडिल क्लास और छोटे छोटे उद्योग-धन्धों को रुपये पैसे से सहायता पहुंचाना ताकि वह विकास का काम ठीक तौर से हो सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो कर्जा इंडस्ट्रियल कारपोरेशन से दिया जायगा यह इंडिविज्वल्स को दिया जायगा, सोसाइटीज को दिया जायगा या कम्पनीज को दिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये तो कार्पोरेशन अपने नियम बनायेगी।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बतानेकी कृपा करेगी कि इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन में सरकार का रुपया कितना होगा और पब्लिक की तरफ से कितने रुपये के शेयर्स दिये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह---फिलहाल १८ लाख रुपया सरकार का होगा और इधर बैंक का ७.५ लाख होगा और शेड्यूल्ड बैंक और इंश्योरेंश कम्पनी वगैरा का १९.५ लाख होगा और बकिया और पार्टियों का ५ लाख होगा।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि छोटे छोटेउद्योग धंधों में क्या सरकार का मतलब गृहोद्योग धंधों से है ?

श्री हुकुमसिंह---इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार इस संबंध में कोई विधेयक सदन में उपस्थित करके बहस करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं, कानून पहले से मौजूद है।

श्री सत्यसिंह राणा---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस कार्पोरेशन से मैक्जिमम शेयर कितने कितने तक के खरीदे जा सकते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---जो मैंने तफसील बतायी है, उसमें वह हर क्लास के लिये अलग-अलग शेयर्स मुकर्रर हैं। उन मित्र के करीब जो उनके पास बैठे है वह कागज रखा है, देख लीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन का अथराइज्ड कैपिटल क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहां होगा ?

श्री हुकुमसिंह---३ करोड़ इसका होगा और इस साल के लिये ५० लाख। हेडक्वार्टर कानपुर में।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक इस कार्पोरेशन के कितने-कितने शेयर कितनी-कितनी कम्पनियां या बैंक या सरकार खरीद चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है। वह चीज हमारे सामने है नहीं।

*३३-३४---श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू (जिला इलाहाबाद)---[स्थगित किये गये।]

*३५---श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---[स्थगित किया गया।]

*३६-३८---श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)---[स्थगित किये गये।]

*३९-४०---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---[स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य

*४१---श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में आगामी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से कार्य सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आगामी पंच-वर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है। योजना का जिलेवार तथा तहसीलवार विवरण अभी निश्चित नहीं किया गया है।

श्री शुकदेवप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि आगामी पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिये अभी कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो आज कल मंगाई गई है और पिछली दफा सवाल के जवाब में बतलाया भी गया था कि आजकल की अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पहले ही दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार हो जायगी।

जिलों में राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की जनता को दवाओं की सुविधा

*४२—श्री दलबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र जिलों में खोले गये हैं उस क्षेत्र की जनता को दवाओं की सुविधा भी दी जायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

*४३—श्री दलबहादुरसिंह—क्या सरकार को पता है कि रायबरेली जिले के सलोन राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र में स्थित अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस अस्पताल में केवल थोड़े समय तक कोई डाक्टर नहीं रहा। १४ सितम्बर, १९५४ से वहां एक डाक्टर काम कर रहा है।

*४४—श्री दलबहादुरसिंह—क्या यह सही है कि ९ महीने बीत जाने के बाद भी वहां कोई ब्लाक अफसर नहीं भेजा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण ब्लाक अफसर इस ब्लाक में जल्दी नहीं भेजा जा सका परन्तु जिला कृषि अधिकारी को इस पद का भार सिपुर्द कर दिया गया था। अब एक अधिकारी की नियुक्ति ब्लाक अफसर के पद पर कर दी गई है।

श्री दलबहादुरसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नई नियुक्ति होगी उस पर नियुक्त अधिकारी कब तक वहां पहुंच जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो मेरा ख्याल है पहुंच भी गया होगा।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र जिन जिलों में है उनमें कितने आदमियों पर सरकार ने डाक्टर रखने की सोची है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें आदमियों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता परन्तु पहले ऐसा कोई प्राविजन नहीं था मगर गवर्नमेंट ने यह जरूरी समझा और इसीलिये कुछ थोड़ी सी दवाइयां और डाक्टर भी रख दिये हैं और उस ब्लाक के उस दवाखाने के नजदीक आदमी रहते होंगे उनकी वे चिकित्सा करेंगे।

विलीन टेहरी जिले के डी० डी० आर० फारेस्ट रेंजर्स की सीनीयारिटी का प्रश्न

*४५—श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन टेहरी जिले के डी० डी० आर० फारेस्ट रेंजर्स की seniority किस प्रकार तय की गई और किस आधार पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—विलीन टिहरी जिले के डी० डी० आर० फारेस्ट रेंजर्स की ज्येष्ठता (seniority) अभी तय नहीं की गई है। अभी ऐसे सब कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि उन कर्मचारियों की ज्येष्ठता नियत होने की दशा में भी उनके बाद डी० डी० आर० फारेस्ट रेंजर्स को प्रोमोशन दिया गया है और वह इससे वंचित रह गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं ऐसी बात नहीं है, ज्येष्ठता निर्धारित न होने पर भी प्रमोशन दिया गया है। जैसे पी० एफ० एस० कर्मचारी को बांदा में डिवीजन फारेस्ट आफिसर के पद पर प्रमोशन दिया गया है।

*४६-४७—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किये गये।]

*४८-४९—श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)—[स्थगित किये गये।]

*५०—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—[स्थगित किया गया।]

*५१—श्री अवधेशचन्द्रसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—[स्थगित किया गया।]

गोरखपुर और देवरिया में पोलीटेकनिक क्लासेज खोलना

*५२—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह गोरखपुर और देवरिया में Polytechnic classes खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—गोरखपुर में पोलीटेकनिक खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*५३—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किसी पिछले वित्तीय वर्ष में गोरखपुर में Polytechnic classes खोलने के लिये बजट में रुपया रखा गया था? अगर हां, तो अब तक Polytechnic classes क्यों नहीं खोले गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(अ) जी हां।

(ब) उचित इमारत न मिलने के कारण कक्षायें न खोली जा सकीं।

*५४—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि गोरखपुर के सरकारी Technical Institute में बोर्डिंग में रहने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इस विद्यालय के होस्टिल में रहने का प्रबन्ध है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बोर्डिग के कितने लड़के इस वक्त रहते हैं और हर एक कमरे में कितने-कितने लड़के रहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह—एक कमरे में कई-कई लड़के रहते हैं, पूरी तादाद तो मालूम नहीं।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या यह सही है कि इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के होस्टल में लड़कों की ज्यादती की वजह से और कमरों में जगह काफी न होने से कंजेशन है, अगर ऐसा है तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह—जगह की कमी जरूर है लेकिन पैसा कम है, इस वजह से भी दिक्कत है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि होस्टल में जो लड़कें हैं उनके लिये बिजली का उचित प्रवन्ध नहीं है क्योंकि जो बिजली है वह कम्पायमान है जिससे नेत्रों पर काफी असर पड़ता है, सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—डाक्टर से पूछ कर पता चलेगा कि क्या असर पड़ेगा।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अलावा गोरखपुर के प्रान्त में और किसी जगह पर पोलिटैक्नीक क्लासेज खोलने का सरकार विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह—जौनपुर में खोला गया है और अभी अन्य जगहों के लिये कोई निश्चय नहीं हुआ है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—उत्तर में गोरखपुर के लिये तो माननीय मंत्री जी ने कहा लेकिन देवरिया के लिये नहीं बतलाया कि वहां पर खोलने जा रही है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह—उत्तर में बतलाया गया है कि देवरिया में नहीं गोरखपुर में खुलेगा।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर के जिलों में कोई कुलियों के भरती करने का सेन्टर सरकार खोलने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

इवाकुई इमारतों से सरकारी दफ्तरों के खाली कराने का निश्चय

*५५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि Rehabilitation मिनिस्टरों की जो सभा श्रीनगर में हुई थी उसमें यह निश्चय हुआ था कि जो Evacuee इमारतें सरकारी अधिकारियों व उनके दफ्तरों के अधिकार में हैं उनको खाली करके मुस्तहक पुरुषार्थियों को एलाट कर दिया जाये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, सरकारी दफ्तरों के खाली कराने के विषय में कुछ निश्चय नहीं हुआ है।

*५६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपने प्रान्त की उक्त इमारतों को खाली कराने का क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इस विषय में अभी तक केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी दफ्तरों के अलावा दूसरी इमारतें खाली करने के संबंध में कोई निश्चय हुआ था, अगर हुआ था तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री हुकुमसिंह—लिखा पढ़ी हो रही है जैसा कि दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया है।

पट्टी बिजलौह (गढ़वाल) के निवासियों को अन्य स्थानों में बसाने का विचार

*५७—श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पट्टी बिजलौह (गढ़वाल) के जड़ाऊ गांव के निवासियों को जो पहाड़ के टूटने से खेती के काबिल नहीं रहा, कहीं पहाड़ में ही भूमि देकर बसाने का विचार रखती है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी हां ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतायेगी कि यह पहाड़ कब टूट गया था जिससे भूमि खराब हो गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो बराबर खिसकता चला जा रहा है, कुछ तरफ से थोड़ा बहा है और कभी-कभी उसका कुछ भाग गिर पड़ता है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतायेगी कि इस पहाड़ के टूटने से कितने परिवार भूमिहीन हो गये हैं और उनके लिये क्या कोई तात्कालिक व्यवस्था की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह पहाड़ पर एक ही गांव का प्रश्न नहीं है, बहुत से ऐसे गांव वहां हैं जहां लैंड स्लाइड होते रहते हैं। प्रश्न कठिन यह है कि इतनी भूमि तो है नहीं कि लैंड स्लाइड होते रहें और लोगों को नई जमीन देते रहें क्योंकि वह तो थोड़े बहुत हर साल ही आते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट उस पर गौर करती है कि अगर उनको बसाया जा सके तो अच्छा है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—जैसा वह कहते हैं कि पहाड़ों में प्रायः ऐसा होता रहता है, तो जहां-जहां भूमि खराब होती जाती है और लोग भूमिहीन होते जाते हैं वहां उनके लिये सरकार कोई तात्कालिक व्यवस्था शीघ्र किया करती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसा कि और जगह किया जाता है और अगर कहीं कोई आफत आ जाती है तो तात्कालिक मदद के तौर पर मदद कर दी जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या प्रान्त के स्वायल कन्जरवेशन बोर्ड का ध्यान ऐसे गांवों की समस्या की तरफ गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं है, यह तो आप जनरल सवाल पूछ रहे हैं ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतायेगी कि जिस गांव का जिक्र इसमें है वहां लोगों को सरकार की ओर से क्या तात्कालिक सहायता मिली है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वहां का अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि वहां के लोग कोई बिलकुल विस्थापित हो गये हों, केवल इतना है कि गांव खराब हो रहा है और उन्होंने कहा कि कोई दूसरी जगह उनको दे दी जाय तो अच्छा रहेगा, इस पर सरकार विचार कर रही है ।

*५८—श्री विश्राम राय—[स्थगित किया गया ।]

कलेक्टर इंचार्ज डिवीजनों के कर्त्तव्य

*५९—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टर इंचार्ज डिवीजन, जो कमिश्नरियों में अभी नियुक्त किये गये हैं, इनके कर्त्तव्य, दायित्व और सीमा क्या है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—वही जो डिवीजन के कमिश्नरों के हैं ?

*६०—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या उपर्युक्त कलेक्टर इंचार्ज डिवीजन पर नियोजन (Planning), प्रशासन (Administration) और राजस्व (Revenue) के काम की पूरी जिम्मेदारी रहेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कलेक्टर इन्चाजों की कमिश्नरों की तरह अपने-अपने क्षेत्र में नियोजन सम्बन्धी कार्यों की, प्रशासन के विभिन्न अंगों की और राजस्व के कार्य की देखभाल तथा विभिन्न अंशों में सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी रहेगी।

*६१—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार इस सम्बन्ध में उस आदेश पत्र की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जो सरकार ने इस सम्बन्ध में इन कलेक्टरों को भेजे हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—इस सम्बन्ध में दिनांक २१ जुलाई, १९५४ तथा दिनांक १५ सितम्बर, १९५४ के आदेश पत्रों की प्रतिलिपियां मेज पर रखी हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३०१–३०९ पर)

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २१ जुलाई सन् १९५४ के आदेशानुसार सरकार एस० डी० ओज० को इस समय यह आदेश स्पष्ट रूप से देने जा रही है कि जिनके जिले में प्लानिंग का काम होगा उसकी उनकी समस्त जिम्मेदारी होगी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी हां, आपकी मेज पर सारी डिटेल रखी है,? उसको देखने की उनकी समस्त जिम्मेदारी होगी।

श्री अध्यक्ष (श्री शिवकुमार शर्मा से)—आप इतना तेज बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है। आप जरा धीरे और वाक्यों के टुकड़े करके बोलिये।

श्री शिवकुमार शर्मा—जो जी० ओ० मेज पर रखा गया है, उसमें यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि एस० डी० ओ० की जिम्मेदारी अपने क्षेत्रों में प्लानिंग के काम की होगी। इसलिये मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार का कोई आदेश एस० डी० ओ० को देने जा रही है कि उनके क्षेत्र में प्लानिंग के समस्त कार्यों की उनकी जिम्मेदारी होगी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी० ओ० में साफ लिखा है और उनकी जिम्मेदारी होगी भी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उनका नाम सीधे योजना कमिश्नर क्यों नहीं रक्खा गया?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—चूंकि यह डिविजनल कमिश्नर नहीं बनाये गये।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन कलेक्टरों को इंचार्ज क्यों बनाया गया जब कि पहले के डिविजनल कमिश्नर्स को एबोलिश कर दिया गया था?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—डिविजनल कमिश्नर्स पहले ज्यादा क्षेत्र में थे। जो पुराने तीन-तीन डिवीजन थे वे एक-एक डिवीजनल कमिश्नर के पास थे। तजुर्बे से यह मालूम हुआ कि जितना काम बढ़ता जा रहा था उसको वे नहीं संभाल सकते थे। इसलिये उनके क्षेत्रों को कम करने की जरूरत थी लेकिन यदि इन क्षेत्रों में जो अब बनाये गये हैं उन सबमें डिवीजनल कमिश्नर रखे जाते तो खर्चा ज्यादा होता इसलिये कलेक्टर इंचार्ज रक्खे गये। डिवीजनल कमिश्नर्स जो पहले थे वे तीन के बदले में चार हुए। उन चार में से एक पोस्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी की है यानी कमिश्नर्स की तादाद उतनी ही है जितनी पहले थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कलेक्टर इंचार्ज डिवीजन और डिवीजनल कमिश्नर के वेतन में क्या अन्तर है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—कमिश्नर को ३ हजार रुपये तनख्वाह मिलती थी और कलेक्टर इंचार्ज को अपने ग्रेड की तनख्वाह यानी १२, १३ या १४ सौ रुपया तथा २५० रुपया एलाउन्स मिलता है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डिविजनल कमिश्नर्स या कलेक्टर इंचार्ज को ऐसे कोई आदेश दिये गये हैं कि जब वे और मुकामों पर दौरे पर जायं तो देहातों में भी दौरे पर जायं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—उसी जी० ओ० में लिखा हुआ है कि हर माह में कमिश्नर कम से कम २० दिन का दौरा करे और तमाम प्लानिंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह को देखे।

*६२—६४—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)— [स्थगित किये गये।]

जिला सूचना अधिकारियों को सहायक नियोजन अधिकारी बनाना

*६५—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सूचना विभाग तोड़ दिया गया है और जिला सूचना अधिकारियों को सहायक नियोजन अधिकारी बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। जिला सूचना अधिकारियों का नाम बदल कर सहायक नियोजन अधिकारी कर दिया गया है, क्योंकि अब उनको पब्लिसिटी के साथ-साथ नियोजन तथा विकास के कार्यों के सम्बन्ध में भी काम करना पड़ता है। इसके अलावा अब उनको नियोजन अधिकारी को उसके सहायक के रूप में उसके कार्यालय के रोज के काम में सहायता देनी पड़ती है। ऐसा करना शासन के हित के लिये उचित समझा गया था।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब जिला सूचना अधिकारी सहायक नियोजन अधिकारी बनाये गये हैं तो क्या उनके वेतन में भी कोई वृद्धि की गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वेतन में वृद्धि करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला सूचना अधिकारियों को सहायक नियोजन अधिकारी बनाते समय कोई ट्रेनिंग भी दी गयी थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, ये बख्शी के तालाब में ट्रेनिंग के लिये आये थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये सहायक अधिकारी कितने जिलों में हैं और कितनों में नहीं हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इन सूचना अधिकारियों के स्थान पर, जो डेवलपमेंट में चले गये हैं, नये सूचना अधिकारी रखने का विचार रखती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

श्री गेंदासिंह--राज्य में कितने ऐसे सूचना अधिकारी रखे जायंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जितनी आवश्यकता होगी उतने रक्खे जायेंगे।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री लक्ष्मण राव कदम--[वापस लिया गया।]

उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९५१ के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैधानिक घोषित होने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण ने भेजा है और वह इस प्रकार है--"सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीटचूशन बेंच ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश रोड ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट सन् १९५१ को अवैधानिक घोषित कर दिया है, फलस्वरूप करीब डेढ़ हजार बसें, २५० ट्रकें तथा टैक्सियां जो सरकार की ओर से चलती थीं और करीब ६० फीसदी बस का रास्ता जो सरकार ने अपने एकाधिपत्य में लेकर सामान्य व्यक्तिगत लारियों का चलना बन्द कर दिया था, उसमें विषम परिस्थिति पैदा हो गई है तथा यह प्रश्न व्यक्तिगत बस-सर्विस तंथा समाजीकरण के सिद्धान्तों से अटूट सम्बन्ध रखता है, इतने आवश्यक तथा महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न पर विचार करने में तनिक भी विलम्ब भीषण परिणाम उत्पन्न करेगा।

अतः सदन इस आवश्यक तथा महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में यह तो स्पष्ट ही है कि यह एक निश्चित प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है और अर्जेन्ट भी प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से या माननीय मुख्य मंत्री जी से अथवा माननीय गृह मंत्री जी से, जो भी बताना उचित समझें, जानना चाहूंगा कि इस विषय में क्या वाकयात हैं और इस सम्बन्ध में वह कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं या इस पर विवाद के लिये कोई दिन मुकर्रर करना चाहते हैं। यह बात मैं जान लूं उसके बाद इस विषय पर मैं निर्णय दूंगा।

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)--इस विषय के बारे में आज अखबारों में सिर्फ कुछ छपा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया है। वह फैसला अभी हमारे पास नहीं है। उसके ऊपर यह भी देखना होगा कि क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है और जो वाकयात भी उसमें दिये हुये हैं वह कहां तक सही है मैं नहीं कह सकता। विचार यह हो रहा है और मैं समझता हूं कि यह कोई बात खास छिपी हुई भी नहीं है कि जो कांस्टीटचूशन हमारा है उसमें कोई संशोधन करने हैं या नहीं, इसके ऊपर इस समय विचार हो रहा है। मगर जहां तक इसका सम्बन्ध है यह तो जब तक हमारे पास फैसला न आ जाय और हम उसको देख न लें कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या नतीजा निकलता है और उस पर क्या कार्यवाही करना चाहिये कुछ ज्यादा कहना असम्भव है।

श्री अध्यक्ष--तो क्या अभी इसका फैसला सरकार के पास नहीं पहुंचा है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--सिर्फ अखबारों में देखा है और कोई बात नहीं मालूम है। सरकार का तो कोई हाथ इसमें नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इसमें फैसला कर दे तो उसके फैसले के ऊपर तो वादविवाद यहां नहीं हो सकता। सरकार ने तो कोई फैसला नहीं किया है। किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के फैसले पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो वादविवाद करना कहां तक उचित है और कहां तक नियम इसको बतलाते हैं मैं जानता नहीं हूं, मगर, खैर, जहां तक विवाद की बात है जब तक फैसला न आ जाय उसको देखा न जाय तब तक कोई बात कहना असम्भव है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—जो विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है उसके लिये है।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—कोई विषम परिस्थिति नहीं है। सब सम है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार के पास फैसला नहीं आया है तो जहां तक मेरा सम्बन्ध है और जहां तक इस सदन के और सम्मानित सदस्यों का सम्बन्ध है करीब १५–२० दिन पहले से यह बात सुनने में आयी थी कि सम्मानित जज ने इस बात को कह दिया था कि यह ऐक्ट अल्ट्रा वायरस है और आज जो फैसला निकला है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकार इस कानून के मुताबिक काम नहीं करेगी। तो फैसला सरकार के पास आये या न आये उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार का कोई प्रतिनिधि जजमेंट की नकल लेगा या सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला सरकार को भेज देगी।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप विवाद शुरू कर रहे हैं। आप कोई वैधानिक बात कहना चाहते हैं?

श्री राजनारायण—इतना कहना है कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास फैसला नहीं आया है या सरकार ने जजमेंट की नकल नहीं ली है फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कार्यान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं होगा और उसका फैसला तो तभी से एफेक्ट (प्रभावकारी) रखता है जब से उन्होंने जजमेंट डेलीवर (दे दिया) कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—कोई विषय अखबार में आ जाय या किसी फैसले के बारे में अखबारों में जिक्र आ जाय तो यह नहीं माना जा सकता कि हम उसके आधार पर विचार सदन में करेंगे। जब तक सरकार के पास फैसला नहीं आता है तो यह नहीं जाना जा सकता कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, न उसकी सरकारी जांच ही हो सकती। जहां तक इस विषय के ऊपर विवाद करने का सवाल है तो काम रोको प्रस्ताव केवल इसलिये नहीं आते हैं कि सरकार ने कोई कार्यवाही कर दी हो तभी वह लाया जाय। सदन की भी यदि कोई कार्यवाही हुई तो भी उसके परिणामों पर विचार कर सकता है। एक विधेयक उसने पारित किया, जिसकी सदन पर जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं, अगर यह फैसला हुआ है तो उससे क्या परिणाम होंगे उस विषय पर सदन में विवाद हो सकता है न कि इसके लिये कि फैसला सही है या गलत है। फैसले के औचित्य पर विवाद नहीं हो सकता। उसके क्या परिणाम हो सकते हैं इस विषय में सदन में विवाद अवश्य हो सकता है लेकिन किस अवस्था में हो सकता है जबकि उसके सम्बन्ध में निश्चित मालूम हो जाय कि क्या फैसला हुआ है और उस फैसले को सदन में लाने की हालत में सरकार हो। फैसला अभी प्राप्त ही नहीं हुआ है इसलिये उपस्थित विषय में अनिश्चितता हो गई है। वैसे विषय तो निश्चित होता यदि प्रस्ताव में उल्लिखित वाकयात सही हों लेकिन अभी तो पता नहीं है कि वाकयात क्या सही है और फैसला क्या हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सदन में उस पर फैसला करना या वादप्रतिवाद करना इस सदन का समय व्यर्थ नष्ट करना होगा। मैं समझता हूं कि इसमें नियम भी कोई बाधक नहीं होगा कि यह कामरोको प्रस्ताव आज न उपस्थित करके फैसला आने के बाद उठाया जाय। फैसला आ जाने के बाद इस विषय को लिया जा सकता है, फिर से आप पेश कर सकते हैं। लेकिन आज इस विषय के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। इसकी मैं अनुमति आज नहीं देता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, तो यह मेरा प्रस्ताव स्थगित रहा ?

श्री अध्यक्ष---मैंने अनुमति नहीं दी इसलिये यह खत्म हो गया।

*इलाहाबद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड ७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---इलाहाबाद युनीवर्सिठी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि श्री जोरावर वर्मा जी के संशोधन का दूसरा भाग बहुत ही नामुनासिब है। जहां तक कि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उसके वातावरण का सम्बन्ध है, उसमें इस प्रकार की बात लानी निहायत ही खतरनाक है और उन समस्याओं को उत्पन्न करने वाली है जो कि शिक्षा के वातावरण में, और ऐसे वातावरण में जहां कि नवयुवकों की पढ़ाई का सम्बन्ध है, बहुत ही नुकसानदेह है। अभी तक विश्वविद्यालय में कभी इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। वहां लड़के आते हैं, क्लास रूम में बैठते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है किसी प्रकार का भेदभाव, जाति-पांति का भेदभाव, कभी भी हमारे विश्वविद्यालय में नहीं हुआ । जहां तक पढ़ाई का सम्बन्ध है कोई लड़का यह नहीं कह सकता कि उसको अध्यापक पढ़ाने में किसी प्रकार का भेदभाव बरतते हैं। जहां तक इम्तहान का सम्बन्ध है कभी यह नहीं कहा गया कि नम्बर देने में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। तो अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इससे हरिजनों को क्या लाभ होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता । कौन-सी ऐसी बात है जो हरिजन वहां जाकर केवल हरिजन के नाते विश्वविद्यालय के वातावरण को ज्यादा मजबूत बना सकता है। विश्वविद्यालय का और कान्स्टीटयूशन के जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल सरकारी नौकरियों से सम्बन्धित हैं। यूनीवर्सिटी एक अटोनोमस बौडी है। यूनीवर्सिटी के अन्दर और यूनीवर्सिटी के विभिन्न क्षेत्रों में अगर यही सिद्धान्त रखा जाय कि कितने शेडयूल कास्ट के हैं, कितने और अल्पसंख्यक जातियों के हैं, तो इससे विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित हो जायगा और साथ ही साथ नवयुवकों में एक अजीब भावना उत्पन्न हो जायगी। इसके साथ साथ एक और गहन प्रश्न उठता है कि कब तक हम शेडयूल कास्ट के लोगों को और हरिजन लोगों को बैसाखी पर चलायेंगे, और कहां तक यह उनके लिये उचित है। विश्वविद्यालय में जहां उनके लिये खुला मैदान है, कोई उनको नहीं रोकता कि वह अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अच्छी डिग्रियां, अच्छे तरीके से पास न करें। उनको पूरी आजादी अपनी बुद्धि का विकास करने की है। तो क्यों उनमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न की जाय जिससे वह यह समझें कि जब तक उनको कोई सहारा नहीं दिया जायगा तब तक वह अपनी बुद्धि का विकास अच्छी तरह से नहीं कर सकते।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसमें चान्सलर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अन्दर कुछ सदस्य नियुक्त करता है, कुछ कोर्ट में अपने सदस्य नियुक्त करता है और मेरा अपना अनुमान है कि चांसलर नियुक्त करते हुए यह देखता है कि कौन यूनीवर्सिटी की शिक्षा के दृष्टिकोण से उचित व्यक्ति है और उसकी नामजदगी होगी। यहां पर यह एक चांसलर को संकेत देना कि वह इस प्रकार की नियुक्ति में हरिजनों का और गैर-हरिजनों और अल्पसंख्यकों का भेदभाव रखे यह शिक्षा और नवयुवकों

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है ।

† १३ अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

की बुद्धि के विकास के लिए विषमय होगा और कभी भी यह उनकी उन्नति के लिये लाभदायक नहीं होगा। हमको तो ऐसे मार्ग निकालने चाहिए जिनसे कि यह भेदभाव दूर हो और जिससे कि हरिजन अपने आपको बिना बैसाखी लगाये आगे चल सकें, उनमें समानता का भाव आये, उनमें अपने बाजुओं पर भरोसा करने का भाव आये और अगर उनमें इस प्रकार की भावनायें शुरू से ही, उनकी शिक्षा के काल से ही आ जायें, तो उनके लिये बहुत ही अच्छा होगा। श्रीमन्, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सदन में एक प्रकार का फैशन सा हो गया है कि बार-बार जहां कहीं कभी कोई प्रश्न आया कहीं नियुक्ति का या किसी नौकरी का, तो शीघ्र ही जैसे कि पहले सन् १९३७ से पहले, या १९४७ से पहले मुस्लिम लीग की तरफ से सवाल हुआ करता था कि नौकरियों में कितनों की नियुक्ति हुई, कितने उसमें मुसलमान आये, कितने गैर मुसलमान आये, उसी प्रकार का वातावरण अब यहां पैदा हो रहा है। जहां तक मेरा अनुमान है मैं नहीं चाहता कि हिन्दू समाज इस प्रकार की भावनाओं से अभी तक बिगड़ा रहे। हमारी सब की यह चेष्टा है कि इस प्रकार के भेदभाव दूर हों और हम यह चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश का चाहे वह किसी जाति का हो, उसको अपने आपको आगे बढ़ाने के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट न हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है किसी अंश में और किसी दृष्टिकोण से कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। इस प्रकार के यहां पर संशोधन अगर लाये जायं तो जो विष उस स्थान में नहीं है वह जहर वहां पर लाने की कोशिश की जा रही है जो कि मेरे अपने विचार से बहुत ही नामुनासिब है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा ने जो यह संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैंने बड़े गौर से इस पर माननीय सदस्यों के जो भाषण हुए हैं पक्ष में और विपक्ष में दोनों को कल से सुनता रहा हूं। कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि राज्यपाल महोदय को बहुत अधिक काम करना होता है और कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बहुत अधिक काम करना होता है। इसके साथ ही साथ कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न भी उपस्थित किया कि ऐसा हो सकता है कि अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चांसलर बना दिया जाता है और चांसलर की हैसियत से वे कोई निर्णय देते हैं और उस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में कोई अप्लीकेशन दी जाती है या हाई कोर्ट में कोई रिट दिया जाता है तो वहां यह प्रश्न जिस वक्त उपस्थित होगा उस समय यह शंका हो सकती है और यह स्वाभाविक है, कि मुमकिन है कि उनके सहयोगी जो अन्य न्यायाधीश हैं न्याय न करें। न्याय का जो आधारभूत सिद्धान्त है वह यह है कि यही नहीं मालूम होना चाहिये कि न्याय होता है बल्कि यह प्रतीत होना चाहिये कि न्याय हो रहा है। "जस्टिस शुड नाट ओनली बी डन, बट इट शुड अपियर दैट जस्टिस इज बीइंग डन" यह प्रश्न आता है हमारे सामने। जैसी कि हमारी पद्धति रही है, जैसा कि हमने भूत में देखा है, हमारी जुडिशियरी बिल्कुल स्वतन्त्र रही है, बिल्कुल आजाद रही है। किसी को कोई शंका करने का अवसर नहीं हो सकता है न कभी रहा है। ऐसा अगर मान लें कि चांसलर हमारा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाता है तो हाई कोर्ट में न्याय नहीं होगा, यह प्रश्न तो सही नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, मैं मानता हूं कि न्याय होगा और अवश्य होगा। परन्तु एक प्रश्न उसमें जरूर है जिसकी तरफ मैंने अभी अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाया है कि यह मालूम होना चाहिए, न्याय होता है। यह भी एक कारण है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चांसलर न बनाया जाय। इन कारणों के अतिरिक्त एक वैधानिक प्रश्न भी उपस्थित होता है कि चीफ जस्टिस हमारे आधीन नहीं है, वह केन्द्रीय सरकार के अधीन है और मान लीजिये कि हमने और प्रान्तीय सरकार ने, जोरावर जी का संशोधन मान लिये और चीफ जज ने कह दिया कि मैं चांसलर होना स्वीकार नहीं करता,

[श्री व्रज विहारी मिश्र]

तो फिर हमारे पास कौन सा विधान है कि हम उसके अनुसार कार्य कर सकें जब कि वह हमारे आधीन ही नहीं है। जैसा देखने से मालूम होगा। उन्होंने शब्द "shall" रखा है, जिसका अर्थ होता है कि चीफ जज को चांसलर होना ही पड़ेगा। इस प्रश्न पर हमें गौर करना होगा।

दूसरा प्रश्न संशोधन में यह है कि जो 'बाडीज़' नामीनेट किये जावें उनमें हरिजन भी होने चाहियें। मेरी भी अल्प बुद्धि में यह उचित नहीं मालूम होता कि हमारे विद्या मंदिरों में जाति-पांति का प्रश्न उपस्थित किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन कारणों से इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जोरावर वर्मा जी का संशोधन है कि चांसलर के पद बजाय गवर्नर महोदय के विराजमान होने के जैसा कि सरकार चाहती है, चीफ जस्टिस विराजमान हों। श्रीमन्, आपको और माननीय सदन को भी स्मरण होगा, सामान्य वादविवाद के समय हमने इस प्रश्न पर अपना मत स्पष्ट कर दिया था। मुझे इस डिस्कशन के बीच में कभी-कभी यह प्रसन्नता अवश्य हुई जब कि माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने को काशी विश्वविद्यालय का (प्राडक्ट) स्तानक कहकर गौरवान्वित किया इस सदन में।

कुछ सदस्य---आप भी तो वहीं से हैं।

श्री राजनारायण---मैं भी वहीं से आया हूं मगर मुझे अफसोस है कि काशी विश्वविद्यालय की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद, पूज्य मालवीय जी की सेवा में इतने दिनों तक रहने के बाद, जहां पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस चांसलर रह चुके हों वहां पर रहने के बाद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ऐसा विधेयक ला रहे हैं जो कि पूज्य मालवीय जी की तमाम स्मृतियों को तिलांजलि दे रहा हो। यदि देखा जाय कि १९१५ में चांसलर या वाइसचांसलर का चुनाव किस तरह से होता था तो उनको कोर्ट के जरिये चुनने की व्यवस्था थी। मगर इसी संस्था से शिक्षा प्राप्त किये हुये वर्तमान शिक्षा मंत्री जी जब इस विधेयक को लाकर गवर्नर महोदय को चांसलर के पद पर नियुक्त करने की बात करते हैं तब तो हमें महान् आश्चर्य होता है। मैं तमाम सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं न तो काशी विश्वविद्यालय में और न इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में और न आगरा यूनीवर्सिटी में कोई तुलना करता हूं। यहां पर इलाहाबाद के भाई यह न समझ लें कि हम उनसे ऊंचे स्तर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को रखने की बात कर रहे हैं। हम तो इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि यदि हम देखेंगे तो देख पायेंगे कि प्राचीनकाल में भी, और वर्तमान से लगाकर भूत में भी हमारे एक पूज्यनीय महामना मालवीय जी जिन्होंने अपने जीवन में अपने देश के विद्यार्थियों को विद्यादान करने का स्वप्न देखा था उन्होंने किस तरह से यूनिवर्सिटी के संचालन करने की बात सोची थी। बिल्कुल सीधी सादी बात हो जाती है कि चांसलर को या वाइसचांसलर को सब को कोर्ट द्वारा चुनने की व्यवस्था है। अब जब कि नियुक्ति की व्यवस्था होती है और एक ऐसे आदमी को या ऐसे पदाधिकारी को चांसलर मानने की बात होती है जो कांस्टीटयूशन के अन्दर सरकार की इच्छा से ही काम कर सकता है।

श्री अध्यक्ष---मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य समर्थन करते हैं या कोई नया संशोधन पेश कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा यह सुझाव ही समर्थनात्मक है। जब हमारे शिक्षा मंत्री जी उधर नहीं जा रहे हैं, उस संस्था की अच्छाइयों को नहीं अपना रहे हैं जिससे उन्होंने विद्या प्राप्त किया था तो माननीय जोरावर वर्मा या नारायणदत्त जी का जो संशोधन है वह दोनों एक ही हैं उन्हीं को मान लें। जहां तक चीफ जस्टिस का चांसलर होने का सवाल है तो मैं तो चीफ जस्टिस को भी उस परिस्थिति में नहीं समझता कि वह स्वतंत्र है लेकिन हां, गवर्नर से वह ज्यादा स्वतंत्र है। गवर्नर बाध्य है और वह सरकार की इच्छा शक्ति का प्रतिबिम्ब स्वरूप है। अगर चीफ जस्टिस के ऊपर किसी धारा के अन्दर उसकी गतिविधि को रोकने की बात नहीं कही गयी है। चीफ जस्टिस अगर निष्ठा से कार्य करना चाहेंगे तो उनको सरकार डायरेक्ट रोक नहीं सकती है, डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकती है और डायरेक्ट मश्विरा नहीं कर सकती है। हां, बहुत सी चीजें चला करती हैं पर्दे की आड़ में। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जहां तक चांसलर को इलेक्ट करने का सवाल है सरकार उतनी दूर जाना नहीं चाहती क्योंकि सामान्य वाद विवाद में हमने देखा कि सरकार की शक्ति को केन्द्रित करने की इच्छा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने एक उदाहरण दिया था कि एक प्रांत में मुख्य मंत्री जी चांसलर नियुक्त हुये हैं लेकिन यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी की इच्छा नहीं है कि तमाम जिम्मेदारी अपने ऊपर लाद लें क्योंकि उनके पास बहुत से काम हैं। ठीक है, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, गांधी जी ने कहा था, यहां पर जितने लोग हैं, मैं समझता हूं कि गांधी जी का जो हरिजन या हरिजन सेवक निकला करता था उसको तो सभी पढ़ते ही रहे होंगे। उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था दी है कि मनुष्य को कब तक सेवा कार्य के लिये खड़ा रहना चाहिये जब तक कि कोई दूसरा आदमी उस काम को करने वाला न मिले तब तक मनुष्य सेवा करता रहे। यदि उस काम को करने के लिये कोई तैयार हो गया हो तो दूसरों के साथ सेवा कार्य में होड़ न लगा कर अपने को ही रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। उसी प्रकार यदि कोई अच्छी प्रकार समाज सेवा करता है उसको हटाने की होड़ भी नहीं होनी चाहिये। बहुत अच्छे तरीके से गांधी जी ने इस पर अपने विचार को व्यक्त किया है। इसलिये हमने इसको कहा कि इस सदन के सम्मानित सदस्य बार-बार जब गांधी जी और गांधीवाद की चर्चा किया करते हैं तो जरा उसको कसौटी पर कसें और देखें कि क्या सही मानों में उन मूल सिद्धान्तों पर चलने की प्रवृत्ति उनकी हो पाती है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—कुछ थोड़ा सा असंगत सा हो रहा है। अगर सदन अब यह करेगा तो शायद हमको सदन खाली करके चला जाना पड़ेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे इस सूक्ष्म भाषण से जो कि गांधी जी के नाम से जुड़ा हुआ था आप पर इतना प्रभाव पड़ा कि आप भी उस पर सोचने लगे। ठीक है, अगर आप भी सोचेंगे तो देश का भला ही होगा। तो मैं यह चाहता हूं श्रीमन्, अब हमको यह देखना चाहिये कि सरकार क्या चाहती है? क्या सुप्रीम गवर्निंग बाडी कोर्ट होगी या और गवर्नर होंगे। अब गवर्नर और कोर्ट के बीच में माननीय जोरावर वर्मा जी का एक संशोधन आया है कि चूंकि गवर्नर महोदय के ऊपर बहुत से काम हैं और राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि जहां इतना बड़ा प्रान्त हो, जहां गवर्नर की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हों, जिस प्रान्त में इतनी यूनिवर्सिटी हों उसमें गवर्नर को हर एक का चांसलर बना देना कोई अच्छा काम नहीं होगा और न वह अपने काम को समुचित रूप से कर पायेंगे। इसलिये माननीय जोरावर वर्मा का जो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट को चांसलर बनाने का संशोधन है उसके पक्ष में मैं अपने को पाता हूं।

[श्री राजनारायण]

आगे श्रीमन्, मैं एक निवेदन आपकी सेवा में अवश्य उपस्थित करना चाहता हूं और जिसकी मेरे दिल में बहुत ठेस है। हमारे मित्र श्री शिवनाथ काटजू साहब या अन्य कोई और भी इस सदन के सम्मानित सदस्य जब यहां के हरिजन समुदाय की मुस्लिम लीग से तुलना करने लगते हैं तो मुझे बहुत ही चिन्ता होती है और बहुत अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि क्या इस सदन में ऐसे भी सम्मानित सदस्य हैं जो कि हरिजनों को और मुस्लिम लीग को दो दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं। आज वे कहते हैं कि हरिजन मुस्लिम लीग की प्रवृत्ति अख्तियार कर रहे हैं और जिस तरीके से मुस्लिम लीग हर समय अड़ंगेबाज़ी की नीति अख्तियार करती थी और यहां तक अख्तियार किया कि देश के दो भाग भी हो गये उसी तरीके से हरिजन भी इस प्रान्त में चल रहे हैं और वे संकेत करते हैं इसी सदन के सम्मानित सदस्यों के बारे में। मुझे बहुत चिन्ता के साथ निवेदन करना पड़ता है कि अगर ऐसे भावों को हम इस सदन में न व्यक्त करें तो अच्छा हो। आज हमारे प्रान्त का हरिजन समुदाय तनिक भी मुस्लिम लीग की प्रवृत्ति नहीं अख्तियार कर रहा है और मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यदि कोई यह मान बैठे कि मुसलमान होने से ही कोई मुस्लिम लीगी है तो ऐसी भी बात नहीं है। मुस्लिम लीगी सिद्धान्त पर चलने वाला हिन्दू भी मुस्लिम लीगी हो सकता है। जो भी आज इस सिद्धान्त को मानता है कि देश के ऐसे टुकड़े हों, जिससे कि एक टुकड़े में एक मजहब के मानने वाले हों और दूसरे टुकड़े में दूसरे मजहब वाले हों वह मुस्लिम लीगी प्रवृत्ति से प्रभावित हैं। इसलिये, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में हरिजनों को मुस्लिम लीगी विचार धारा का पोषक बताने से इन्डाइरेक्ट तरीके से एक भावना हरिजनों के अन्दर पैदा होती रहती है और वह यह समझते रहते हैं कि क्या हमें भी तो समाज का ऐसा अंग नहीं माना जा रहा है जिसका कभी उत्थान नहीं हो सकता। तो हमारे जो भी सम्मानित सदस्य हों उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों को वह इस तरह से बराबर उपेक्षा के भाव से सदन में रखने की कृपा न करें।

मैं माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन के दूसरे भाग के पक्ष में नहीं हूं जिसमें उन्होंने शेडचूल्ड कास्ट्स के लिये कहा है। मगर उसके पक्ष में न होने का मेरा कारण दूसरा है। जो शिवनाथ जी का कारण है वह हमारा कारण नहीं है। इनके इस संशोधन के इस अंश का विरोध करते हुए भी मैं उनको मानता हूं कि वह राष्ट्रवादी हैं, समाज के उत्थान के भाव से ओत-प्रोत हैं, समाज की तरक्की चाहते हैं, उसका विकास चाहते हैं। शिवनाथजी काटजू उनको मुस्लिम लीगी कहते हैं कि वह मुस्लिम लीगी आधार पर चलते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू---प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन, मैंने यह नहीं कहा कि मेरे माननीय हरिजन मित्र मुस्लिम लीगी भावना से प्रेरित हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था कि यह जो समस्याएं आती हैं यह उसी तरह की मालूम होती हैं कि जैसे पहले मुस्लिम लीग के जमाने में हुआ करता था। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वह मुस्लिम लीगी हैं। मैं उनको पूर्ण राष्ट्रीय समझता हूं और वह मुझसे अच्छे राष्ट्रीय हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वास्तव में मुझे खुशी हुई कि शिवनाथ जी ने वस्तु-स्थिति के प्रकाश में अपने को लाने की कृपा की। ठीक है, ऐसा ही समझना चाहिये लोगों को। यदि उन्होंने समझ लिया और उन्होंने इस बात को मान लिया कि वह मुस्लिम लीगी मनोवृत्ति से ओतप्रोत नहीं हैं तो अच्छी बात है। मगर मुझे यह निवेदन करना है कि आज जो समाज का पिछड़ा तबका है अगर वह कभी-कभी अपने पिछड़े हुए जज़बात का इज़हार करता है तो इसके माने यह नहीं हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम

लोग अपने जज्बात का इजहार करती थी वही तरीका इनका भी है। यद्यपि मैंने इस सदन में कई बार इस पर निवेदन किया था आपकी उपस्थिति में, आपकी सेवा में निवेदन किया था। अब थोड़ा सा ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को हम सब को समझना पड़ेगा कि हिन्दोस्तान में कास्ट (जातियों) की परिस्थिति जबरदस्ती के साथ समाज की प्रगति को जकड़े हुए है। जो शोषित, पीड़ित लोग हैं वह एक जगह एकत्रित होते हैं—यह कोई छिपाने की बात नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी के बैकवर्ड लोग हों या दूसरी पार्टियों के बैकवर्ड लोग हों, जो विधान सभा के सदस्य हैं वह भी मिलते रहते हैं इसी दारुल शफा के कमरों में। मैं इसको छिपाना नहीं चाहता, स्पष्ट तरीके से रखना चाहता हूं कि क्यों मिलते रहते हैं? इसलिये कि उनकी समस्याएं हैं, समाज में वह आज भी तिरस्कृत हैं। अगर साम्य दृष्टि से देखा जाय, जैसे हमने एक पातंजलि का उद्धरण दिया था कि "समभ् अजन्ति जनाह अस्मिंन् समाजः"। जहां मनुष्य समान भाव से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं वही समाज है। तो इस प्रकार बार-बार बुद्धि विभ्रमजन्य भ्रान्ति में विचरण करने से समाज का उत्थान नहीं होगा।

अब जहां तक चांसलर का प्रश्न है तो मैं एक शब्द में रख देना चाहता हूं कि कभी भी, किसी माने में गवर्नर महोदय को नहीं बनना चाहिये। गवर्नर महोदय से लाख गुने अच्छे होंगे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब मैं गवर्नर की बात कहता हूं तो उससे कहीं हमारे ही प्रान्त के वर्तमान गवर्नर की बात न ले लें। क्योंकि हो सकता है कि जैसे समाचार-पत्रों में निकल भी चुका है, सामान्य वाद-विवाद के समय पन्त जी ने कहा था कि वर्तमान गवर्नर महोदय ने जब शिक्षा प्रेम की बात कही तो बहुत से लोग टीका-टिप्पणी करते हैं। यद्यपि मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं वर्तमान गवर्नर महोदय की शिक्षा नीति से घोर असन्तुष्ट हूं और अपने को उस नीति के पक्ष में कर नहीं पाता हूं।

श्री अध्यक्ष—राज्यपाल महोदय पर आक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री राजनारायण—मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, यह तो प्रसंगवश कह दिया। मैं कह रहा था कि यदि चांसलर के पद पर गवर्नर महोदय रहते हैं तो माननीय मंत्री जी लिख लें कि अगर शिक्षा की प्रगति करना उनका उद्देश्य होगा तो मैं समझता हूं कि धारा के प्रवाह में जो इस समय का प्रभाव सारे मुल्क पर छा गया उसका असर उन पर भी पड़ेगा और उनको फिर इसमें संशोधन लाना पड़ेगा। क्योंकि जनमत जो शिक्षा चाहता है उसमें इस प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप कदापि भी वह बरदाश्त नहीं कर सकता और इससे बहुत क्षुब्ध वातावरण होगा और उसके फलस्वरूप सरकार को एक संशोधन फिर लाना ही पड़ेगा, इसमें हमें तनिक भी अविश्वास करने की गुंजायश नहीं है। मैं दृढ़ता के साथ, साहस के साथ और सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक परिस्थिति का विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सरकार को साल दो साल के अन्दर इस अधिनियम में कोई न कोई जनतान्त्रिक संशोधन फिर लाना पड़ेगा। इसलये मैं निवेदन करता हूं और यह भी छिपाने की बात नहीं है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सारे कैबिनेट के मेम्बरों को भी अपने साथ इस विधेयक के सम्बन्ध में नहीं रख सके हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी हर विषय पर बोलते हैं, लेकिन शिक्षा सम्बन्धी इतना बड़ा विधेयक है, पूरा सामान्य वादविवाद समाप्त हो गया लेकिन उनका भाषण सुनने को न मिला।

श्री अध्यक्ष—आप क्या उनको बोलने के लिये निमंत्रण देते हैं?

श्री राज नारायण—हां मैं चाहता हूं, कि वह अपने विचार सदन के सम्मुख रखें।

श्री अध्यक्ष—लेकिन जो बोला ही नहीं उसके सम्बन्ध में तो टीका आप नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनारायण---जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द जी हैं उनको भी सामान्य वादविवाद में हिस्सा लेना चाहिए था और उनके जो लेख निकले थे उन्होंने उसमें हमारे समाज के मौलिक स्वरूप को परिवर्तित करने के लिये बाधक स्वरूप आज की मिक्स्ड इकानोमी (मिश्रित अर्थनीति) को दोष दिया था। माननीय शिक्षा मंत्री जी यह न समझें कि सरकार की ओर से चूंकि एक मसौदा आया है इसलिये हम खामखा उसका विरोध कर रहे हैं ऐसी हमारी आदत नहीं है और माननीय शिक्षा मंत्री जी की भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। वह उदार बनें और वस्तुस्थिति का विश्लेषण करें और केवल एक नुक्ते नजर से न करें न सारे देश के वातावरण को सामने रख कर कि किस तरह का समाज है, किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, केवल रूस और चीन को समय समय पर कोस देने से काम नहीं चल सकता। माननीय झारखंडे राय.....

श्री अध्यक्ष---सामान्य वादविवाद का जवाब तो आप नहीं दे रहे हैं। केवल संशोधन पर बोलिए।

श्री राजनारायण---मैं सामान्य वादविवाद का जवाब नहीं दे रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। चांसलर महोदय के पद को जब गवर्नर साहब सुशोभित करेंगे तो गवर्नर महोदय तो नाममात्र के लिए सुशोभित करेंगे। डिफैक्टो सरकार सुशोभित करेगी तो डिफैक्टो और डि जूरे का डिफरेंस (वस्तुस्थिति तथा कानूनी स्थिति का अन्तर) है। उसको दृष्टि में रखते हुए अगर माननीय शिक्षा मंत्री चलेंगे तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे कि गवर्नर महोदय को चांसलर के पद पर सुशोभित होना शिक्षा की प्रगति में सहायक नहीं होगा, सहायक ही नहीं बल्कि वह बाधक होगा और उस बाधा से जो परिस्थिति पैदा होगी उससे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी परेशान होंगे और हम भी परेशान होंगे, सारा समाज भी परेशान होगा। इसीलिए मैं बारबार निवेदन करता हूं श्रीमन्,माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बीच में एक बात कह दी ठीक है, यदि आप इस क्षुब्ध वातावरण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं रोक रहा हूं क्योंकि गृह विभाग ने सूचना दी थी कि कुछ विद्यार्थी यहां पर आये हैं फिर एजिटेशन (आंदोलन) करने के लिए। हमने, जहां तक हमारा बस चला उनसे कहा कि अभी एजिटेशन मत करो। लेकिन इस बात को शायद शिक्षा मंत्री महोदय जानते नहीं जहां तक हमारा ताल्लुक है हम स्वस्थ वातावरण चाहते हैं, जनतांत्रिक पद्धति चाहते हैं और जनतांन्त्रिक पद्धति के साथ साथ जनतांत्रिक परम्परा और प्रणाली भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जनतांत्रिक पद्धति तो हो जाय लेकिन जनतांन्त्रिक मेथड (तरीका) न हो। हम जनतांत्रिक मेथड (प्रणाली) से चल कर जनतांत्रिक सिस्टम चाहते हैं डेक्टोटेरियल मेथड से डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चाहते, एकाधिपत्य तरीके से जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं चाहते, उसके चाहने वाले तो माननीय झारखंडे राय या कम्युनिस्ट पार्टी हो सकती है। हम तो डैमोक्रेटिक मेथड से डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं और यही सम्भव भी है। श्रीमन्, चूंकि आप कहते हैं कि सामान्य वादविवाद नहीं है, क्योंकि बड़ा अहम सवाल है, शायद सामान्य तरीके से देखेंगे तो जनतांन्त्रिक तरीका और जनतान्त्रिक पद्धति का अन्तर समझने में दिक्कत पड़ेगी। लेकिन जनतांत्रिक प्रणाली और जनतांत्रिक पद्धति दोनों का ही समन्वय हो, दोनों को योगी होने से देश और दुनिया का विकास हो सकता है वरना नहीं हो सकता है। एकाधिपत्य की प्रणाली से जनतान्त्रिक व्यवस्था का जन्म असम्भव सा है।

श्री झारखंडे राय. (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जोरावर वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट के पहले हिस्से का समर्थन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने मुख्य भाषण में इस बात को स्पष्ट

किया था कि वह युनिवर्सिटी को राजनीति के ऊपर रखना चाहते हैं और उस भाव का इस सदन में सबने समर्थन किया था। चाहे वह उनका भाव इस विधेयक से पूरा हो या न हो यह दूसरी बात है। लेकिन जहां तक भाव का सम्बन्ध है उसका सबने समर्थन किया था और वह सचमुच एक प्रशंसा की चीज है। गवर्नर महोदय इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के चांसलर बनें या प्रदेश के चीफ जस्टिस चांसलर बनें यह प्रश्न गौर तलब है मैं समझता हूं कि सभी इस बात से सहमत होंगे कि गवर्नर महोदय राजनीति के ऊपर नहीं हो सकते। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि गवर्नर महोदय, खास कर जब से १९४७ अगस्त में ब्रिटेन के हाथों से सत्ता हस्तान्तरित हुई है उसके पश्चात् जितने गवर्नर हमारे देश के किसी सूबे के बने, उनमें एकाध अपवाद को छोड़ कर सभी गवर्नर ऐसे हुए जो राजनीति के पुराने महारथी रह चुके हैं जिनकी अपनी राजनीति रही है और उससे न वे आज ऊपर हैं, न नीचे हैं बल्कि वही हैं उनमें एक हैं। इसलिये उसका प्रभाव उनकी राजनीति का प्रभाव युनिवर्सिटी पर अवश्य रहेगा। तो जो शिक्षा मंत्री जी का उद्देश्य है वह इस बिल को रखने का वह पूरा नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि अगर यह असम्भव कल्पना कर भी ली जाय कि वह राजनीति से ऊपर हैं तब भी गवर्नर महोदय जो कुछ भी बड़ा कदम उठायेंगे, युनिवर्सिटी के मसले में, वे सरकार से, खास कर शिक्षा मंत्री से और उनके विभाग से जरूर राय लेंगे। ऐसी हालत में दोनों दृष्टियों से अगर देखा जाय केवल गवर्नर महोदय का ही हस्तक्षेप हो युनिवर्सिटी के नित्यप्रति के शासन में, तो युनिवर्सिटी का सीधा शिक्षा विभाग से सम्बन्ध जुड़ जाने की वजह से दोनों तरह से युनीवर्सिटी में राजनीति घुस जायगी और इस तरह से शिक्षा मंत्री का जो उद्देश्य है इस बिल को पेश करने का वह पूरा नहीं हो सकता। इसलिये इलाहाबाद युनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर महोदय को बनाना उचित न होगा, उनकी जगह चीफ जस्टिस को बनाया जाय तो अधिक उचित होगा।

माननीय काटजू जी ने कल एक तर्क दिया। मैं समझता हूं कि शायद ही ऐसा कोई चीफ जस्टिस हो जिसकी कोई अपनी विशेष राजनीति हो। राजनीति से परे आज की दुनिया में अगर कोई बुर्जुआ सोसाइटी में माना जाता है तो जज लोगों को ही माना जाता है। उनकी कोई विशिष्ट राजनीति नहीं होती यह आम विचार लोगों का है। वे राजनीति के ऊपर माने जाते हैं। इसलिये जहां तक राजनीति से परे होने का संबंध है चीफ जस्टिस ही चांसलर पद के लिये सबसे उपयुक्त हो सकते हैं।

एक बात और है। हमारा सूबा बहुत पुराना है, उसकी सब चीजें पुरानी हैं, युनिवर्सिटी भी पुरानी है और कायदे कानून भी पुराने हैं और जो अधिनियम बनाया गया है वह भी पुराना है लेकिन एक नये सूबे में नया कदम अगर उठाया गया है, आंध्र में चीफ जस्टिस को चांसलर बनाया गया है और वहां कोई विशेष दिक्कत नहीं पड़ रही है जो शिक्षा मंत्री तो वहां के अनुभव से लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। अगर देखें कि ऐसा करने से युनिवर्सिटी के प्रशासन में दिक्कत पड़ती है और प्रबन्ध नहीं चल पा रहा है तो उसमें फिर तब्दीली हो सकती है, यह तो गवर्नमेंट के बायें हाथ का खेल है, किसी भी समय तब्दीली की जा सकती है। लेकिन नये सूबे में जो एक नमूना पेश किया गया है और कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है तो उससे उनको सबक लेना चाहिये।

माननीय महावीर प्रसाद शुक्ल ने कहा कि माननीय गवर्नर के विरुद्ध लखनऊ युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने हमारे भवन के सामने नारे लगाये। यह तो राजनीति का प्रश्न है। जब विद्यार्थी समुदाय एक चीज को गलत समझता है तो चाहे फिर चीफ जस्टिस हो, हम हों, गवर्नर हों, या शिक्षा मंत्री हों, उनके खिलाफ वे नारे लगायेंगे ही और उसका फल उनको भुगतना होगा और मैं समझता हूं कि इस बात के लिये तैयार होकर वे ऐसा काम करते हैं।

[श्री झारखंडे राय]

जहां तक इस संशोधन के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है मैं उसकी भावना से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। माननीय राजनारायण जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं। लेकिन जहां तक इस जहनियत का संबंध है जिसके आधार पर श्री वर्मा जी ने इसको रखा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि हरिजनों का उद्धार केवल कुछ सीटें रिजर्व करने से हो जायगा। ऐसा मेरा विचार नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस जहनियत के पीछे जो वास्तविकता है उसको समझने की कोशिश हमें करनी चाहिये। आज जो हरिजन समुदाय है उसके अन्दर जो सुविधा आज उन्हें मिली है उसके होते हुये और सरकार ने जो बराबर उनको सुविधा दी उसके बावजूद और हमारे संविधान ने उनके लिये जो संरक्षण की गारन्टी है इन सब के होते हुये भी आज जो दैनिक जीवन में उनको असमानता और विषमता तथा विभेद का अनुभव होता है और खासतौर से कास्ट हिन्दुओं की तरफ से, खाने पीने और रहन सहन के बारे में जो छुआछूत का बर्ताव आज भी होता है, यह चीज उनको बहुत खटकती है, चुभती है तथा कड़ुई महसूस होती है और इसकी प्रतिक्रिया के कारण ही वह जहनियत यहां पर दिखाई पड़ती है। वह चीज मुझको भी खटकती है। वैसा तो मैं नहीं समझता जैसा कि काटजू साहब ने समझा और जिसके कारण मुसलिम लीग की तरह से होने का उनके लिये कहा था। मैं तो यह समझता हूं कि कास्ट हिन्दुओं की तरफ से जो दैनिक व्यवहार है उसकी वजह से, बावजूद कानून के रहते हुये उनके ऊपर इसकी प्रतिक्रिया होती है और यहां पर जो हरिजन भाई सदस्य हैं उनके प्रश्नों और भाषणों में इन बातों का संकेत मिलता है और वही चीज इस संशोधन के हिस्से में भी मालूम होती है। जो कास्ट हिन्दूज हैं उनके लिये यह एक वार्निंग है और जो कास्ट हिन्दूज इस पुरानी पद्धति को मानते हैं उनके लिये यह चेतावनी है। इस चीज से अपने को अलग रखें और जो कानून ने उनको सुविधा दी है वह भी उनको दिलायें। अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि कानून के अन्दर हरिजनों को अधिकार दिये गये हैं लेकिन आज भी मंदिरों के दरवाजे उनके लिये बन्द हैं। मंदिरों के दरवाजे हरिजनों के लिये नहीं खुलते हैं। चाहे वहां पर भगवान् हो या न हों यह तो दूसरी बात है। लेकिन जो भी इसमें विश्वास करते हैं उनके लिये मंदिरों के पट बन्द हैं। मंदिर की चहारदीवारी में ताला कुंजी के जरिये भगवान् को भी बन्द कर देते हैं। जो चीज इस दैनिक व्यवहार में दिखायी पड़ती है जो हमारे समाज में पिछड़े हुये हैं उनको यह चीज महसूस होती है और उसी एहसास की ही यह प्रतिक्रिया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करूंगा कि जो सर्वप्रथम उद्देश्य इस बिल को पेश करने का रहा है कि यूनिवर्सिटी को राजनीति से ऊपर रखा जाय उसके लिये मैं उनसे अपील करूंगा कि चांसलरशिप के पद पर गवर्नर को बैठाने की कोशिश न की जाय। चीफ जस्टिस को उस पर स्थापित करने की कोशिश की जाय।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--श्रीमन् इस संशोधन के संबंध में जो बातें कही गयी वह प्रायः सभी सामान्य विवाद के समय कही गयी थी और इसी के कारण मैंने यह उचित नहीं समझा कि मैं उस पर बोलूं। यों तो अपना विरोध समय समय पर मैं प्रकट कर देता हूं लेकिन राजनारायण जी के भाषण के बाद और जो उन्होंने बुनियादी बातों की शिक्षा दी उसके लिये मैं समझता हूं कि यह सदन उनका सदैव कृतज्ञ रहेगा। वह जब कभी भाषण देते हैं तो बुनियादी बातों को कभी नहीं भूलते हैं। तो मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं भी अपने विचार इस पर प्रकट करूं। इस विधेयक में जो यह संशोधन रखा गया है उसके पीछे यह कोई भाव नहीं था कि गवर्नर चांसलर हो या न हो। यह तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मूल अधिनियम में ही चला आ रहा था। यह चला आ रहा है कि राज्यपाल वहां के कुलपति होंगे। लेकिन यह विधेयक बनाते समय जब धारा १० देखी गयी तो उसमें मुझे एक बड़ी विलक्षण चीज मिली। उसमें लिखा हुआ है कि "दी चांसलर शैल बी दी गवर्नर आफ यू० पी०।" इस प्रकार से मूल अधिनियम की धारा १० शुरू हुयी थी। मैंने यह सोचा कि जब यह विधेयक बन रहा है तो उसमें एक ऐसी बड़ी गलती छूट न जानी चाहिये। आपने देखा कि उसमें लिखा हुआ है "दी चांसलर

शैल बी दी गवर्नर आफ यू० पी० ।" इसका अर्थ यह होगा कि विश्वविद्यालय का चांसलर हो वह वहां के चांसलर होने के कारण यू० पी० का राज्यपाल भी हो जायगा। केवल इसीलिये यह संशोधन इस विधेयक में रक्खा गया था। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में भी कहा था कि यह विधेयक मूलतः राधाकृष्णन कमीशन और मूयम कमेटी की रिपोर्टों पर आधारित है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस प्रश्न का उत्तर अपने भाषण में दे दिया था और उसको दुहराने से मैं समझता हूं कि भवन के समय का दुरुपयोग होगा। मूथम साहब ने स्वतः इस प्रश्न पर विचार किया और अन्त में वे इस नतीजे पर आये कि गवर्नर को ही यहां का कुलपति होना चाहिये। मैं सब प्रश्नों में तो नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गवर्नर कोई भी हों, गवर्नर होने के पूर्व उनका राजनीति में चाहे जो भाग रहा हो लेकिन संविधान में ऐसा माना गया है कि जो कोई भी गवर्नर होगा वह राजनीति से परे होगा और मैं चाहता हूं कि यदि भवन के माननीय सदस्य यह कहें कि हम लोगों में इस बात की क्षमता नहीं है कि एक ऐसे पद पर नियुक्त होने के पश्चात् जिस पद से राजनीति का कोई संबंध नहीं है, हम राजनीति से अपने को अलग नहीं कर सकते हैं, तो यह हम लोगों के लिये लज्जा की बात है। हम समझते हैं कि हममें ऐसे व्यक्ति आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे जो गवर्नर होने के पूर्व राजनीति में कोई भी भाग लेते रहे हों या उनकी ऐसी ड्यूटी हो जाती है जिस पर रहने पर संविधान उनसे यह आशा करता है कि राजनीति से उनका कोई संबंध न होगा तो वे अपने को ऐसा साबित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिये मैं इस दलील को नहीं मान सकता कि अगर किसी ने राजनीति में हिस्सा लिया है तो उसको इस पद से वंचित किया जाय या वर्तमान गवर्नर महोदय अपने को राजनीति से अलहैदा नहीं रख सकते।

श्री झारखंडे राय—उनका आज भी राजनीति में एक विशिष्ट स्थान है।

श्री हरगोविन्दसिंह—जहां तक हमारे वर्तमान राज्यपाल का संबंध है मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रगट करना चाहता हूं और यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने कुलपति की हैसियत से, उनके पूर्व जितने कुलपति हुये हैं विश्वविद्यालय की शिक्षा में विशेष दिलचस्पी ली है। शिकायत होने के कारण भी मैं जानता हूं कि विश्वविद्यालय में जिन लोगों के स्वार्थ हो गये हैं वे अपने उन स्वार्थों की रक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे बने रहें उसी प्रकार से उन लोगों की ओर से यह आवाज उठायी गयी है कि राज्यपाल को कुलपति नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण—इस पर मुझे आपत्ति है श्रीमन् हम लोगों का उसमें कोई स्वार्थ नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने आपको कहा ही नहीं यह आपकी समझ का फेर है।

श्री अध्यक्ष—आपके बारे में उन्होंने नहीं कहा, यह उनकी पार्टी के अन्दर की बात है।

श्री हरगोविन्दसिंह—उनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं और यही नहीं श्रीमन् मैं अपना विश्वास भी आपके सम्मुख और आपके द्वारा भवन के सदस्यों के सम्मुख प्रकट करना चाहता हूं कि अगर हमारे वर्तमान राज्यपाल के सदृश हमारे भविष्य में भी कुलपति रहते रहे तो मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारे इस विश्वविद्यालय का स्तर अवश्य ऊंचा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि वर्तमान राज्यपाल से, वर्तमान कुलपति से इस संशोधन का कोई संबंध नहीं है उनको इस विवाद में घसीटना उनके प्रति एक अन्याय होगा। श्री राजनारायण जी ने कहा कि मालवीय जी जब वाइस चांसलर थे तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उसको पढा भी क्योंकि बिना पढ़े और बातें कहने की उनकी काफी आदत है। लेकिन जहां तक मुझको मालूम था और जिस समय मैं विश्व विद्यालय का छात्र था उस समय यू० पी० के लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके विजिटर हुआ करते थे।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

The Lieutenant -Governor for the time being of the United Provinces of Agra and Oudh shall be the Visitor of the University.

श्री राजनारायण--विजिटर को वह पावर नहीं थी।

श्री हरगोविन्दसिंह--लेफ्टिनेंट गवर्नर यू० पी० का जो विजिटर हुआ करता था उनके पावर क्या थे वह भी मैं उनको पढ़ कर जरा सुना देता हूं :

"All new Statutes or additions to the Statutes or amendments or repeals to Statutes other than Statutes providing for the instruction of Hindu students in Hindu religion, shall require the previous approval of the Visitor, who may sanction, disallow or remit them for further consideration."

श्री अध्यक्ष--आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--यह बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी ऐक्ट है।

तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विजिटर हुआ करता था उसको वे ही पावर थे जो आज स्टेट्यूट द्वारा चांसलर को पावर हैं लेकिन फिर भी राजनारायण जी .....

श्री राजनारायण--आपने गलतफहमी में शायद दूसरा पढ़ दिया। मैं दे देता हूं इसमें तो दूसरी बात है।

श्री हरगोविन्दसिंह--आप क्या पढ़ देंगे। जब पुराना बनारस युनिवर्सिटी ऐक्ट बना तब तक का यह है।

श्री राजनारायण--मेरे पास बिलकुल नया है।

श्री हरगोविन्दसिंह--बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट मालवीय जी के समय में बना था।

श्री राजनारायण--उस समय मालवीय जी ने उसका विरोध किया था।

श्री हरगोविन्दसिंह--तो यह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विजिटर हुआ करता था और गवर्नर जनरल रेक्टर हुआ करता था। यह पावर एक्सरसाइजेबिल गवर्नर जनरल से था। गवर्नर का किस कारण से यह आदर्श और उद्देश्य होना चाहिये कि उसको किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति नहीं होना चाहिये, यह चीज मैं समझ नहीं सका। राधाकृष्णन जी ने भी यही कहा कि अभी तक करीब करीब जितने विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में हैं उन सब के कुलपति वहां के राज्यपाल हुआ करते हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रबन्ध जो है कि कुलपति राज्यपाल हुआ करे, यह बड़ी अच्छी तरह चला भी है। वस्तुतः उन प्रांतों में जहां एक विश्वविद्यालय है वहां तो बहुत अच्छी तरह से यह प्रबन्ध सफल हुआ है। उन्होंने यह विचार किया कि जहां बहुत से विश्वविद्यालय है वहां शायद स्वतः राज्यपाल यह समझें कि वह उन सभी विश्वविद्यालयों को पर्याप्त समय न दे सकें, उस कारण वहां यह हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति चांसलर बनाया जाय। तो जहां तक कि गवर्नर के चांसलर होने का संबंध है, इस सिद्धांत के प्रति राधाकृष्णन कमीशन को मुखालिफत नहीं है। वह यह कहते हैं कि यह एक अच्छी चीज है, एक हेल्दी चीज है और इससे कोई गड़बड़ी नहीं होती, हां समयाभाव के कारण संभव हो सकता है कि राज्यपाल को उचित समय न मिले कि वह सब विश्वविद्यालयों को इतना समय दे सकें जितना उनको देना चाहिये यदि वह सब विश्वविद्यालयों के चांसलर हों। आप के प्रांत में कई यूनिवर्सिटी हैं, दो के कुलपति वह नहीं हैं तीन के चांसलर हैं। एक आगरा यूनिवर्सिटी है जो आप जानते हैं एक टीचिंग युनिवर्सिटी नहीं है और केवल एक एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी है जो परीक्षा लेती

है, उसमें जहां तक चांसलर के समय देने का संबंध है उन्हें बहुत कम समय देना पड़ता है। यह लखनऊ और प्रयाग के दो विश्वविद्यालय जरूर ऐसे हैं जिनमें उनका समय काफी लग सकता है और जैसा कि मैंने पहले कहा यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे वर्तमान चांसलर काफी समय देते हैं। पर उनके खिलाफ जो यूनिवर्सिटी में वातावरण पैदा किया जा रहा है उसकी वजह तो यह है उसकी वजह यह नहीं है कि चांसलर यूनिवर्सिटी में दिलचस्पी नहीं लेते और समय नहीं देते बल्कि शिकायत अक्सर इस बात की है कि चांसलर आवश्यकता से अधिक या उनके पूर्व के और चांसलर जितना समय देते थे उससे अधिक समय वह देते हैं। तो जिस कारण से यह मुखालफत हो रही है ठीक उसी कारण से यह आवश्यक है कि वहां के राज्यपाल ही चांसलर बनाये जायं।

अब मुकाबला चीफजस्टिस का है, एक वैधानिक प्रश्न की अवहेलना नहीं हो सकती और यहां हम अपने किसी कानून के द्वारा चीफ जस्टिस या हाईकोर्ट के न्यायाधीश को बाध्य नहीं कर सकते कि वह इस तरह का कोई कार्यभार अपने ऊपर ले लें। अगर हम कोई ऐसा कानून बनायें भी, तो इसके पूर्व कि वह ऐक्ट बने यह आवश्यक होगा कि हम राज्यपाल से उसकी अनुमति लें और बिना अनुमति के हम उनको कोई कार्यभार नहीं सौंप सकते। तो एक दिक्कत तो यह है लेकिन अगर वह भी नहीं होती तब भी मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस को किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाना इतनी गलत बात है जिसका कोई दूसरा नमूना पेश नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस का चांसलर बनाना हमारी समझ में नहीं आता, वह कानून की बात हो तो ठीक है लेकिन उनमें किसी विश्वविद्यालय का चांसलर बनने की क्या विशेष योग्यता होती है। मूथम कमेटी में भी लिखा है कि जो राज्यपाल मुकर्रर किये जाते हैं वह बड़े ब्राडर आउटलुक के आदमी होते हैं और जिनको जीवन के हर अंग का काफी अनुभव होता है और इसी कारण से वह गवर्नर बनाये जाते हैं और ऐसे आदमियों को चांसलर होना चाहिये। लेकिन जो किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो और चीफ जस्टिस हो जिसको दुनिया से कोई संबंध न हो जिसके ऊपर एक प्रकार से यह प्रतिबन्ध लगा हो कि और व्यक्तियों की भांति लोगों से नहीं मिल सकता, उनके सम्पर्क में नहीं आ सकता उसको यदि हम कुलपति बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी के स्तर को और नीचे लाना होगा। इस कारण यह प्रश्न उठता नहीं।

अब दूसरा अंग जो संशोधन का है कि जहां कुलपति द्वारा कुछ नामजदगियां यूनिवर्सिटीज की बाडीज में होती हों वहां एक प्रतिबन्ध यह लगा दिया जाय कुलपति के ऊपर कि जब वह ऐसी नामजदगियां करें तो उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की भी नामजदगियां करें। आप यदि देखें तो मूल अधिनियम में ऐसी एक धारा थी जिसमें यह था कि माइनारिटीज के सदस्यों की नामजदगियां वह करें। उसको भी हटाया गया। अब उसको हटा करके हमारे लिये यह कैसे संभव हो सकता है कि माइनारिटीज की जो धारा थी वह तो हटा दें और उसके बाद अब स्वीकार करें एक संशोधन जिससे हम शिड्यूल्ड कास्ट्स तक पहुंच जायें। मैं माननीय जोरावर वर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह स्वयं इस पर विचार करें कि उसके पीछे यह भाव नहीं था कि हम यह चाहते हैं कि हम इन कायों से हरिजनों को वंचित रखें बल्कि ठीक इसके विपरीत धारणा यह है कि हम उनको और नजदीक लावें और इस बात का प्रयत्न करें कि अभी तक समाज में जो खाई बन गई है वह धीरे धीरे पटे और उसके पटने का तरीका यही हो सकता है और उसके विपरीत और दूसरा कोई नहीं हो सकता है कि हम उनको नजदीक ले आवें, जो भेदभाव हैं उनको अलग करें और अगर हम जहां खाई नहीं भी है, जहां भेद नहीं भी है जहां विभाजन नहीं भी है वहां भी विभाजन करते जावें तो नतीजा यही होगा कि इस समस्या का रूप और विकसित होता जायगा और बढ़ता जायगा। तो माइनारिटीज की जो धारा मैंने निकाली वह केवल इस कारण निकाली। मैं यह चाहता हूं और हम समझते है कि हम सभी चाहे जो इस भवन के सदस्य है या नहीं है सभी चाहते हैं कि हमारे देश में जल्द से जल्द एक ऐसा वातावरण पैदा हो जिसमें हिन्दू मुसलमान, ईसाई, पारसी, ठाकुर, ब्राह्मण के सभी भेद मिट जायं, हर एक अपने को इस देश का नागरिक और बराबर का नागरिक समझे। यह हम चाहते हैं इसमें चाहे कितना ही समय

[श्री हरगोविन्द सिंह]

लगे, कितना ही प्रयत्न क्यों न करना पड़े लेकिन जितने भी हम भवन के सदस्य हैं या इसके बाहर हैं जो राष्ट्रीय विचार के लोग हैं वह यही चाहते हैं कि ऐसी अवस्था जल्द इस देश में स्थापित हो जाय। तो इसको देखते हुये इस भावना को रखते हुये आप उस जगह भी जहां कि इस चीज का कोई स्थान नहीं है, नहीं होना चाहिये, वहां भी अगर ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं तो इससे मैं समझता हूं कि हरिजनों का कोई कल्याण तो नहीं हो सकता, होगा भी नहीं बल्कि और लोगों के दिलों में उनके प्रति एक रोष का भाव पैदा होगा जिससे उनका अकल्याण हो सकता है तो इस कारण मैं मजबूर हूं अपने विश्वास के कारण हम उस संशोधन को भी मान नहीं सकते तो जहां तक इस संशोधन के इन दोनों अंगों का संबंध है मैं समझता हूं कि जितनी दलीलें उनके पक्ष और विपक्ष में हो सकती थीं दे दी गई हैं अब उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा भी नहीं है और समय भी मैं भवन का नहीं लेना चाहता। इन कारणों से मैं इस संपूर्ण संशोधन का, उसके दोनों अंगों का विरोध करता हूं।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन के पहले भाग और दूसरे भाग का दोनों का पूर्णरूप से विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, मैंने दो विशलेषण दो सज्जनों के जब वह दूसरे भाग को स्वीकृत नहीं कर रहे थे, इस सदन में सुनें। एक विशलेषण तो माननीय राजनारायण जी का था जिसमें उन्होंने यह फरमाया बड़ी कृपा करके, कि माननीय जोरावर वर्मा जी जो इस संशोधन को रखे हुये हैं वह सम्भवतः शायद इस भावना से रखे हुये हैं कि इधर के लोगों का व्यवहार हरिजनों के प्रति उन्हें ऐसा संशोधन लाने के लिये वाध्य करता है इसके सबूत में राजनारायण जी ने यह भी कहा कि उन्हें यह सब पता है कि दारुलशफा के कमरों में कैसी बैठकें हुआ करती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे दुख और तकलीफ होती है जब विरोधी दल के नेता इस प्रकार की बातें उपस्थित करते हैं। मालूम नहीं दारुलशफा के कमरों में उनके सलाह मश्विरे से कहां और क्या बातें हुआ करती हैं और इस सदन को पूरी तौर से पता नहीं है। और मैं तो केवल इस विशलेषण का अर्थ इतना लगाता हूं कि वह हर समय इस ताक में रहते हैं, जैसे कि एक कहावत मशहूर है कि एक वर्ग ऐसा होता है जो सुबह उठकर पत्थर लुढ़का दिया करता है कि आज कोई मरे तो उसको कुछ मिले, इस विशलेषण का अर्थ मैं केवल इतना ही लगाता हूं कि मौके बेमौके ऐसी बात कर देना कि शायद कुछ आदमियों के दिमाग में ऐसी बात पैदा हो जाय जिससे कि वह फायदा उठा सकें। यह कोई वैज्ञानिक विशलेषण नहीं हुआ, यद्यपि उन्होंने उस भाग का विरोध किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय झारखंडेराय जी का आभारी हूं उन्होंने एक वैज्ञानिक विशलेषण किया जोरावर वर्मा जी के दूसरे भाग का विरोध करते हुये। उन्होंने यह भी स्वीकार किया, और यह सत्य है कि संविधान के अन्दर हरिजनों को काफी संरक्षण है। उन्होंने यह भी माना कि उनको सरकार की तरफ से काफी सुविधायें दी जा रही हैं, यह एक स्पष्टवादिता है। लेकिन आगे चल करके उन्होंने जो कहा कि दैनिक जीवन की विषमता ही हो सकती है जिसने जोरावर वर्मा जी को ऐसा संशोधन लाने के लिये उत्साहित किया हो। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि दैनिक जीवन में विषमता है हरिजनों में और गैरहरिजनों में और कभी-कभी हो सकता है कि उससे कोई उतावला हो कर ऐसा कदम उठावें। लेकिन जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि जिस खाई को पाटा जा रहा है और निरंतर जिसको पाटने का प्रयत्न किया जा रहा है उसको चौड़ा करने का यह रास्ता इस संशोधन के द्वारा है। और ऐसी मनोवृत्ति इस देश के अन्दर काफी व्यक्तियों की है जो मनोवृत्ति इस संशोधन में झलकती है कि आज वह समझते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय भूल से समझते हैं कि हरिजन, हरिजन चिल्ला देने से, उनकी कुछ सुरक्षा की बातें कर देने से, संभवतः समाज के उस भाग का वह नेतृत्व कर सकें! मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस नेतृत्व का पक्षपाती नहीं हूं। इससे न तो कोई नेतृत्व मिल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है और न समाज के उस भाग का कल्याण ही हो सकता है। उदाहरण के लिये इस प्रकार की भावना का सबसे अधिक प्रचार किया है इस देश के अन्दर डां० अम्बेदकर ने। और पूर्ण देश और समाज इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें हमारे देश में खड़े होने के लिये बड़ी मुश्किल से जगह मिल रही है और जहां तक दूसरे भाग का संबंध है समाज का और उस वर्ग का भी कल्याण नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे ज्यादा इसको कोई नहीं जानता होगा कि इस तरह की बात इस देश में करने से सम्पूर्ण देश का नुकसान होगा, उस हिन्दू समाज का और उस वर्ग का जिसके लिये यह संशोधन रखा गया है, उसका भी नुक्सान होग। इसलिये मैं इस संशोधन के इस भाग का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। रही बात दूसरे की कि माननीय राज्यपाल जी इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चांसलर हों कि न हों तो मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात पर ताज्जुब होता है। यह मैं मानता हूं कि माननीय चीफ जस्टिस जो हैं उनका पद जो है वह बहुत बड़ा पद है लेकिन यह भी अपनी जगह पर सत्य है और सही है कि माननीय राज्यपाल का जो स्थान है वह राज्य में सबसे बड़ा है और किसी यूनिवर्सिटी के लिये, किसी विश्वविद्यालय के लिये इस राज्य के सबसे बड़े पद का अधिकारी उसका चांसलर हो, इससे बढकर और गौरव और गर्व की बात नहीं हो सकती है। जहां तक इलाहाबाद युनिवर्सिटी का संबंध है इलाहाबाद युनिवर्सिटी को माननीय अध्यक्ष महोदय गर्व होगा माननीय राज्यपाल को अपना चांसलर बनाकर। यह हो सकता है, माननीय राजनारायण जी को, यद्यपि माननीय राजनारायण जी और माननीय हमारे मंत्री जी दोनों बनारस युनिवर्सिटी के हैं, दोनों को कुछ मतभेद हो सकता है लेकिन इलाहाबाद युनिवर्सिटी का जहां तक संबंध है वह इतने बड़े गौरव को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। यह बातें संभव हो सकती हैं और बनारस युनिवर्सिटी में शायद हो जायं। लेकिन इलाहाबाद युनिवर्सिटी इस चीज को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल का संरक्षण इस युनिवर्सिटी को अवश्य मिलना चाहिये। वह राज्य की शिक्षा की नीति को और राज्य की शिक्षा की प्रगति को जानते हैं और राज्य की स्थिति को भी जानते हैं और उसकी आवश्यकताओं को समझते हैं क्योंकि वह राज्य का संचालन करते रहते हैं और उस आधार पर विश्वविद्यालय की भी आवश्यकताओं को समझते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय यह युनिवर्सिटी के भी हित में होगा कि युनिवर्सिटी की आवश्यकताओं को जो सबसे ज्यादा समझता हो और जो राज्य का भी हेड हो, वह उसका चांसलर हो। उनका सरकार से भी इतना घनिष्ठ संबंध रहता है कि वह युनिवर्सिटी की आवश्यकताओं को पूरा कराने में सहायक हो सकते हैं। इसलिये जहां तक युनिवर्सिटी के हित का संबंध है जहां तक उसको आर्थिक सहायता मिलने का संबंध है, जहां तक युनिवर्सिटी की आवश्यकताओं को पूरा कराने का संबंध है सरकार से, इसके लिये राज्यपाल से बढ़कर के कोई और व्यक्ति नहीं मिल सकता है जो इसमें युनिवर्सिटी के लिये सहायक हो सके। रही बात एक और माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय झारखंडेराय जी ने यह कहा कि वह युनिवर्सिटी राजनीति से परे रखना चाहते हैं, यह मैं मानता हूं कि युनिवर्सिटी को राजनीति से परे रहना चाहिये और आज की युनिवर्सिटियां परे हैं भी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार चाहे कि युनिवर्सिटियां राजनीति से परे रहें, माननीय चांसलर चाहें कि वह राजनिति से परे रहें और मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि युनिवर्सिटी के विद्यार्थी और अध्यापक भी चाहें कि राजनीति से परे युनिवर्सिटी रहे, लेकिन जो लोग युनिवर्सिटी को राजनीति में घसीटने के लिये चौबीसों घंटे निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। अगर उनकी कृपा इस बात पर बनी रहे कि यूनिवर्सिटी राजनीति से परे रहे तब तो यूनिवर्सिटी राजनीति की.....।

श्री अध्यक्ष—आप कुछ और समय लेंगे क्या ?

श्री रामनरेश शुक्ल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तब आप लंच के बाद जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनरेश शुक्ल——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर अपना मत प्रगट कर रहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय हों और इसका विरोध विरोधी दल की ओर से पूरे तौर से किया गया। प्रत्येक दल के प्रत्येक व्यक्ति ने इसका विरोध किया है और इस युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक के दौरान में बड़ी डींग हांकी थी विरोधी दल के सदस्यों ने को युनिवर्सिटी के अन्दर औटोनोमी होनी चाहिये, युनिवर्सिटी को सरकार से स्वतंत्र रहना चाहिये। ऐसी बात सब ने कही हो चाहे विरोधी दल हो, चाहे प्रजा समाजवादी दल हो या संयुक्त दल हो या इंडिपेंडेंट दल हो। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी को एक्जीक्यूटिव ने और बोर्ड ने सिफारिश की है कि युनिवर्सिटी के चांसलर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय हों तो जिस बात की सिफारिश युनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव और बोर्ड करे उसको न मानना कहां कि औटोनोमी है। मैं इस बात को विरोधी दल से जानना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय औटोनोमी की डींग हांकने वाली पार्टी युनिवर्सिटी को इतनी बड़ी सिफारिश को ठुकराने का प्रयत्न को यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

दूसरी बात यह है कि उपाध्यक्ष महोदय कि युनिवर्सिटी को राजनीति से अलग रखे जाने का बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है और राज्यपाल को चांसलर बनाने की सिफारिश की जा रही है लेकिन वह तर्क जो कल हमारे साथी सदस्यों ने दी थी कि जुडीशियरी को किसी झंझट में नहीं खीचना चाहिये और मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हो जाता कि चीफ जस्टिस को चांसलर बनाया जाय लेकिन आज जो परिस्थिति विश्वविद्यालयों की है, जो बाहर के लोग प्रयत्न कर रहे हैं, विद्यार्थियों में दलबन्दी बना रहे हैं, रहते हुये चीफ जस्टिस का चांसलर बनाया जाना का नहीं है, जुडीशियरी को अलग ही रहना चाहिये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मान लीजिये कि बहुत से मुकदमें युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और अध्यापकों पर चल सकतहैं कभी तो फिर उस सिलसिले में माननीय चीफ जस्टिस की क्या हालत होगी। माननीय चीफ जस्टिस के लिये यह उचित ही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों से या संस्थाओं से अलग रहें। तो इन बातों को विचार करते हुये मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चांसलर हों। और पिछले तजुरबों को देखते हुये, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रान्त के लिये तो इस समय सौभाग्य की बात है कि जो इस समय राज्यपाल हैं जोकि इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चांसलर हैं जैसा कार्य उन्होंने किया है वैसा पिछले दिनों में कुलपतियों ने नहीं किया है। हमारे वर्तमान राज्यपाल एक प्रकांड पंडित, एक बहुत बड़े विद्वान जो कि शिक्षा को नीति और तर्क को ही जानते और लिखते नहीं हैं बल्कि उसका संचालन कर सकते हैं। यह संभव है कि कुछ लोग जो कि विश्वविद्यालयों को ठीक से चलने नहीं देना चाहते थे वे वर्तमान कुलपति के विरुद्ध इधर उधर की बातें किया करते हों। उनकी बातों की परवाह न करके मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चांसलर बनाये जायं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि बहुत ठंडे दिल से वर्मा जी मेरी बातों को सुनें, लेकिन खेद है कि वर्मा जी इस सदन में मौजूद नहीं हैं। जो उनके संशोधन का पहला खंड है उसका विरोध इसलिये करता हूं कि अगर वह कोई नान आफिशल आदमी के लिये कहते तो कुछ हद तक उचित हो सकता था। लेकिन जज भी आफिशियल आदमी हैं और गवर्नर भी आफिशियल आदमी हैं। गवर्नर हमारे स्टेट का सब से बड़ा अधिकारी है। अगर हम उनको न रखें तो किसको रखें लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक परम्परा के अनुसार, हमारे देश के संविधान के अनुसार न्यायाधीश का स्थान महान उच्च और पवित्र है गवर्नमेंट के फैसले पर भी न्यायाधीश अपना जजमेंट देता है उसका स्थान तो अपार है और ऐसे पवित्र काम करने वाले व्यक्ति को हम पार्टी पालिटिक्स में घसीटें तो कितने बड़े दुख की बात है। जुडिशरी और एक्जीक्यूटिव दोनों पावर्स को एक ही आदमी में दे देने के अर्थ हैं चौराहे पर नंगा नाच करवा देना। वह जिसको चाहेगा बन्द करवा

देगा और जिसको चाहेगा राजा बना देगा ? यह हमारे विरोधी दल के लोग चाहते हैं। आज हमारी जीत हो गयी सदन के अन्दर कांग्रेस पार्टी की जीत हो गयी, मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं हरिजन भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, सोशलिस्ट पार्टी फेल हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी फेल हो गई। हिम्मत नहीं हुई राजनारायण की, हिम्मत नहीं हुई झारखंडे की कि कह दें कि हम एक अमेंडमेंट का समर्थन करते हैं। उन्होंने आज सफाई दे दी कि वह कितने पानी में हैं। सिर्फ टोपी रंगी है उन्होंने, दिल नहीं रंगा है। असली बात खुल जाती है, छिप नहीं सकती। अफसोस है वर्माजी इस समय यहां नहीं हैं। वह बहुत फील करते हैं कि हम लोग उनका विरोध क्यों करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता बहुत ठंडे दिल से कि हम उस नान वाइलेंस के मानने वाले हैं और मैं श्री एस० एन० काटजू से कहना चाहता हूं कि हम लोग मुस्लिम लीगी विचार के आदमी नहीं है। हम हर हिन्दू भाई से कहना चाहते हैं कि हम वह हैं जिन्होंने राणा प्रताप के साथ तलवार खींची थी मुगलों के मुकाबले में, और इतिहास के पन्ने उसके साक्षी हैं और गवाह है। हम रिएक्शनरी नहीं हैं, कम्युनिस्ट माइंडेड नहीं हैं। हम देश के साथ गद्दारी और विश्वासघात करना नहीं चाहते हैं। हम उस जमात के साथ वाबस्ता है आज जिसके सब से बड़े नेता ने हमारे नाम पर उस भंगी कालोनी में रहकर गोलियों का निशाना बना है। वह उसी भंगी कालोनी में रहते थे, किसी ठाकुर या राजा रानी के घर नहीं ठहरे थे। हम उसके फालोअर हैं और उसके मानने वाले हैं। जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संबंध है मैं उसे दूर ही से सलाम करता हूं और वहां बैठना ही गुनाह समझता हूं, क्योंकि मैं भीख मांगना नहीं चाहता हूं। हमारे में अगर एबिलिटी होगी तो वहां पहुंच जायेंगे, विधान बनाया जा रहा है कि बेस्ट माइंड को हम रखेंगे, एबिल को रखेंगे। हम कम्युनलिज्म को देश से मिटाना चाहते हैं, देश का बटवारा नहीं चाहते। हमने देखा कि कम्युनल बेसिस के ऊपर पाकिस्तान बना और हमारे देश की छाती के ऊपर छुरी चलायी गयी जिसके लिये हर नौजवान के दिल में कड़क है, तड़प है। अगर हमारे बच्चों में कैलिबर होगा तो वह जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि काटजू साहब हमारी तरफ से दिल साफ रखें। वह तो इलाहाबाद शहर में पैदा हुये हैं, मैं उनको गांव में ले जाकर दिखा सकता हूं। बाबू हरगोविन्द सिंह का जहां घर है उसके पीछे २५ घर हरिजनों के भी हैं और इतिहास साक्षी है कि हमेशा से हम उनके रक्षक रहे हैं और वह हमारे रहे हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं रही। यह पंडित पंत मिनिस्टर हुये तभी हम ८३-८४ यहां आ सके हैं। उस माल्कम हेली के जमाने में हैं लटशाही के जमाने में हमारा गुजर नहीं हुआ। अंग्रेजों के जमाने में सिवाय चौकीदारी करने के या घुड़साल में रहकर घास छोलने के और कोई काम हरिजनों से नहीं लिया गया। मुसलमान भी और अंग्रेज भी इस माने में फेल हुये। अगर अंग्रेज चाहता तो वह हरिजनों को कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बना दिये होता तो नक्शा ही बदला होता और आज देश को स्वराज्य न मिला होता। हमने रिअलाइज किया, उन दिनों को देखा और हालात को समझा। मेरी पैदाइश ७ समुद्र पार हुई है और मैं दुनिया के हालत से अच्छी तरह जानकार हूं दिल जले जब फरियाद करते हैं तो आसामान हिल उठता है। मैं आपको इजाजत से कहना चाहता कि हिन्दुस्तानी यहां बैठे हुये गाल बजायें, लेकिन जहां पर हम थे हम वहां सच्चे हिन्दुस्तानी की हैसियत से रहते थे और एक दूसरे के साथ साथ भाई चारे का व्यवहार था। लेकिन अब मैं देखता हूं कि लोग बोल पड़ते हैं थोड़ी सी बात में। सोशलिस्ट कहां हैं, यह तो मतल बिस्ट है, सिवाय चन्द नारों के और कुछ है नहीं। जाने कहां से लिख लाये हैं। हम तो समझ नहीं पाते, वह सिवाय नारे लगाने के और कुछ नहीं करते हैं। जिस इलाहाबाद युनिवर्सिटी की इतनी चर्चा की जाती है उसका मुझसे ज्यादा हमदर्द कौन है। मेरे नोट पर, जो हमने तमाम अध्यापकों के साथ दिया हमने अपने तमाम सजेस्शन दिये और उसपर ही हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम गुरुजनों का आदर करते हैं, लेकिन उनका जो गुरुजन होंगे। जो गुरु द्रोणाचार्य को रिप्रेजेंट करेगा हम उसको गुरुजन मानेंगे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अगर द्रोणाचार्य की तरह गुरू होगें तो वह एकलव्य की तरह शिक्षा नहीं देगा।

श्री शिवनारायण—आप साहब कह रहे हैं, एकलव्य को पढ़ाया ही नहीं गुरु द्रोणाचार्य ने। तो यह उनकी बुद्धि की प्रखरता थी, एकलव्य की निष्ठा थी, उसने अपने दिमाग को लगाया स्वयं अपने आप पंडित हो गया। लेकिन गुरुदक्षिणा दिया। पढ़ाया नहीं था गुरु द्रोणाचार्य ने। आप को इतिहास के पन्ने खोल कर बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय हमारे जो लाल टोपी वाले भाई हैं, आज वर्मा जी को गुमान करना चाहिये, तुम्हारी और हमारी जीत हो गयी कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ने विरोध किया। मैं बताता हूं कि आये दिन जहां पर सोशलिस्टों का अड्डा है वहां भी मैं पहुंचता हूं। चार-चार मील हाथ में मैं जूता ले कर गया हूं। गालियां देने और ढोल पीटने से क्या होगा? आज की प्रोसीडिंग गवाही रहेगी। वह प्रोसीडिंग मुझ को भी मिलेगी, माननीय झारखंडेराय को भी मिलेगी और माननीय राजनारायण जी को भी मिलेगी।

यह जो जुडीशियरी का क्वेश्चन कहा गया जज की बड़ी कीमत है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमारे देश में न्यायाधीश कहलाता है। हमारे देश में न्यायाधीश की वह इज्जत है कि दुनिया झुकती है। अभी हाल ही में हमारी जो बड़ी अदालत है उसने क्या किया। हमारे पारलियामेंट के मेम्बर को अनसीट कर दिया। क्या मजाल है इस गवर्नमेंट की कि वह न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। हमारे चीफ मिनिस्टर ने आज प्रातः काल कहा कि हम अपने न्यायाधीश के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते। लोगों ने अख्बार पढ़ा और यहां ले आये कामरोको प्रस्ताव। न्यायाधीश ने जो फैसला किया उस में भी दखलअन्दाज होना चाहते हैं। हमारे सोशलिस्ट भाई हैं वह एक भी हरिजन मेम्बर चुना कर नहीं ला सके। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे पड़ोसी आचार्य नरेन्द्रदेव जी हार गये फैजाबाद में और रामनारायण त्रिपाठी जी वहां से जीत कर आये। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आपका अपने में मेल नहीं है। अगर आप का अपने में मेल होता तो श्री रामनारायण त्रिपाठी जी अपना बलिदान करके आचार्य जी को अपने यहां से जिता कर लाये होंते। मेल हमारे में है। जब कभी मौका आता है पं० गोविन्द बल्लभ पंत कहते हैं कि शिवनारायण को वोट दो और मैं कहता हूं कि पं० गोबिन्द बल्लभ पंत को वोट दो। हमारी यूनिटी है। अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर हमारे सोशलिस्ट भाई ईमानदरी से सोलिस्ट बनें तो हमारा मुनाफा है, कम्युनिस्ट बनें तो हमारा मुनाफा है क्योंकि धन धर्ती बटेगी तो चमरा ही पायेगा बांभन नहीं पायेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे सामने डा० सीताराम बैठे हैं जो अमेरिका से रिटर्न हो कर आये हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसे स्थान से वापस किये गये हैं जहां कहा गया कि चमारों की गुंजाइश नहीं है। हम घर-घर की बात जानते हैं। हम जानते हैं कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में क्या-क्या होता है वहां चन्द लोग ऐसे हैं जिन का नाम लेना गुनाह समझता हूं। वहां ऐसे भी गुरूजन हैं जो हमारे भी गुरुजन हैं। डा० ईश्वरीप्रसाद हमारे गुरू हैं। उनकी हम पूजा करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय मैं मदनमोहन उपाध्याय जी की तारीफ करता हूं। उन्होंने दिल खोल कर इस सदन के अन्दर विरोध किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो गड़बड़ियां हैं। उपाध्याय जी को मैं सोशलिस्ट समझता हूं। उन्होंने दिल की बात छिपाई नहीं। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी इजाजत से माननीय वर्मा जी से कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है वह हमारे साथ हमदर्दी रखती है।

मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक यह विधान है तब तक आप जिसको चाहें नामिनेट करें। सरकार से कहूंगा कि श्री वर्मा जी को नामिनेट कर दिया जाय। वर्मा जी अगर डबुल एम० ए० एल० एल० बी० हैं तो उन्हें नामिनेट करा दिया जाय। मैं तो दावा करता हूं कि वे दावा लें। हम जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं। किसी से कमजोर नहीं हैं। आज हमारे बेटे मास्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, बड़ी-बड़ी पोस्ट्स पर हैं और आप क्या लेंगे पंत मिनिस्ट्री से। पंत मिनिस्ट्री ने १० परसेंट रिजर्वेशन से १८ परसेंट कर दिया। जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, न कि हमारे ऊपर। अगर जिम्मेदारी है तो ठाकुर हरगोबिन्द सिंह की। ये जिम्मेदार हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिये। अगर नहीं पढ़ायेंगे तो बच्चे उनको गाली देंगे।

मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि बस्ती जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। ४ जिलों के बराबर उसका रकबा है। अगर डिग्री कालेजेज को एसोशियेटेड कालेजेज बनाया जाता है तो उसका लोगों ने बड़ा विरोध किया। इसमें सरकार ने क्या पाप किया। अगर कालेजेज को एसोशियेटे किया जा रहा है तो उसमें तो सरकार हमारे बच्चों की मदद ही कर रही है। आगरा युनिवर्सिटी ने कितने नौजवानों के साथ नेकी की है उसको हमें भूलना नहीं चाहिये।

कहा जाता है कि चांसलर कौन मुकर्रर किया जाय। इतना महान विद्वान के० एम० मुंशी उसका चांसलर है। उसने तन मन दोनों पर किताब लिखी है। कौन आज़ विरोधी दल की जेब में इतना बड़ा विद्वान है जो के० एम० मुंशी का मुकाबला कर सकता है। कहा जाता है कि वह पोलिटिकल आदमी है। वह यह महारथी है जिसने कुछ कुइट इंडिया का रिजोल्यूशन पास किया था और जिसने इस देश से अंग्रेजों को बाहर किया था। ऐसे ऐरे गैरे नत्थू को नहीं बैठा रक्खा है। वह सेंटर में फूड मिनिस्टर रह चुके हैं। जिसने गुलामी की जंजीर काटी और जिन्दगी जेलों में काटी उसको हमने चांसलर रक्खा है। झारखंडे राय अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि हम बड़ी चीज रखते हैं और वह छोटी चीज रखते हैं। हम सिर रखते हैं और वह धड़ रखते हैं, हम यहां बड़े-बड़े विद्वान बैठे हैं और गैलरी में जो हमारे गेस्ट आये हैं वे चीफ जस्टिस और गवर्नर में डिफरेंस समझ सकते हैं। डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। गवर्नर बड़ा है या चीफ जस्टिस बड़ा है।

झारखंडेराय जी ने आटोनामी का भी नारा लगाया। चीन की आटोनामी का जिक्र किया। वहां के प्रोफेसर को कम्पलसरी अंग्रेजी से या अन्य किसी भाषा से पढ़ कर चीनी में पढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार का इन्टरफियरेंस चीनी गवर्नमेंट का है और यह चीन की आटोनामी है। आप अपनी आटोनामी को देखें। यु शुड बी ल्वायल टु दी कंट्री। जो अपने देश का लायल नहीं है उसकी बात का क्या मूल्य हो सकता है।

मैं वर्मा जी से फिर निवेदन करूंगा कि हरिजनोत्थान में हमारा कदम आगे है, पीछे नहीहै हम तो इस सरकार से लड़ कर ले लेंगे। लेकिन दो बातें हैं उपाध्यक्ष महोदय माता कहिये तो फौरन खाना ले लीजिये लेकिन बाप की महरारू कह दीजिये तो जूता मिलेगा। हम माता कहते हैं, बाप की महरारू नहीं कहते। हम ठाकुर हरगोविन्द सिंह जो टीज करके कुछ नहीं ले सकते। हम कहते हैं कि ठाकुर साहब हमारे यहां डिग्री कालेज की जरूरत है तो झक मार कर देंगे। मैं कहता हूं कि ईमानदारी से काम लीजिये। वर्मा जी इत्मीनान रक्खें हम उनके साथ हैं। मैं आपके साथ हूं आपके विरोध में नहीं हूं। लेकिन सोशलिस्ट भाइयों ने इसका विरोध किया है। उनको इसका समर्थन करना चाहिये था। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्मा जी ने इसमें "शैल" रखा है अगर वह किसी बाहरी आदमी को रखे होते या आचार्य जी का ही नाम दिया होता कि आचार्य नरेन्द्रदेव को चान्सलर बनाया जाय तो हम सहर्ष इसका समर्थन करते और वह बहुत अच्छा था। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और हमारी सरकार ने तो अपनी मर्जी से कुछ किया नहीं उसने तो वही किया जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहती थी कि गवर्नर को चांसलर बनाया जाय। इसके लिये हमने कौन सी गुनाह की है जिसके लिये आप हमको कृटि-साइज करते हैं। जब हम जमीन पर है तब भी आप गुस्सा करते हैं और आसमान पर है तो तब भी आप गुस्सा करते हैं। हम तो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हमारा रास्ता सिवाय दूर जाने के और कोई नहीं है। इसलिये मैं वर्मा जी से कहूंगा कि आपकी जीत हो गयी जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने इसका विरोध किया। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने अमेंडमेंट को वह वापस लेने की कृपा करें और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन, मैं माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही हों। श्रीमन्, यह संशोधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इस सदन में इस प्रश्न पर विवाद हुआ है। मैं इसको उचित ही समझता हूं। मैंने शिक्षा मंत्री जी के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुना जो उन्होंने आज इस सदन में इस बात को सिद्ध करने के लिये दिया कि गवर्नर ही युनिवर्सिटी के चांसलर होना चाहिये। श्रीमन्, अगर आप संक्षेप में यूनिवर्सिटी के विकास के इतिहास को देखें तो आप यह पायेंगे कि जहां यूनिवर्सिटी के विधान को बहुत कुछ सुन्दर बनाने की कोशिश की थी वहां पर उन्होंने एक बात विधान में ऐसी रखी थी कि जिसके जरिये से उनका युनिवर्सिटी पर कंट्रोल हो। यहां गुलाम भारत की युनिवर्सिटी में और इंग्लैन्ड की युनिवर्सिटी में सबसे बड़ा फर्क जो था वह यही था कि अपने वहां युनिवर्सिटी का चांसलर हेड आफ दि स्टेट नहीं रखा। उन्होंने यहां पर गुलाम भारत में चांसलर अपना नामजद गवर्नर बनाने का विधान रखा। यह अंग्रेजों की एक साम्राज्यवाद मनोवृत्ति का विश्वविद्यालय की सीमा के अन्दर एक प्रतिनिधि रखने की एक सीमा रखी गयी थी तो दरअसल में यह गवर्नर का चांसलर होना एक बृटिश साम्राज्य से लिगेसी के रूप में हमको मिला। इसके बाद आजकल जो बदलाव हो रहा है उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं बतलाया था कि जो अन्य युनिवर्सिटीज बन रही हैं उनमें अधिकतर स्वरूप यही है कि उनमें गवर्नर चांसलर नहीं हो रहे हैं। मिसाल के लिये उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया था कि वहां पर चीफ मिनिस्टर चांसलर बनाया गया है। वहां पर गवर्नर को क्यों नहीं बनाया गया वह इसलिये कि मुख्य मंत्री एक जन प्रतिनिधि होता है। इसलिये उसको रखा गया है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। आन्ध्र युनिवर्सिटी के लिये वहां के चीफ जस्टिस को चांसलर बनाया गया है। सागर यूनिवर्सिटी के श्री रामप्रसाद त्रिपाठी वाइस चांसलर हैं। मेरे पास उनका एक लेख मौजूद है। श्रीमती हंसा मेहता बड़ौदा युनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं जो कांग्रेसी विचारधारा की हैं। उन्होंने भी कहा है कि गवर्नर को चेंज करके मुख्य मंत्री चांसलर होना चाहिये। हमारे विरोधी दल की बात को आप छोड़ दीजिये कि यह क्यों कह रहे हैं हमें आज इस बात पर विचार करना है। जहां तक वर्तमान राज्यपाल महोदय की विद्वता का प्रश्न है मैं उसे गौण समझता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान गवर्नर महोदय की विद्वता को बताया और इन्टर युनिवर्सिटी के जो मामलात हैं उससे उनको मिला दिया। मैं यह मानता हूं कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चांसलर बहुत विद्वान हैं। हमने उनकी जय सोमनाथ और अन्य साहित्यिक प्रबन्धों को पढ़ा है। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से किसी युनिवर्सिटी को अग्रसर करवाना एक बात है लेकिन युनिवर्सिटी के आतंरिक मामलों में दखल देना दूसरी बात। जहां तक विद्वता का प्रश्न है हम वर्तमान चांसलर महोदय की सराहना करते हैं और इस बात की भी सराहना करते हैं कि वे शिक्षा के सुधार की तरफ प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन अगर शिक्षा के सुधार करने के साथ-साथ उनका दृष्टिकोण यह भी रहे कि एपोइंटमेंट किसका हो रहा है, इसमें भी दखल होने लगे और बिना कानून कायदे के, तब आशंका होती है। एक बात यह भी कही गयी कि अगर विभिन्न यूनिवर्सिटीज का जब एक ही चांसलर होगा तो उन युनिवर्सिटीज में कोआर्डीनेशन होगा। किस प्रकार का कोआर्डीनेशन हो सकता है, यह मैं सदन को बता देना चाहता हूं। एक तरफ तो वर्तमान चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एपोइंटमेंट रुकवाते हैं, कहते हैं कि जो एपोइंटमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हों उनको नये बिल के अनुसार बनी सेलेक्शन कमेटी के और वही चांसलर जिसको कोआर्डीनेटिंग आथारिटी कहा जाता है लखनऊ युनिवर्सिटी में धड़ाधड़ एपोइंटमेंट कराता है। यह कैसा कोआर्डीनेशन है? इसलिये मैं कहता हूं कि विद्वता और युनिवर्सिटी के आन्तरिक मामलों से कोई संबंध नहीं है। यह एक बिलकुल ध्रुवसत्य है जिसको कोई सरकार या सदन इंकार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के दखल देने की जो प्रणाली दिखाई देती है इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। हम समझते हैं कि इस प्रकार के कुछ गवर्नर महोदय हो सकते हैं जो युनिवर्सिटीज के आंतरिक मामलों में दखल न दें लेकिन ऐसी आशंका तो होती ही है। इसलिये हम चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो ऐसा करने के लिये मजबूर न हो सके। मैं यह नहीं कहता कि चीफ जस्टिस को चुनना

चांसलर के लिये सबसे अच्छी प्रणाली है लेकिन इससे भी अच्छा तरीका हो सकता है लेकिन इस समय परिस्थिति को देखते हुये हमें यही सबसे अच्छा तरीका मालूम होता है। हमने आगरा यूनिवर्सिटी बिल के मौके पर इस बात को नहीं रखा था क्योंकि हम समझते थे कि कोई ऐसा सुधार हो जायगा और अगर अब भी मनोवृत्ति बदल जाये तो अब भी हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं लेकिन जब तक इस प्रकार के इंटरवेंशन्स हो रहे हैं तब तक हम ऐसा ही उचित समझते हैं। काटजू महोदय ने एक बात और कही कि अगर गवर्नर के स्थान पर चीफ जस्टिस को चांसलर बना दिया जायगा तो सरकार और चांसलर के बीच कान्फिलक्ट बढने की संभावना है। इससे उस मनोवृत्ति का पता चलता है कि हम यह समझते हैं कि सरकार और युनिवर्सिटी में कान्फिलक्ट अवश्यम्भावी है। अगर गवर्नर को आप कान्फिलक्ट रिजाल्व करने वाला व्यक्ति समझते हैं तो यह भी गलत है। जहां पर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के द्वारा केवल नियुक्त होता हो तो वह आदमी नियुक्ति के बाद सरकार के प्रभाव में नहीं रहता, बाद को वह उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है, और उसको उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन गवर्नर को तो बार-बार कैबिनेट से राय लेनी पड़ती है। आपको याद होगा कि वर्तमान राज्यपाल महोदय ने बम्बई में यहां का राज्यपाल होने के पहले बिदाई के अवसर पर यह भाषण दिया था कि अब तो मैं पंडित पंत के डिस्पोजल पर हूं। ये शब्द उन्हीं के हैं, इस तरह से तो यह लाजिमी है, विधान से मजबूर हैं कि गवर्नर चांसलर रहे। "गवर्नर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट" यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में हर जगह यह लिखा हुआ है कि "गवर्नर दैट इज गवर्नमेंट गवर्नर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट"। तो इसलिये चांसलर जब गवर्नर होता है तो इसका अर्थ यह है कि चांसलर का माने अप्रत्यक्ष रूप से स्टेट गवर्नमेंट से होता है। यह भी एक सिद्धांत हमारे सामने हैं। तो इसलिये स्टेट गवर्नमेंट को चांसलर को अधिकर देना, यह कहां तक प्रजातांत्रिक ढंग से उपयुक्त होगा इस पर भी हमको विचार करना है। एक सवाल आता है जैसा कि मेरे माननीय मित्र शुक्ल जी ने कहा कि कोर्ट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल की भी राय है कि गवर्नर ही चांसलर हो। इस संबंध में उन्होंने जो तर्क दिया उसके लिये मैं क्या कहूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ही अपने साधारण भाषण में कहा था कि साधारण छोटी सी बात को छोड़कर बाकी सारी बातों में कोर्ट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में मतभेद है। फिर गवर्नर से इसका संबंध रखना कहां तक उपयुक्त है? सबसे पहली बात सोचने की तो यह है कि चांसलर को जो शक्ति आप दे रहे हैं उस दृष्टि से हमको यहां विचार करना है। जब उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं तो चीफ जस्टिस जो चांसलर होगा तो उसको उतनी शक्ति नहीं होगी जितनी कि आप आज इस बिल के द्वारा गवर्नर को युनिवर्सिटी का चांसलर बना कर देख रहे हैं। मैं शुक्ल जी की बात मानने के लिये तैयार हूं अगर शुक्ल जी और सरकार इस बात का विश्वास दिला दें कि चांसलर गवर्नर को बनाया जाय लेकिन साथ ही साथ वह अपने चांसलर की शक्ति को छोड़ देंगे। आप चांसलर की ताकत को घटाने के बजाय बढ़ाना चाहते हैं, आप चांसलर के इंटरवेंशन की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि हमारा चांसलर गवर्नर रहे। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती हैं, अगर आप गवर्नर को चांसलर बनाना चाहते हैं तो उनकी शक्ति को कम कीजिये। नहीं तो चीफ जस्टिस को ही चांसलर बनायें।

दूसरी बात यह कही गयी कि अगर जज को चांसलर बना दिया गया तो कंटेम्पट हो जायगा कोई रिट का मुकदमा आयेगा या और तरह का मुकदमा आयेगा तो हाईकोर्ट के सामने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला पेश होने लगेगा और फिर हाईकोर्ट के लिये बड़ी दिक्कत पेश आयगी श्रीमन्, तमाम सदस्यों ने इस चीज को बार बार दोहराया है। लेकिन मैं उसके लिये क्या कहूं? आज कल भी तो ऐसे मुकदमे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने न मालूम कितने होते रहते हैं और आज भी न मालूम कितने मुकदमे गवर्नर के खिलाफ चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं, तो इस तरह से कानूनी तौर पर के जो मुकदमे होते हैं उनमें कंटेम्प्ट का मामला नहीं आता। खासतौर से सब से आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे सदस्यों को पता ही नहीं है कि वो ६ जस्टिस जो आज कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं वे कोर्ट के मेम्बर हैं। आप यह

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप के चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के, इलाहाबाद युनिवर्सिटी कोर्ट के मेम्बर हो सकते हैं लेकिन वे चांसलर की जगह नहीं ले सकते हैं। श्रीमन्, मेरे पास इलाहाबाद युनिवर्सिटी का लेटेस्ट कलेंडर मौजूद है। इस कलेंडर में हाईकोर्ट के १० चीफ जस्टिस हैं नये और पुराने जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी की सलेक्शन कमेटी और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के तथा कोर्ट और फैक्ल्टी के मेम्बर हैं। मैं उन सब के नाम पढ़ देना चाहता हूं। उसमें जो कोर्ट के मेम्बर, वह यह हैं :—आनरेबिल जस्टिस पी० एन० सप्रू, जस्टिस हरिश्चन्द्र, जस्टिस रघुबर दयाल आनरेबिल कैलाश नाथ वांचू, आनरेबिल जस्टिस कमलाकांत वर्मा, आनरेबिल शंकर सरन और इलाहाबाद युनिवर्सिटी एक्जिक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर थे : आनरेबिल जस्टिस विन्ध्य वासनी प्रसाद, आनरेबिल वली उल्ला और इलाहाबाद युनिवर्सिटी के फेकल्टी आफ ला के मेम्बर थे। आनरेबिल चीफ जस्टिस मलिक, आनरेबिल जस्टिस मूथम, आनरेबिल जस्टिस वली उल्ला, आनरेबिल जस्टिस हरिश्चन्द्र, आनरेबिल जस्टिस पी० एन० सप्रू, आनरेबिल जस्टिस विन्ध्यवासनी प्रसाद, आनरेबिल जस्टिस गुरटू और आनरेबिल गोपाल जी मेहरोत्रा। इसके अलावा जो यह वर्तमान विधेयक है इसमें भी हम उनको डिसिपलिनरी कमेटी में लाना चाहते हैं। तो यह दलील बेकार की है कि अगर जज आ जायंगे तो खराबी हो जायगी और इस दलील के पीछे कोई बुनियाद नहीं है। अगर हम सार्वजनिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो उसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज की परिस्थिति में इलाहाबाद युनिवर्सिटी के नजदीक इलाहाबाद हाई कोर्ट को देखते हुये और चूंकि वह वहीं रहते भी हैं इस बात को भी देखते हुये कि वर्तमान चांसलर युनिवर्सिटी में चाहें शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ वह आंतरिक परिस्थितियों में भी दखलअन्दाजी कर रहे हैं। इसलिये इस बात को देखते हुये यह आवश्यक है कि कम से कम इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये चांसलर चीफ जस्टिस होने चाहिये।

*श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री वर्मा जी का जो संशोधन है कि चांसलर के पद के लिये चीफ जस्टिस को गवर्नर की जगह पर रखा जाय इसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो कारण दिये गये हैं उनमें कहा गया है कि चूंकि हमारे सूबे के गवर्नर महोदय बहुत विद्वान हैं इसलिये उनको रखना चाहिये और विद्वान होने के नाते उनको इस पद पर नियुक्त करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह की दलीलों को उपस्थित करना कोई सार्वजनिकता या सार्वभौमिकता नहीं रखता। यह कहना तो बहुत ज्यादा है कि हमारे वर्तमान गवर्नर महोदय की विद्वता का मुकाबला चीफ जस्टिस या कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। इस वक्त शायद उनकी विद्वता का मुकाबले के लिये, जो महोदय अभी बोल रहे थे उन से मैं कहूंगा कि उनके कुत्तों का मुकाबला भी कोई न कर सके, उन की विद्वता का तो प्रश्न ही क्या। यहां पर कोई उनकी विद्वता का सवाल नहीं है। हमें यहां पर देखना यह है कि प्रश्न कोई खास तौर से विद्वता का ही नहीं है बल्कि गवर्नर तो गवर्नमेंट का एक अंग है और ऐसा अंग है जो कि एगजिक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड है और अगर एगजिक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड इस पद पर रखा जायगा तो वह सब तरह से एक सरकारी पार्टी, सरकारी नीति का ही हर बात में समर्थन करेगा। इसके खिलाफ जब हम चीफ जस्टिस को लेंगे तो लोगों ने जो उनके लिये कहा है कि वह एक ऐसे आदमी होते हैं जो किसी पार्टी के नहीं हैं और किसी से मतलब नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह दलील जो उन्होंने इसके विरुद्ध दी है वही काफी सबूत इस बात का है कि चांसलर पद के लिये चीफ जस्टिस गवर्नर के मुकाबिले में उपयुक्त है।

इसके अलावा एक दूसरा बड़ा कारण जो इस सम्बन्ध में होना चाहिये वह यह है कि हम लोगों को कार्य की व्यस्तता भी देखना चाहिये। गवर्नर एक्जीक्यूटिव हेड होने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नाते अपने कार्यक्रमों में इतना व्यस्त रहता है कि उसको युनिवर्सिटी के कामों से मुक्त रखना ही अच्छा है। चीफ जस्टिस यह सही है कि न्याय विभाग का हेड है, लेकिन इसके होते हुए भी वह इतना व्यस्त नहीं होता जितना गवर्नर। इसलिये इस माने में भी चीफ जस्टिस का चांसलर होना ज्यादा उपयुक्त है।

हमारे ट्रेजरी बेंचेज के मित्रों ने कुछ व्यक्तिगत बातों से सम्बन्धित बहुत सी दलीलें दी हैं जिनका उत्तर देना उचित नहीं प्रतीत होता। इसके साथ ही वर्मा जी ने प्रस्ताव को भवन में पेश करते समय एकलव्य का उदाहरण दिया था, लेकिन इस सम्बन्ध में एकलव्य का नाम जोड़ना कहां तक उचित है।

श्री जोरावर वर्मा—मैंने नहीं कहा था, यह तो शिवनारायण जी ने कहा था।

श्री वंशीदास धनगर—शिवनारायण जी ने तो जवाब देते हुये कहा था। खैर, मैं तो अब इन दलीलों के बाद सिर्फ यह कहूंगा कि चीफ जस्टिस ही चांसलर पद के लिये अधिक उपयुक्त हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने इस संशोधन के पक्ष में जो दलीलें दीं मैं, उनसे कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि गवर्नर से चीफ जस्टिस का ही चांसलर रहना अधिक उपयुक्त है लेकिन इसके विषय में उन्होंने यह नहीं बताया कि चीफ जस्टिस को ही चांसलर बना देने से क्या विशेषता हो जायगी और अगर गवर्नर को चांसलर रहने दें तो उसमें जो खराबियां होंगी उस पर थोड़ा सा प्रकाश तो डाला, लेकिन जिस मूथम कमेटी और राधाकृष्णन् कमीशन को वे विभिन्न अवसरों पर जिक्र किया करते हैं उसी मूथम कमेटी ने एक स्वर से एकमत होकर यह कहा है कि गवर्नर को ही चांसलर रहना चाहिये। उस कमेटी में मिस्टर जस्टिस मूथम, चौधरी हैदर हुसेन, डाक्टर एम० बी० जोशी और डाक्टर पी० एस० हैकरवाल ऐसे-ऐसे विद्वानों ने विचार-विनिमय करने के बाद यही निर्णय किया कि गवर्नर ही चांसलर हो तो उत्तम है। राधाकृष्णन् कमीशन ने भी कुछ हद तक यही बात कही है और इसी के विषय में डाक्टर एच० एन० कुंजरू और जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े विद्वान् रह चुके हैं उन्होंने भी कहा है और जिस समय हमारे यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पुराना ऐक्ट था उसमें भी गवर्नर को ही चांसलर बनाया गया। जिस वक्त यह यूनिवर्सिटी का पुराना ऐक्ट था उसमें भी गवर्नर का ही चांसलर बनाया गया और उसी बात को जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा कि इसमें थोड़ी सी गलती थी उसको सुधारने के लिये यह संशोधन लाना पड़ा। तो फिर यह बात कहना कि गवर्नर चांसलर न हो यह उपयुक्त नहीं होगा। अभी झारखंडे राय जी ने कहा कि आजकल जो गवर्नर हैं उन्होंने राजनीतिक पार्टी में भाग लिया है वह उनसे बरी नहीं हो सकते, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय मोदी साहब जो थे उनका तो किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं था और भी कई चांसलर जैसे भावनगर के हिज हाईनेस, उनका किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं है और यह हो सकता है कि आज जो हमारे गवर्नर हैं उनके बाद कोई दूसरा ऐसा गवर्नर आ सकता है जिसका किसी पार्टी से सम्बन्ध न हो। तो यह कहना कि गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिये, यह कोई समझ में बात नहीं आती। एक बात माननीय नारायणदत्त जी ने कही कि गवर्नर इंटरफीयरेंस करते हैं, वह एपोइन्टमेंट रुकवाते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मूथम कमेटी की उन बातों को जो उन्होंने एपौइन्टमेंट के विषय में कही हैं, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के एपौइन्टमेंट के बारे में, वह बताना चाहता हूं। कमेटी लिखती है कि सेलेक्शन कमेटी की सिफारिशों को कई बार एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने ठुकरा दिया। यह हालात वहां थे। एक हिन्दी के लेक्चरार की जगह खाली हुई सन् १९५० में। उपाध्यक्ष महोदय, सेलेक्शन कमेटी ने एक उम्मीदवार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

के नाम को रिकमेंड किया, लेकिन ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल ने उसको नहीं रखा। इस प्रकार पोलिटिकल साइंस में सन् १९५० में एक जगह खाली हुई और जिस उम्मीदवार को ६ साल का तजुर्बा था उसको नहीं रखा गया। कामर्स का एक उम्मीदवार था, वह नहीं रखा गया। ऐसी हालत में कितनी हद तक सेलेक्शन कमेटी की सिफारिशों को ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल ने ठुकरा दिया। ऐसी ही दशा ऐकोनामिक्स में हुई। यह हालत है। तो जब ऐसे एपौइन्टमेंट हों और पुराने ऐक्ट के अनुसार ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल वही बनी हुई हो तो अगर किसी एपौइन्टमेंट को गवर्नर ने रुकवा दिया तो इसकी कोई वजह हो सकती है। मुमकिन है उसमें कोई फेवरटिज्म की बात हो। जब यह परिस्थिति मौजूद है इलाहाबाद में, वही ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल, वही पुराना एडमिनिस्ट्रेशन अभी कायम है, तो उसमें कुछ खराबियां हों, उनको रोकने के लिये गवर्नर महोदय ने ऐसा किया हो तो ठीक है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि हम चीफ जस्टिस को चांसलर होने का विरोध करते हैं लेकिन जो युनीवर्सिटी बाडीज़ हैं उनमें चीफ जस्टिस मेम्बर हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दोनों की जिम्मेदारी बड़ी भिन्न होती है। उनको यह पता होना चाहिये कि चांसलर की जिम्मेदारी और एक बाडी में मेम्बर की हैसियत से रहना, दोनों में बड़ा भारी अन्तर है। चीफ जस्टिस कोर्ट में हैं, ला फैकल्टी में हैं, उनकी जिम्मेदारी और चांसलर होकर रहेंगे तब दोनों की जिम्मेदारी भिन्न होगी और उसका नतीजा यह हो सकता है, जैसा काटजू साहब ने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रिट आ जाय तो एक बड़ी पोजीशन खराब हो सकती है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नर बड़ा व्यस्त रहता है। लेकिन चीफ जस्टिस क्या कम व्यस्त हैं। उनके पास भी काफी बड़ा काम है, वह भी इतना समय दे सकेंगे यह ठीक नहीं मालूम होता।

जहां तक और विद्वानों की बात कही गई, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने, मैंने सोचा कि आज गवर्नर का विरोध हो रहा है कि चांसलर न हो और चीफ जस्टिस के लिये कहा जा रहा है तो कल को कोई ऐसा तीसरा रिजोल्यूशन हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काफी सोचा और सोचा कि अगर यह सुझाव आता कि स्पीकर, उत्तर प्रदेश असेम्बली या काउन्सिल के चेयरमैन चांसलर बनाये जाते तो मैं और कोई सुझाव सोचता और अगर विरोधी दल से, हमारे माननीय नारायणदत्त जी की तरफ से या और किसी सदस्य की तरफ यह सुझाव आता तो कम से कम मैं तो सोचता कि वास्तव में क्या यह चीज हो सकती है। लेकिन सिवाय एक बात के कि चीफ जस्टिस ही चांसलर हों, इसके अलवा किसी दूसरे के लिए कोई बात किसी माननीय सदस्य ने नहीं कही। तो जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा मैं तो पूर्णतया सहमत हूं ऐसी परिस्थिति में क्योंकि जिन लोगों ने यह पुराना ऐक्ट बनाया था उन्होंने भी गवर्नर को ही चांसलर बनाया। हम कुछ खास बातों की वजह से आज गवर्नर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें सिद्धान्त पर विचार करना चाहिये। आज जो गवर्नर हैं, कल को वह न होकर के कोई दूसरे हो सकते हैं कोई भी हो सकता है। तो जहां तक सिद्धान्त की बात है वहां तक यह सिद्धान्त तो ठीक है और इसलिए मैं इन शब्दों के साथ इसका जो पहला संशोधन है, उसका विरोध करता हूं।

जहां तक माननीय जोरावर वर्मा के दूसरे संशोधन का प्रश्न है कि यूनिवर्सिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन में हरिजन भाइयों की नियुक्ति हो, ठीक है। उनकी मांग ठीक हो सकती है। लेकिन उनकी नियुक्ति में कोई रुकावट नहीं है। वह नियुक्त हो सकते हैं, कोई रुकावट उसमें नहीं है। मगर इसके लिए एक विशेष संशोधन लाकर वह एक ऐसी चीज पैदा करते हैं कि जिससे एक गलत मनोवृत्ति के बढ़ने का खतरा हो सकता है हमारे विधान में यह लिखा हुआ है कि दस साल तक रिजर्वेशन रहेगा और उस दस साल में से करीब-करीब चार-

पांच साल खत्म हो चुके हैं। अगर हम इस मनोवृत्ति को पैदा करना चाहते हैं तो जैसा माननीय काटजू ने कहा था, मैं वास्तव में इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह भावना वास्तव में बड़ी गलत भावना है और हमें इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। हम सब हिन्दुस्तान में रहने वाले एक भारतीय, एक नागरिक हैं, जाति पाति के भेदभाव को हमें अब समाप्त कर देना चाहिये। यह तो थोड़े समय के लिए एक व्यवस्था कर दी गई है कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, यह हमारे बराबर आ जायं, इसके लिये इनको जरा ज्यादा अधिकार दे दिया गया है। लेकिन जैसा कि माननीय झारखंडेराय जी ने कहा, यह संशोधन तो किसी पृष्ठभूमि में लाया गया है। मैं माननीय जोरावर वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस सरकार आयी है, उस दिन से क्या हमारी सरकार ने हरिजनों के सुधार के लिए उनको ऊंचा उठाने के लिए काम नहीं किया है? क्या आज हरिजनों की दशा सन् ४६ में जैसी थी उससे आगे नहीं बढ़ी है? क्या हरिजन सहायक विभाग एक अलग से उन्हीं के लिए नहीं खोला गया है? तो जब सरकार हर बात में उनका ख्याल रखती है, तब भी इस तरह के संशोधन लाने की जरूरत है? फिर जहां तक युनीवर्सिटी का सम्बन्ध है क्या डाक्टर अम्बेदकर जैसे विद्वान् के लिए यूनिवर्सिटीयों में जगह नहीं है? क्या वह बम्बई युनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं रहे। तो कोई रुकावट तो उनके लिये है नहीं। लेकिन इस भावना को ज्यादा बल देना और इसकी एक मांग करना यह भविष्य में एक बड़ी खतरनाक चीज बन सकती है। इसलिये इस सदन के माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य है ऐसी भावना को हम बढ़ने न दें। डाक्टर काटजू ने मुस्लिम लीग से इसकी तुलना नहीं की थी, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि जैसे मुस्लिम लीग की इस प्रकार की भावना थी, उसी तरह से अगर ऐसी मनोवृत्ति यह हुई तो हमारा जो अगला जनरेशन है उसके लिए यह बड़ी खतरनाक सिद्ध होगी। तो यह हम सभी माननीय सदस्यों का कर्तव्य है कि ऐसी भावनाओं को हम न उकसायें, उनको ज्यादा आगे न बढ़ायें और मैं तो माननीय जोरावर वर्माजी से कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं जवाब दूं, मेरे इस संशोधन पर बोलने वाले एक दर्जन से भी अधिक सदस्यों को मैं, आपके द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेषतः माननीय नारायणदत्त जी तिवारी, माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय झारखंडे राय जी को जिन्होंने कि मेरी भावनाओं को सचमुच में समझा और अपने ढंग से उनको सदन के सम्मुख व्यक्त किया। यद्यपि सोशलिस्ट पार्टी हरिजनों को कोई विशेष रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी माननीय नेता विरोधी दल ने मेरे संशोधन का समर्थन किया, इसके लिये मैं उन्हें विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चांसलर की बात है, हमारे ट्रेजरी बेंच के माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर हम चीफ जस्टिस को चांसलर बना देंगे तो बड़ा अन्याय हो जायगा। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि क्या अन्याय हो जायगा। मेरे कई मित्रों ने मूथम कमेटी की सिफारिश पढ़ी और उसमें से कई विद्वानों के नाम गिनाये। अगर मैं उसके मुकाबिले में राधाकृष्णन् कमेटी के विद्वानों के नाम गिनाऊं तो शायद मूथम कमेटी उसका पासंग भी नहीं उतरेगी। लेकिन मैं यह कहना नहीं चाहता हूं। यह ठीक है कि गवर्नर, चांसलर ने अभी तक ठीक काम किया है। लेकिन जिस सूबे में एक से ज्यादा युनिवर्सिटियां हों वहां गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिये। माननीय शिवनाथ

[श्री जोरावर वर्मा]

काटजू जी ने कहा कि चीफ जस्टिस के चांसलर होने से रिट में लोग कैसे न्याय प्राप्त कर सकेंगे। अभी तिवारी जी ने पढ़ कर सुनाया है कि चीफ जस्टिस पहले ही से कोर्ट के सदस्य हैं। आपकी आज्ञा से मैं एमेंडिंग ऐक्ट में जो पेज १२ पर है बता देना चाहता हूं कि कोर्ट के मेम्बर चीफ जस्टिस आफ दि हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर ऐट इलाहाबाद अब भी होंगे। लेकिन हम उनको बजाय मेम्बर के अगर चांसलर बना दें तो हमारे भाई कहते हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हो जायगा। मैं नहीं समझ पाया कि उनका अर्थ वास्तव में चीफ जस्टिस को ही चांसलर न बनाने का है या गवर्नर को ही चांसलर बनाये रखने का है। ठीक है, गवर्नमेंट तो यह चाहेगी ही कि गवर्नर को होना चाहिये। अगर युनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर ही रहा तो, जैसा डाक्टर अमरनाथ झा और दूसरे कई विद्वानों ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के साथ न्याय नहीं होगा क्योंकि गवर्नर कंस्टीटचूशनल हेड है और उनको जो कुछ हमारे शिक्षा मंत्री करेंगे उसी पर दस्तखत कर देना होगा और अगर नहीं करेंगे तो वह गवर्नर नहीं रह सकते हैं। तो यह कहना कि गवर्नर अपनी डिस्क्रीशन से काम लेंगे थोथी दलील है। माननीय काटजू जी ने यह भी कहा है कि गवर्नर युनिवर्सिटी और सरकार के बीच में लिंक है। मैं गवर्नर और सरकार को अलग अलग नहीं मानता और उनसे मैं यूनिवर्सिटी के साथ न्याय की क्या आशा कर सकता हूं क्योंकि उनका और सरकार का इंटेरेस्ट एक है? किसी ने इस सम्बन्ध में कितना अच्छा कहा है कि "चोर-चोर मौसेरे भाई," उनकी भी यही दशा होगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र—प्वाइंट आफ आर्डर। क्या 'चोर-चोर मौसेरे भाई' कहना पार्लियामेंटरी फ्रेज है?

श्री उपाध्यक्ष—कहते ही हैं, यह कोई बात नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, जब कुछ लोगों को किसी भांति बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो वे ऐसे ही बोल लेना चाहते हैं।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—यह शब्दावली चाहे अनपार्लियामेंटरी न हो, लेकिन चूंकि इसमें माननीय राज्यपाल का जिक्र है इसलिये माननीय सदस्य को इसे वापस लेना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—जी नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन दोनों का इन्टेरेस्ट एक है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि पहले गवर्नर हमेशा चांसलर हुआ करते थे, लेकिन वह इस बात को भूल गये कि वह आर्नामेंटल (केवल शोभा के लिये) हुआ करते थे और सिर्फ कनवोकेशन के समय ही वहां जाते थे। आजकल की तरह से नहीं कि ट्रेजरर की नियुक्ति भी वही करें, वायस चांसलर की नियुक्ति भी वही करें और उनकी जो रिफ्रेन्स कमेटी हो उसकी नियुक्ति भी वही करें, इस तरह यूनिवर्सिटी को एक डिब्बे की भांति बन्द कर दिया गया है। यह परिस्थिति पहले नहीं थी। मैं इसलिये इसका विरोध करता हूं कि इससे यूनिवर्सिटी को बिलकुल डिब्बा बनाया जाता है, जैसे अलमारी ढंकने के सिवाय और कुछ यूनिवर्सिटी रह ही नहीं गई है। यूनिवर्सिटी का एकदम जो कुछ है वह चांसलर ही है। जहां तक चांसलर महोदय की बात है उनकी विद्वता और कार्य के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी न मालूम क्यों उनको बीच में खींच लाये। मिस्टर के० एम० मुंशी बहुत ही योग्य और विद्वान हैं और जो सेवा उन्होंने की है उसको सब जानते हैं। एक विद्वान आदमी को इस तरह से बीच में लाना अच्छा नहीं है। हम सभी उनका आदर और सम्मान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक चांसलर की बात है इसमें कई विद्वानों ने इसका विरोध किया है। मैं आपकी आज्ञा से राधाकृष्णन कमीशन में रुस्तम मसानी ने जो बात प्रकट की है उसको मैं आदरणीय सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं। यह राधाकृष्णन् वाल्यूम २ का फर्स्ट पार्ट है। वह यह है कि—

"In the old days there was the Chancellor who was always the Governor of the province. When we started we thought it would be a good thing to have a dignified man such as the Governor at the top and as he was the head of the Government he would be helpful to us. In fact it was a good thing. Now times have changed and we are now coming down to teaching Universities and we are going to have many Universities. Obviously the Governor cannot be the Chancellor of the Universities."

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी प्रकार से कहा जाय तो बहुत से विद्वानों की राय मिल सकती है, लेकिन इसको माना जाय या न माना जाय यह हमारी शक्ति में नहीं है। कहना हमारा काम है, मानना न मानना तो सरकार का काम है। इस तरह से मैं चाहूंगा कि चांसलर गवर्नर न होकर चीफ जस्टिस हों। जहां तक न्याय की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि यदि चीफ जस्टिस चांसलर होगा तो युनीवर्सिटी के साथ न्याय होगा और गवर्नमेंट जो यूनीवर्सिटी में हस्तक्षेप करना चाहती है वह भी नहीं हो सकेगा।

जहां तक हरिजनों के रिप्रेजेंटेशन की बात है तो जब मैंने प्रस्ताव रखा था उसी समय कह दिया था कि किसी बुरी भावना से यह प्रस्ताव मैंने नहीं रखा है। जो हमारा संविधान है उसमें दिया हुआ है कि दस साल के लिये हरिजनों का रिजरवेशन सरविसेज तथा अन्य सब जगहों में रहेगा। राधाकृष्णन् कमीशन ने अपना अंतिम निर्णय दिया है कि यद्यपि कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है लेकिन हरिजनों का रिजरवेशन हमारे विधान में है इसलिये हरिजनों के लिये जरूर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय काटजू का यह कहना कि मेरा संशोधन संकुचित प्रवृत्ति का परिचायक है और मुस्लिम लीगी मनोवृत्ति का परिचायक है मुझे दुःख है कि वह यहां नहीं हैं। इसके साथ साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि मुझे उनका कहना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह ऐसे वर्ग से संबंध रखते हैं जिनको हम नाथूराम गोडसे कह सकते हैं और जो हरिजनों की बात करते हैं उनको गोली से उठा सकते हैं। अगर ऐसे आदमी मुझे लीगी कहें तो मुझे कुछ दुःख नहीं है। वह ऐसे लोग हैं जो हमको ऊंचे नहीं उठने देना चाहते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि गवर्नमेंट ने हरिजनों को कितना रिजर्वेशन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने थोड़े से उदाहरण देना चाहता हूं। आपके देश में आज कितने गवर्नर हैं, लेकिन एक भी हरिजन गवर्नर नहीं है। आपके कितने एम्बेसेडर्स आज बाहर के देशों में हैं लेकिन एक भी हरिजन एम्बेसेडर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो विशेषाधिकार समिति है, उसमें भी मुझे बड़े दुर्भाग्य और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई हरिजन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां १२–१४ मिनिस्टर्स हैं कम से कम दो हरिजन मंत्री उनमें से होने चाहिये थे, लेकिन केवल १ ही है, ७ डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक भी हरिजन नहीं है। मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां इन्होंने सरकार ने जरा भी परवाह हमारे लेने की नहीं की। इनको यह कहने का अधिकार तो तभी होता, जहां हमारा एक का अधिकार होता और हमको यह दो देते। लेकिन सिर्फ पालतू कुत्तों की तरह एक टुकड़ा फेंक कर या सदन में २०० रुपये देकर यह चाहें कि उनके सामने डांस करके उनकी हां में हां मिलावें तो मैं समझता हूं कि अब वे दिन गुजर गये। उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने यह संशोधन रखा है, यह सिर्फ जोरावर का ही संशोधन नहीं है। जिस समय बैकवर्ड क्लासेज कमीशन आया था तो उस

[श्री जोरावर वर्मा]

वक्त इस सदन के जो ८४ हरिजन एम० एल० एज० हैं उनकी एक कमेटी बनी थी और एक २५ पेज का यह मेमोरेंडम कमीशन को दिया था। जो कुछ मैं कहता हूं उससे दसगुनी अधिक बातें उसमें कही गयी थीं। जो कुछ हमको संविधान ने दिया और पूज्य बापू ने कहा उसका शतांश भी हमको नहीं दिया गया है। ८४ एम० एल० एज० बना दिये तो आपने हमारे साथ कौन बड़ा एहसान कर दिया। विधान परिषद् में हमारा रिज़रवेशन नहीं है तो वहां हमारा केवल एक ही सदस्य है। अगर हम ८४ एम० एल० एज० अपने आप चुनना चाहते तो कम से कम ६ चुन सकते थे। इसी प्रकार दिल्ली की राज्य परिषद् में हमारा एक ही सदस्य है जब कि हम ८४ चुनते तो कम से कम ४ भेज सकते थे। यह उनकी दरियादिली के नमूने हैं।

जहां तक सिद्धान्त की बात है मैं आपको पूज्य बापू की बात बता देना चाहता हूं। वास्तव मे ये गांधी जी के नाम पर कुर्सियों पर तो डटे रहना चाहते हैं पर गांधी जी की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने को समझते हैं कि हम गांधी जी के पक्के अनुयायी हैं। यह बापू और हरिजन नामक जो पुस्तक है उसके पेज ३३ पर लिखा हुआ है—सवर्ण हिन्दुओं को चाहिये कि वे उन सुविधाओं को ग्रहण न करें जो कि हरिजनों को प्राप्त नहीं हैं और उन्हें तब तक चुप न बैठना चाहिये जब तक कि समाज में से अस्पृश्यता का समूल विनाश नहीं हो जाता। यह हमारे बापू ने कहा है कि अगर सवर्ण हिन्दू चाहते हैं कि हम हरिजनों को ऊंचे उठायें तो उनको वे स्थान तब तक ग्रहण न करना चाहिये जब तक कि वे हरिजनों को बराबरी तक न ले आयें। क्या मैं आपके द्वारा श्री काटजू ऐसे सदस्यों से यह पूछ सकता हूं कि आप किस क्षेत्र में हरिजनों को बराबर लाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि रोज हरिजन और दूसरे सदस्य इस सदन में पूछते हैं कि फलां डिपार्टमेंट में हरिजन कितने हैं। तो क्या उससे हमारी सरकार यह नहीं समझ सकती है कि वास्तव में हरिजन क्या चाहते हैं। सिर्फ यह कह देना कि यह मुस्लिम लीगी प्रवृत्ति है इनकी इस नाथूराम गोडसे वाली प्रवृत्ति से हरिजनों का हित नहीं होने का। जो हरिजन सदस्य कांग्रेस के टिकट पर आये हों, हो सकता है कि वे दबाव के कारण हरिजनों के हित की बात न कह सकें, लेकिन मैं कहूंगा कि और फिर कहूंगा। जो कुछ मैं कहता हूं यह ८४ हरिजन सदस्यों की आवाज है यह उत्तर प्रदेश के डेढ़ करोड़ हरिजनों की आवाज है (एक सदस्य—शिवनारायण जी तो नहीं कहते हैं।) शिवनारायण जी न कहें और जिसको डिप्टी स्पीकर या डिप्टी मिनिस्टर बनना हो वह न कहे लेकिन जो समाज की भलाई चाहता है वह अवश्य कहेगा। अगर कोई आदमी अपने राइट (,अधिकार) की बात कहता है तो उसको मुस्लिम लीगी कहा जाता है। अवधेश प्रताप सिंह जी ने जैसा कहा है कि "मुझे बड़ा दुख है कि इस भवन में बजाय इस एमेंडमेंट का स्वागत होने के एक बहुत ही बुरी प्रतिगामी प्रवृत्ति का परिचय दिया गया"। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मैंने पढ़कर सुनाया भी था कि अभी तक माइनारिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन का प्राविज़न इस कानून में था। तब माइनारिटीज़ में मुस्लिम, हरिजन और क्रिश्चियन्स वगैरह आते थे। लेकिन अब संविधान ने माइनारिटीज़ को तो नहीं माना केवल हरिजनों को संरक्षण दिया। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि युनिवर्सिटीज़ में इस समय कितने हरिजन प्रोफ़ेसर्स हैं और कितने वहां पर हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि लखनऊ युनिवर्सिटी में कितने कोर्ट के मेम्बर हरिजन हैं, कितने एग्जिक्यूटिव कौंसिल में हैं या प्रोफ़ेसर हैं? नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, और होंगे भी तो नाममात्र के लिये कोई होगा। जब तक हमको ड्यू शेयर (उचित भाग) नहीं दिया जाता है, जो हमारे लिये आवश्यक है वह नहीं दिया जाता तो इसमें हमारा ही नहीं अपितु हिन्दू समाज का भी अहित होगा। मैं यह अवश्य कहूंगा कि अगर मेरी बात को किसी ने समझा है तो श्री झारखंडे राय ने समझा है। भले ही शुक्ल जी उनके लिये यह कहें कि

उन्होंने नेतृत्व की भावना से यह कहा है। तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि शुक्ल जी जो कुछ कहते हैं वह भी नेतृत्व की भावना से और वोट पाने की भावना से ऐसा कहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उन्होंने हरिजनों के लिये क्या किया है? हमें जितना संविधान ने दिया है उससे अधिक क्या कुछ दिया जा रहा है? नहीं आप ने हममें से एक को अधिष्ठाता बना दिया था वह भी आज तक अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठ सका है। यह हमारी सरकार की और सदन के सदस्यों की हरिजनों के प्रति जीता जागता प्रमाण है। इस तरह का थोथा रिप्रेजेंटेशन दे कर और लीपा-पोती कर के आप लोग समझते हैं कि हम हरिजनों का मुंह बन्द कर देंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि यह सम्भव नहीं होगा। अब भी ऐसे आदमी हैं जो जिन्दा रहेंगे, अपने अधिकारों की बात कहेंगे और उनके लिये मर मिटेंगे। अब वह जमाना नहीं रहा जो तलवार या लाठी का जमाना था, वह चला गया, अब वोट का जमाना है। अगर इस तरह से घपला चलता रहा तो हरिजनों को अधिक दिनों तक चुप नहीं किया जा सकता है। हम उठेंगे, और अपने अधिकारों को ले कर रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन चूंकि समय कम है मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं वह सच्ची भावना से कही हैं। हमारा दिल भरा हुआ है। मंत्री जी हमारी करुण पुकार को समझें। चूंकि मंत्री जी का नाम आ गया, तो मैं यह कहूंगा कि मंत्री जी हमेशा यह कहा करते हैं कि हरिजन इसी तरह की बातें कहा करते हैं, यह उनके हित में अच्छा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा क्या उनसे यह पूछ सकता हूं कि अगर यह बात अच्छी नहीं है तो कौन सी बात अच्छी है? यह कहा जायगा कि जैसे बजट बढ़ता गया, वैसे हमको अधिक रूपया दिया गया लेकिन रुपये के अलावा और हमको क्या दिया गया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस तरह से डाट-फटकार दे कर के हरिजनों को दबा देना या बोलने न देना, यह बहुत बुरी भावना का प्रदर्शन है और मुझे खेद है कि ऐसे मंत्री जी को यह विभाग दिया गया है जो हरिजनों के साथ सहानुभुति करने के बजाय हमको डाटते हैं। आप के द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हरिजनों के ही दुर्भाग्य की बात नहीं है बल्कि पूरे हिन्दू समाज के दुर्भाग्य की बात है।

उन्होंने एक बात और भी बतायी थी कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वह केवल न्याय के विषय में जानता है, और वह क्या जानता है? खैर, इतना तो निश्चित है कि वह बी० ए०, एल० एल० बी० होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर साहब हैं। तो क्या मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वह कम से कम इतनी योग्यता तो रखते हैं जितनी हमारे शिक्षा मिनिस्टर साहब की है। तो यह कहना कि चीफ जस्टिस कुलपति नहीं हो सकता है, निराधार है। इसलिये मैं कहता हूं कि गवर्नर से लाख गुना अच्छा चीफ जस्टिस कुलपति सिद्ध होगा।

इन शब्दों के साथ मैं कहुंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय। अधिक अच्छा होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह इस भवन का दुर्भाग्य है कि इसमें विवाद का स्तर इतना नीचा हो गया, जिसका कि एक उदाहरण अभी जोरावर वर्मा जी ने दिया, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इसको मैं अपनी इज्जत के नीचे समझता हूं कि उसका जवाब दूं। और द्वितीय बार मुझे खड़े होने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन नारायणदत्त जी के भाषण के बाद मैंने यह जरूरी समझा कि एक दफा फिर अपने विचार दुहरा दूं।

नारायणदत्त जी के बारे में, मैंने पहले ही कहा था कि वह सदैव इस भवन में एक वकील की तरह से बहस करते हैं। जो भी पक्ष मिल गया उसमें विश्वास की कोई बात नहीं, क्योंकि वकील का कोई विश्वास नहीं हुआ करता। वह तो जिस पक्ष से मेहनताना मिला, उसी की बहस कर दिया करता है तो इस तरीके से उन्होंने इस पर भी वैसे ही बहस की।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

उस बहस में एक बात बड़े मार्के की कह डाली। उन्होंने कहा कि मैं यह कभी नहीं मानता कि सरकार की विश्वविद्यालयों की लड़ाई है या सरकार कोई लड़ना चाहती है विश्वविद्यालयों से। मैं कहता हूं कि यदि आप इस बात को मान ही गये तो फिर गवर्नर को चांसलर न बनाया जाय इसकी दलील आपके पास क्या रह जाती है। मैंने सामान्य वादविवाद और इस संशोधन के सम्बन्ध में वाद विवाद सुना विरोधी पक्ष से उसमें मुझे यह भास हुआ कि मुलतः विरोध इस कारण है कि गवर्नर या चांसलर वह एक सरकार के हाथ में होगा, सरकार की बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और इस लिये विश्वविद्यालयों पर सरकार गवर्नर के जरिये अधिकार जमाना चाहती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—आप ने भी स्वीकार किया है।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने स्वीकार नहीं किया। आप की बुद्धि ने स्वीकार किया होगा।

मुझे यही भास हुआ। यह उसका मूल कारण है। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि सरकार से और विश्वविद्यालयों से कोई विरोध नहीं है परस्पर तो उसमें अधिकार जमाने की क्या बात हुई और एक दलील बड़ी अच्छी दी। उन्होंने कहा कि चूंकि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के जमाने में गवर्नर चांसलर होता था इसलिये अब नहीं होना चाहिये। दलील उसकी यह कि बृटिश गवर्नमेंट के जमाने में गवर्नर को चांसलर इसलिये बनाया जाता था जिसमें उसकी इम्पीरियलिस्ट मेन्टेलिटी युनिवर्सिटी पर रहे। तो मैं वही दलील अब रखता हूं और उस दलील से आप के सामने यह कहना चाहता हूं कि अब तो गवर्नर को होना चाहिये क्योंकि वह साम्राज्यवादी गवर्नर नहीं है, प्रजातन्त्रवादी गवर्नर है। दूसरी बात।

तीसरी बात यह कही गयी अवकाश की। अवकाश की जहां तक बात है वह वही व्यक्ति यह कह सकता है कि चीफ जस्टिस को अवकाश ज्यादा है, गवर्नर से, जिसको चीफ जस्टिस के काम का कोई अनुमान नहीं हो सकता है। आज हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे देश में एक बड़ी भारी समस्या यह है कि हाई कोर्ट में मुकदमे इतने दिनों से पड़े हुये हैं कि पांच-पांच, ६, ६ साल से आते नहीं इसलिये कि जजों को अवकाश नहीं मिलता। यहां आप समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस को बड़ा भारी अवकाश है। उसको कोई काम ही नहीं है। मैं समझता हूं कि जब हमारा कांस्टीट्यूशन है उसमें जहां तक सरकारी काम का सम्बन्ध है उसमें तो गवर्नर कांस्टीट्यूशनल हेड है। सरकारी शायद ही उसके पास कोई काम हो। इस सम्बन्ध में एक हंसी की बात है। मोदी साहब जब यहां गवर्नर थे तो उन्होंने एक रोज कहा कहीं अपनी स्पीच में कि जब नोटिफिकेशन निकल जाता है तो मुझे मालूम होता है कि आई ऐम प्लीज्ड टुनोटिफ़ाई। नोटिफिकेशन के पहले नहीं मालूम होता। तो एक कांस्टीट्यूशनल गवर्नर के पास बहुत ज्यादा अवकाश है जो विश्वविद्यालय के लाभ के लिये उपयोग में लाया जा सकता है। जब मैंने यह कहा कि चीफ जस्टिस चांसलर होने से मेरी आशंका यह है कि युनिवर्सिटी का स्तर थोड़ा सा गिरेगा, उसका मूल कारण यही था। यह नहीं कि मैं समझता हूं कि चीफ़ जस्टिस गवर्नर से कोई कम काबिल होता है। इसी वजह से कि चीफ जस्टिस को कोई अवकाश नहीं मिलेगा। वह डे टु डे वर्क जो युनिवर्सिटी का होता है उसमें कोई समय दे सके। तो इस कारण मैं समझता हूं कि चांसलर गवर्नर ही को होना चाहिये और चीफ जस्टिस को इसमें घसीटना बिलकुल ग़लत होगा। एक बात उन्होंने कही कि कोआर्डिनेशन की जो उनको बहुत असंगत मालूम हुई। इसलिये असंगत मालूम हुई कि अभी इलाहाबाद युनिवर्सिटी में जो एप्वाइंटमेंट्स होने वाले थे उसके लिये यह कहा गया जो गालिबन गलत बयानी थी– कि जब तक नया ऐक्ट पास न हो जाय तब तक न किया जाय– उन्होंने कहा यह था कि जो नई नियुक्तियां होंगी उसके लिये नया स्टेट्यूट बना लिया जाय, उसकी स्वीकृति

हो जाय और उसके बाद नई नियुक्तियां आप कर लें और लखनऊ में उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जैसा मैंने कहा यह एक वकील की दलील है। मूथम कमेटी ने अपनी इंक्वायरी के सिलसिले में यह कहा कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में अध्यापकों की जो नियुक्ति होती है उसके निस्बत यह नहीं कहा जा सकता कि यहां की नियुक्तियां काबिलियत के आधार पर हुई हैं। यह मूथम कमेटी ने रिकमेंड किया था और यह फ़ाइंडिंग उन्होंने उस पर दी। उन्होंने केसेज भी बतलाये शेडयूल में। खैर में उन बातों में नहीं जाना चाहता। ऐसी परिस्थिति में जब मूथम कमेटी की रिपोर्ट शाया हो गई और इलाहाबाद युनिवर्सिटी में नई नियुक्तियां होने को थीं और सिलेक्ट कमेटी वही पुरानी थी – शायद नारायण दत्त जी को यह बात बुरी मालूम हो लेकिन जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी का भला चाहता है उसे बुरा नहीं मालूम हो सकता— राज्यपाल ने यह कहा कि जब आप के ऊपर एक सन्देह हो गया है, जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसने सन्देह जाहिर किया है इस लिये आप की भलाई के लिये यह अच्छा है कि एक नया स्टेट्यूट बनायें–लेकिन याद रखिये कि स्टेट्यूट कोर्ट बनाती है और यह स्टेट्यूट वही कोर्ट बनायेगी – लिहाजा उन्होंने कहा कि आप एक नया स्टेट्यूट बना लीजिये और उसके द्वारा ये नियुक्तियां कर लीजिये ताकि किसी को इन नियुक्तियों के बारे में सन्देह न रहे कि ये काबिलियत के आधार पर नहीं हुई। लिहाजा वहां की कोर्ट ने स्टेट्यूट बना कर भेजा और वैसे ही नियुक्तियां हो गईं। लखनऊ युनिवर्सिटी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इसमें कौन सा दोष आ गया यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो समझता हूं कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के हित में ही यह किया ताकि विश्वविद्यालय की सेलेक्शन कमेटी पर किसी को अविश्वास न हो। लखनऊ के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह तो एक वकील की दलील है। तो यह कहना कि कोआर्डिनेशन नहीं करेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। एक ही व्यक्ति चाहे वह चीफ जस्टिस हो, गवर्नर हो या कोई हो जो भी युनीवर्सिटी का कुलपति होगा वह अवश्य कोआर्डिनेशन करेगा। इस बात का प्रयत्न किया गया है कि एक ही व्यक्ति हो। मैं नहीं कहता कि चीफ जस्टिस न हों वह हो सकता है लेकिन उसके टाइम में भी अगर एक ही व्यक्ति वहां इलाहाबाद और लखनऊ दोनों का चांसलर बना दिया जाय तो वह भी इन परिस्थितियों से मजबूर होगा, एक कोआर्डिनेशन दोनों में करे। यह अवश्य हुआ कि उन्होंने अपने एक यह दलील बना ली कि कोआर्डिनेशन क्या हुआ। अगर उन्होंने अपनी बुद्धि ऐसी बना ली कि कोआर्डिनेशन नहीं हो सकता और कुलपति महोदय यह बड़ा ग़लत काम कर रहे हैं और इलाहाबाद युनिवर्सिटी से कहें कि नया स्टेट्यूट बना कर आप नियुक्ति करें। इसके लिये मैं क्या कहूं। सिर्फ यह कह सकता हूं कि यह तो एक ऐसी दलील है जो हर एक चीज़ पर दी जा सकती है। एक तरफ तो यह कहा जाय कि गवर्नमेंट अपना अधिकार जमाना चाहती है। गवर्नमेंट किस बात के लिये अधिकार जमाना चाहती है यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या आप समझते हैं कि यह गवर्नमेंट यह समझती है कि वह हमेशा बनी रहेगी। मैं यह नहीं समझता हूं कि यह सरकार हमेशा यहां पर बनी रहेगी। डेमोक्रेसी के लिये यह चीज़ अच्छी नहीं होगी कि एक सरकार हमेशा बनी रहे। डेमोक्रेसी में पार्टी बदलती रहती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है। जो गवर्नमेंट आती है उसमें जनता का विश्वास होता है तभी वह जनमत के आधार पर आती है। तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई सुधार करने के लिये, इस तरह की परिस्थितियों को ठीक करने के लिये कोई कार्य करती है तो वह महज़ इस कारण करती है कि जनता का उसमें विश्वास होता है। अगर गवर्नमेंट से लोग घृणा करते हैं और उसमें विश्वास नहीं है तो वह फिर इस तरह के काम नहीं कर सकती है। अब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विधेयक की प्रत्येक धारा उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रखी गयी है। जो उसकी सिफारिश है उसके आधार पर ही यह विधेयक है। कमेटी के ऊपर तो सरकार का कोई अधिकार नहीं था उसके लिये सरकार ने लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च किया था। उसकी बात को क्यों नहीं मानती। अगर यह कहा जाय कि उसकी बात को नहीं माना गया तो यह बिलकुल गलत है। अगर सरकार उसकी बात को नहीं मानती तब भी कौन सी ऐसी बात थी लेकिन जरूरत समझ कर

[श्री हरगोविन्द सिंह]

वह कमेटी बिठाई गई थी। एक बात यह कही गयी कि सरकार युनिवर्सिटी पर क़ब्ज़ा करना चाहती है गवर्नमेंट किस बात के लिये क़ब्ज़ा करना चाहती है यह मेरी समझ में नहीं आता। यह किसी ने बताया नहीं कि क़ब्ज़ा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है और उस पर क़ब्ज़ा कर के गवर्नमेंट का क्या लाभ होगा। जो भी प्रजातंत्र गवर्नमेंट होगी उसको जनता का विश्वास प्राप्त होगा और जो भी वह काम करेगी वह जनता का विश्वास प्रकट करने के लिये करेगी और उसको सारे प्रान्त का विश्वास प्राप्त होगा। क्या वह जनता के विश्वास से संतुष्ट न हो कर युनिवर्सिटी पर क़ब्ज़ा करने पर सन्तोष करेगी? सरकार अगर कोई प्रतिबन्ध लगाती है और लोगों का विश्वास प्रकट करती है तो वह इस वजह से कि विश्वविद्यालयों की कुछ सेवा हो सके वह इसलिये कि सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त है। सरकार तो केवल विश्वविद्यालयों में अच्छा वातावरण बनाने के लिये कुछ करना चाहती है। इन विश्वविद्यालयों के विधान में बहुत से सूराख़ थे, दरार थे जिनका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज वहां पर ऐसी परिस्थिति है और वह सब के लिये चिन्ता का विषय बन गयी है चाहे वह नारायणदत्त जी हों या जोरावर जी हों। सब के लिये वह चिन्ता का विषय बन गयी है। जो दरार पड़ गया था उसको मिटाने का प्रयत्न इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। यह तो भविष्य ही बतायेगा कि इसमें सफलता मिलती है या नहीं। क्या आप यह चाहते हैं कि रुपया जितना वह चाहें उनको देते जायं और उनसे पूछा न जाय कि तुम्हारे यहां पढ़ाई भी कुछ होती है या नहीं या वहां पर किस प्रकार का प्रबन्ध है। कम से कम सरकार ऐसा नहीं कर सकती वह अपने कर्तव्य का पालन अवश्वय करना चाहती है। इस कारण जो उन्होंने यह दलील दी यह चीज़ मेरी समझ में नहीं आई और आज भी मैं समझता था कि इस बात पर कोई प्रकाश पड़ेगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ।

दूसरी बात हरिजन के बारे में कही गयी। मैं इस बात को मानता हूं कि हरिजनों की समस्या हमारे देश की एक विकट समस्या है। उसमें एक रूढ़िवाद आ गया है और वह हमारे समाज के संगठन का एक अंग बन गया है। उसको हमें जल्द से जल्द दूर करना चाहिये। लेकिन यह समझ लेना कि उस समस्या को केवल हरिजन ही हल कर लेंगे, मैं समझता हूं कि यह उनके लिये एक अहितकार बात है। अगर हरिजन इस बात को समझ लें कि वह इस समस्या का अंत केवल वे अपने प्रयास से कर लेंगे तो मैं उस चीज़ को ठीक नहीं समझता, ग़लत समझता हूं। यह जो जोरावर जी का भाग्य है या दुर्भाग्य है कि मैं हरिजन सहायक का भी मंत्री हूं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि मुझे मंत्री होने के कारण उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं इस समस्या के दो टुकड़े समझता हूं: एक तो यह कि जिनके कारण यह समस्या हुई है उनको समझा बुझा कर उनमें एक श्रद्धा की भावना पैदा कर हम इस समस्या का अन्त कर सकते हैं। अगर हरिजन यह समझ लेते हैं कि हम समाज के शेष भाग को दुश्मन बना कर इस समस्या का अंत कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि वे गलत समझते हैं क्योंकि उससे तो यह समस्या और भी बढ़ जायगी, उसका अन्त नहीं हो सकता। क्योंकि समस्या तो यही है कि दोनों का अलग-अलग विभाजन हो गया है, दोनों में सद्भावना नहीं रही, दोनों में प्रेम नहीं रहा, तो इस प्रकार से उस समस्या का अन्त कैसे हो सकता है। इस समस्या का अंत तभी होगा जब हम समाज के दोनों वर्गों को एक में ला दें, एक दूसरे में प्रेम भाव पैदा करें। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि इस समस्या के दो अंग हैं और जब तक इन दोनों अंगों को मिलाने का प्रयत्न न किया जायगा तब तक उसका अन्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरा तर्क ग़लत हो लेकिन कम से कम मैं इस तर्क को सही समझता हूं। इसलिये मैंने यह पसन्द नहीं किया कि बख्शी के तालाब में केवल हरिजन ही आयें। उसमें ब्राह्मण भी आयें ताकि हरिजन लोग समझें कि हमारे साथ ब्राह्मण भी रहते हैं और वह भी यह समझें कि हमें इन लोग के साथ मिल कर रहना है और दोनों में भ्रातृभाव पैदा हो। यही आज हम विश्वविद्यालयों में भी

चाहते हैं कि बच्चे समझें कि हम एक दूसरे के भाई हैं, एक देश के हम नागरिक हैं और आपस में कोई ऊंच नीच का भाव न हो और यह तभी संभव है जब हम शिक्षा संस्थाओं में इस चीज को रखें। आखिर विश्वविद्यालय में कोई त्रुटियां आ गयी हैं और हमको या सरकार को यह आवश्यकता हुई कि एक विधेयक आप के सम्मुख रक्खा जाय इसलिये कि हमारा भावी राष्ट्र निर्माण इन्हीं विश्वविद्यालयों में होता है। यदि इन विश्वविद्यालयों में खराबियां होंगी तो राष्ट्र खराब हो जायगा, फिर हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसी कारण से मैं संशोधन का विरोध करता हूं इस कारण से नहीं कि मैं हरिजनों को अधिकार नहीं देना चाहता.....

आप विश्वास मानिये कि अगर मेरे दिल में यह भावना होती तो मैं जरूर अपने मुख्य मंत्री जी से कह देता कि मैं इसमें विश्वास नहीं करता और मुझे हरिजन सहायक विभाग न दीजिये। तो जैसा कि मैंने कहा मैं तो इसे अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि मुझे उनकी सेवा का एक मौका मिला है तो जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता हूं। जो मैं इसका विरोध करता हूं तो वह इसलिये नहीं बल्कि इसलिये कि जहां पर भी जितने छोटे दायरे से सम्भव हो सके हमें उतने छोटे दायरे में ही इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कम से कम जितना भी हो सके इस दूषित वातावरण से वे अलग रहें और चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा हम समझते हैं कि अपनी सन्तान का निर्माण करने जा रहे हैं, उनको जीवन देने जा रहे हैं तो इसी एक भावना से प्रेरित होकर हम इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—श्रीमन्, मैं परसनल एक्सप्लेनेसन देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस सद्भावना से अपना यह भाषण दिया है, सम्भवतः उन्होंने ऐसे ही पहले दिया होता या माननीय काटजू जी को थोड़ा सा रोक ही दिया होता तो मुझे भी ये बातें कहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब चूंकि अब उन्होंने अपनी धारणा को एक्सप्लेन कर दिया है कि वे क्यों इसका विरोध करते हैं और उन्होंने यह भी बतलाया कि शायद मैं यह चाहता था कि मैं अलग से हरिजनों के लिये प्रयत्न करता तो उनका हित हो सकता है लेकिन मेरा भी यह विश्वास नहीं है मैं भी सबका सहयोग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री जोरावर वर्मा—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के स्थान पर नया खंड ७ निम्न रूप में रख दिया जाय:—

"७—मूल अधिनियम की धारा १० को निम्न रूप में रख दिया जाय :—

"10. *The Chancellor*.—(1) The Chancellor shall be elected in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, as far as may be, atleast sixty days before a vacancy is due to occur or within sixty days after the vacancy occurs in the office of Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person held in high esteem by the public and suitable to hold the office of Chancellor. If at this meeting the executive Council decides unanimously the name of any person, the person so selected shall be declared as the Chancellor of the University.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ७ के स्थान पर नया खंड ७ निम्न रूप में रख दिया जाय :—

"७—मूल अधिनियम की धारा १० को निम्न रूप में रख दिया जाय:—

"10. *The Chancellor*.—(1) The Chancellor shall be elected in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, as far as may be, atleast sixty days before a vacancy is due to occur or within sixty days after the vacancy occurs in the office of Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person held in high esteem by the public and suitable to hold the office of Chancellor. If at this meeting the executive Council decides unanimously the name of any person, the person so selected shall be declared as the Chancellor of the University."

श्री हरगोविन्द सिंह—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। इस पर मुझे आपत्ति है। यह हाउस यह एक्सेप्ट कर चुका है कि गवर्नर चांसलर होगा। तो फिर उसके बाद अब तो यह डिस्कस नहीं हो सकता कि वह चांसलर एलेक्ट होगा या नहीं होगा।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अभी यह तय नहीं हो पाया है।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, अगर संशोधन को देखा जाय तो मूल अधिनियम की धारा १० में यह है कि "Chancellor shall be Governor of Uttar Pradesh" और उस में हाउस ने अमेंडमेंट मंजूर कर दिया कि "Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor of Allahabad University."

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अभी हमने इसको स्वीकार नहीं किया है कि गवर्नर ही होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—इसके मानी यह नहीं हैं यह पास हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर धारा १० को वह पढ़ लें तो उन को मालूम हो जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मेरा ही खयाल गलत था, मैंने समझा था खंड पास हो गया है।

श्री तेजप्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं अपना संशोधन पढ़ रहा था जिसका शेष भाग इस प्रकार है:—

"(3) In case unanimity, as envisaged in sub-section (2) is not reached at, the Executive Council shall elect three persons of high reputation and eminence according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) After electing three persons under sub-section (3) the Executive Council shall call there upon all the Registered Graduates of the University of three years standing, to elect any one of the three persons as Chancellor according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The person elected under sub-section (2) or (4) shall be the Chancellor of the University. He shall hold office for a period of six years but may at any time relinquish office by submitting not less than ninty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Executive Council. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and the President of the Court and shall, when present, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University.

(6) The Chancellor shall have such other power as may be conferred on him by this Act or the Statutes.

(7) The manner and procedure of election under this section shall be prescribed by the Statutes."

उपाध्यक्ष महोदय, चांसलर की नियुक्ति के बारे में कल से इस सदन में विचार हो रहा है और मैं समझता हूं कि जिस अहमियत का और जिस महत्व का यह प्रश्न है उस में इतना समय लगना ही चाहिये। चांसलर हमारे इस उत्तर प्रदेश में गवर्नर ही हुआ करेंगे ऐसा इस विधेयक के द्वारा प्रस्ताव है और इस विधेयक पर यदि दृष्टि डाली जाय तो यह पता चलेगा कि हर जगह चांसलर नियुक्तियां करेगा और वह हर जगह हस्तक्षेप कर सकेगा। यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से स्वतंत्र न रह सकेगा और वह वातावरण न रह सकेगा, जिसमें रहकर कोई विश्वविद्यालय पनप सकेगा और ऊंचा बन सकेगा। बहुत दिन हुए इसी उत्तर प्रदेश में विद्या के पंडितों ने इस पर विचार करते हुए अपने कुछ विचार प्रकट किये थे कि आगे वह समय आ सकता है कि जब चांसलर एलेक्टेड हों। मैं आप की आज्ञा से श्री सी०वाई० चिन्तामणि ने सन् २१ में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बिल प्रस्तुत किया था तब कहा था कि उपाध्यक्ष महोदय, हमें आशा थी कि आज के समय में-

"It might be that to-day there is an *ex-officio* Chancellor, it might be that to-morrow there might be an elected Chancellor."

उपाध्यक्ष महोदय, हमें आशा थी कि आज के समय में जब हम स्वतंत्र हैं हम अपनी नयी व्यवस्था करेंगे और राधाकृष्णन कमीशन ने जब यह राय प्रकट की हमारे चांसलर की नियुक्ति के बारे में विभिन्न राज्यों को यह निश्चय करना चाहिये कि वह किसको रखेंगे। उन्होंने यह उसमें संकेत किया है कि हमारे गवर्नर्स को खुद ही यह सोचना चाहिये कि जिस प्रदेश में एक से अधिक यूनिवर्सिटियां हैं वहां वे उस भार को उठा नहीं सकते हैं और इसलिये वह इस पद को स्वीकार नहीं करेंगे। इतना संकेतमात्र काफी है और इस सदन में जो सामान्य विवाद हुआ उसमें जो विचार प्रकट किये गये उसके बाद भी हमें आशा थी कि हमारे राज्यपाल महोदय इस पर विचार करेंगे और इतने बड़े भार को उठाने के लिये सहमत नहीं होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें दुख है कि जिस बात को मानना चाहिये था, जिन परिस्थितियों को देखकर के यह मान लेना चाहिये था कि एक से अधिक विश्वविद्यालय के हम चांसलर नहीं होंगे तब ऐसा न करना मैं समझता हूं खेद की बात है। उसके बाद भी यह उन्होंने रखा है कि फिर राज्य अपने मत को प्रकट करे और निश्चय करे कि किसको वह चांसलर बनावे और आज वही समस्या हमारे सामने उपस्थित है और मैं चाहता हूं कि गम्भीरता से हमारे इस माननीय सदन के सदस्य इस पर विचार करें। यहां मैं थोड़ा यह जरूर कह देना चाहता हूं क्योंकि गलतफहमी हो जाया करती है लेकिन किसी व्यक्ति-विशेष के ऊपर आक्षेप न मेरे इस संशोधन द्वारा और न इस कथन द्वारा है। हमारे राज्यपाल महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था और भी माननीय सदस्यों ने उनके बारे में विचार प्रकट किया है, यह निर्विवाद सत्य है कि वे एक बहुत ऊंचे साहित्यिक हैं और मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी ठीक से विवेचना कर सकूं या प्रशंसा कर सकूं लेकिन मैं भी उनके जो कुलपतीज लेटर्स निकलते हैं पढ़ता हूं और पढ़ता रहता हूं, मैं उनका आदर करता हूं और इससे अधिक मैं क्या कह भी सकता हूं लेकिन यहां प्रश्न उनके व्यक्तित्व का नहीं है,उनकी विद्वत्ता का प्रश्न यहां पर उपस्थित नहीं है। आज वह हैं, कल दूसरे

[श्री तेजप्रताप सिंह]

होंगे । प्रश्न तो यह है कि यहां एक आदमी क्या इतना भार उठा सकता है या नहीं । किसी विश्वविद्यालय को बनाने के लिये किसी एक व्यक्ति को, एक महान् व्यक्ति को, अपना जीवन अर्पण करना पड़ता है । उच्च शिक्षा को संभालना उसमें प्रगति लाना सारे जीवन का प्रश्न है और एक व्यक्ति के ऊपर सारे विश्वविद्यालय का भार दे देना, मैं समझता हूं नितान्त अनुचित है । यह फिजीकली इम्पासिबिल है कि एक व्यक्ति सारे कामों को देख सके, उनकी सारी दिक्कतों को हल कर सके लेकिन उसके बावजूद आज हम जैसा इस विधेयक में पाते हैं यह व्यवस्था की गयी है कि हर विषय पर चांसलर के ऊपर ही बोझ रख दिया गया है । एक बात मैं और कहना चाहता हूं । अभी एक प्रश्न सदन के सामने उपस्थित था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इलाहाबाद युनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिये ।

हमारे माननीय सदस्यों के भिन्न मत थे और मैं समझता हूं कि चाहे लोगों की राय चीफ जज को चांसलर नियुक्त करने की हो या न हो,गवर्नर को चांसलर करने की बात हो या न हो, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता । मैं तो यह चाहता हूं कि आज के युग में, प्रजातंत्र युग में हमें वह कदम उठाना चाहिये कि जिससे कि हमारा लाभ हो । अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो यह व्यवस्था की गयी है कि उस विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट्स पर यह भार छोड़ दिया जाय कि वह अपने चांसलर को अपनी मंशा के मुताबिक चुने यह ख्याल पैदा होगा लोगों में कि ग्रेजुएट्स इतने जिम्मेदारी के पद को सम्हालने के लिये कैसे किसी एक व्यक्ति को चुन सकते हैं । मैं समझता हूं यह भी आज के युग के अनुकूल धारणा नहीं है, बहस की जा सकती है कि हमारी धारा सभाओं के लिये वह अनपढ़ किसान किस तरीके से वोट करते हैं । उन पर यह भार छोड़ा है, वह अपनी व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य चुनते हैं और सारा शासन उसी प्रकार से चल रहा है । तब जब हमने यह निश्चय किया है कि प्रजातंत्र के लिये यह आवश्यक है कि सारी जनता पर यह भार छोड़ा जाय, तब यह तर्क लागू नहीं होता कि हम ग्रेजुएट्स पर यह भार न छोड़ें कि वह अपना चांसलर चुन सकें ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं । उन्हें अपने विश्वविद्यालय से ममत्व होना चाहिये उसको ऊंचा उठाने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये और अगर वह इस काबिल नहीं है तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, कि दूसरा कोई आदमी किसी विश्वविद्यालय को तरक्की नहीं दे सकता है, वह उसे ऊंचा उठा नहीं सकता है । यह भ्रम है हमारा कि हम बाहर से किसी विश्वसिद्यालय को ऊंचा कर सकेंगे, स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे । तो मैं समझता हूं कि इस भ्रम को शीघ्र ही दूर कर देना चाहिये और हमें विश्वास करना चाहिये उन ग्रेजुएट्स पर जो उस विश्वविद्यालय से निकले हों और उसके लिये प्रयत्नशील हों और इच्छा रखते हों कि विश्वविद्यालय महान् बने ।

हायर एजूकेशन के लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राधाकृष्णन कमीशन ने जहां लिबर्टी का डिस्कस किया है वहां यह बताया है कि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वतंत्रता रहनी चाहिये, पूर्ण स्वतंत्रता रहनी चाहिये । मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

"In such States institutions of higher level controlled and managed by Governmental agencies act like merceneries, promote the political purposes of the State."

बड़ा भय है उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे अन्य सदस्यों ने व्यक्त किया है कि गवर्नर के चांसलर होने पर यह बराबर रहेगा कि पोलिटिक्स वहां घुसेगी । यहां आक्षेप को छोड़ दीजिये, आक्षेप नहीं किसी व्यक्ति विशेष पर । यह बहुत ही सम्भव है कि पोलिटिक्स आये । गवर्नर किसी पार्टी का भी हो सकता है । तब कौन सी सूरत है, कौन सा सेफ गार्ड हम रख सकेंगे कि वहां पोलिटिक्स न घुसे । इसी सिलसिले में उन्होंने आगे कहा है :

"We must resist in the interests of our own democracy the trend towards the Governemental domination of the educational process."

हमें रोकना है इस तरह का इन्टरफीयरेंस गवर्नर द्वारा न हो गवर्नर पार्ट ऐंड पार्श्यल हमारी गवर्नमेंट का है। हमारा कांस्टीट्यूशनल हेड है। हमारे मिनिस्टिर्स को कंसल्ट करता है। यह नामुमकिन हो जाता है कि वह अपनी निजी राय से कोई काम कर सके। यह ठीक है कि कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कर सके। लेकिन सम्भावनायें ज्यादातर ऐसी हैं कि वह उनकी सलाह से काम करेगा। और अगर कोई विश्वविद्यालय उठ सका है, तो वह जिस वायुमंडल में बढ़ा है, मैं आपकी आज्ञा से उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं :-"The respect in which the Universities of Great Britain are held is due to the freedom from the Governmental interference which they enjoy constitutionally and actually" लेकिन हम देखते हैं कि वह पोलिटिक्स से इस तरह रिलीज नहीं होंगी। उससे छुटकारा नहीं पायेंगी। अगर ध्यान से देखा जाय उपाध्यक्ष महोदय तो यह बिल चांसलर से भरा पड़ा है। जहां देखिये चांसलर मौजूद है। वाइसचांसलर की नियुक्ति में चांसलर का हाथ है, वाइसचांसलर को जो पावर्स हैं खास तौर से डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने वाली वहां भी अन्ततोगत्वा यह बात पहुंचती है। वहां के टीचर्स पर डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जाय और एक गवर्नर द्वारा यह बहुत ही अनुचित होगा। मैं राधाकृष्णन कमीशन के फिर दो चार शब्द पढ़कर सुना देना चाहता हूं —

"Professional integrity requires that teachers should be as free on controvertial issues as any other citizen of a free country and an atmosphere of freedom is essential for developing this morality of mind."

टीचर्स पर डिसिप्लिनरी ऐक्शन हो और गवर्नर के द्वारा हो, राज्यपाल महोदय के द्वारा हो तो क्या टीचर्स की आस्था रह जायगी ? उनकी क्या मोरेलिटी रह जायगी ? कोई अपनी राय नहीं दे सकेगा फ्रीली। उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी नामजदगी करना है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि उनके संशोधन से गवर्नर एक्सक्यूलूड नहीं होते हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह—वह मेरा संशोधन है कि चांसलर एलेक्टेड होना चाहिये, तो क्यों होना चाहिये इसके बारे में मैं कह रहा था।

दूसरे ट्रेजरर की नियुक्त भी चांसलर महोदय करेंगे। रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिये भी जो सेलेक्शन कमेटी बनेगी उसमें नामिनेशन उनके द्वारा होगा। कोर्ट के सदस्यों की नियुक्ति में भी कोई व्यक्ति नामिनेट करेंगे, एग्जीक्यूटिव कौंसिल में भी उनके द्वारा नियुक्तियां होंगी। सेलेक्शन कमेटी में एक्सपर्ट्स की नियुक्त भी वही करेंगे। इस तरह से तमाम बिल में आप देखेंगे तो चांसलर हर जगह पर है। इतनी पावर एक चांसलर को देना और इस दृष्टि से देना कि वह गवर्नर महोदय हमारे चांसलर होंगे, इससे हमारे विश्वविद्यालय कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उनका वह ऐटमास्फेयर नहीं रह सकता है जिससे कि उसमें प्रगति हो। इसी लिये मैं चाहता हूं कि आज के प्रजातंत्र के युग में हम सब इस पर विचार करें और ग्रेजुएट्स पर यह विश्वास रखें कि अपनी युनिवर्सिटी को वह ऊंचा उठायें, अच्छा बनायें। किसी भी दूसरे प्रकार से हम विश्वविद्यालय को बढ़ा नहीं सकते हैं और इसलिये मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और वह इसलिये कि अगर उनकी बात मान ली जाय तो जो हम युनिवर्सिटी के अन्दर सुधार करना चाहते हैं वे नहीं हो पावेंगे। सारा उसका उलटा हो जायगा। अगर वह बजाय एक्जीक्यूटिव काउंसिल के कोर्ट की बात भी कहते जैसा कि बनारस में होता था कि चांसलर को वही छांटते थे, तब भी बात कुछ मानी जा सकती थी। लेकिन यहां तो झगड़ा इस बात का है कि चांसलर हाई

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या प्रदेश का गवर्नर हो। अगर वह कोई को इस बात का अधिकार देते कि वह छांट लेती गवर्नर और चीफ जस्टिस में से छांट ले तो कोई चीज हो सकती थी। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा, वहां यह वातावरण पैदा कर दिया गया है कि गवर्नर हमारे चांसलर न हों, वहां के टीचर्स यह चाहते हैं। चौथे क्लाज में वह कहते हैं कि उन तीनों में से इलाहाबाद के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स चांसलर को बनावेंगे। अगर यह मान लिया गया तो क्या हालत होगी। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिये कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनानीमस न हो सकी और ३ आदमियों के नाम छांटे, मान लीजिये व्रजभूषण मिश्र, सीताराम शुक्ल और शिवनारायण जी के। अब ३ साल की स्टैन्डिंग के हमारे इलाहाबाद के ग्रेजुएट्स यहां हैं वीरेन्द्रनाथ मिश्र, चन्द्रसिंह जी रावत, रामनरेश जी शुक्ल, महावीरप्रसाद जी शुक्ल, तेजप्रताप सिंह जी, नारायणदत्त तिवारी जी, शिवनाथ जी काटजू और गंगाधरजी मैथाणी हैं। ये भी अपने को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स करा सकते हैं। तो इन सब के लिये बड़ी भारी मुश्किल हो जायगी कि इन तीनों में से वे किसे छांटें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से छांटने की बात बिलकुल गलत है। और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने तो छांट कर इलाहाबाद युनिवर्सिटी का नाशकर दिया है, अध्यक्ष महोदय, मुझे

(इस समय ४ बजकर २७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अफसोस तो इस बात का होता है। फिर मुझे यह बात कहनी पड़ती है जिसे मैं नहीं कहना चाहता था कि अगर इलाहाबाद युनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं जो आज यहां इलाहाबाद युनिवर्सिटी की तारीफ करते हैं। अगर वे लोग वहां के टीचर्स एसोसियेशन में जाकर भाषण देते और उन लोगों से कहते कि आप युनिवर्सिटी की हालत को संभालिये यह बिगड़ी जा रही है, तो मैं समझता हूं कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी की वह हालत न होती आज जो उसकी हो रही है और फिर भी इस सदन के सामने आकर एक आंसू भी इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये नहीं बहा रहे हैं, इस बात का हमें बड़ा भारी अफसोस है। मैं इलेक्शन की प्रथा को भी मानता हूं। अगर वही हो जाती तब भी अच्छा था। इससे युनिवर्सिटी की आटोनोमी भी रह जाती और अगर वह किसी बाहर वाले को छांटते तब भी अच्छा होता और अगर आप यह चाहते कि वह बाहर वाले को न छांटे तो सीमित कर देते कि चीफ जस्टिस या गवर्नर में से किसी एक को युनिवर्सिटी की कोर्ट चुनें। मैं समझता हूं कि इससे युनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बढ़ जाती। इसलिये मैं समझता हूं कि जो सुझाव माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने रखा है वह ठीक नहीं है। वैसे मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं कि इलेक्शन होना चाहिये क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही सबसे अच्छी चीज है। हम युनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दें कि वह चीफ जस्टिस या गवर्नर में से किसी को छांटे। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने इस संशोधन को पढ़ा। असल में तो प्रश्न यह था कि चांसलर चीफ जस्टिस हो या गवर्नर हो, लेकिन मेरे मित्र चाहते ह कि चांसलर का चुनाव हो मगर जो पद्धति उन्होंने रखी वह बड़ी अद्भुत है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का चुनाव होता है और वह भी इस तरह से होता है कि एक्जीक्यूटिव नाम चुनती है जो कोर्ट में जाते हैं। और कोर्ट पसन्द करके चांसलर के पास भेजती है और वह वाइस चांसलर को एप्वाइंट करता है। लेकिन यह पद्धति भी ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुयी और असंतोषजनक रही और इसमें पार्टीबाजी बढ़ी और युनिवर्सिटीज में कई दोष पैदा हुए। इसलिये हमारे शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि जहां तक हो सके एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में चुनाव जितना कम किया जा सके किया जाय तो इसी सिद्धांत को मानकर यह एमेंडमेंट बिल पेश किया गया मगर यह सिद्धांत इस संशोधन से विफल हो जाता है क्यों जहां हम वाइस चांसलर के चुनाव को भी कम करना चाहते थे वहां पर आप चांसलर के चुनाव को और बढ़ा रहे हैं। यह भी हो सकता है जैसा

कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि अगर कोर्ट को अधिकार दे दिया जाय कि वह चांसलर के लिये चीफ जस्टिस या गवर्नर में से ही एक को चुन ले। मैं नहीं जानता कि उनका वाकई मत है परन्तु यदि इसको मान भी लिया जाय तब भी इस प्रकार के चुनाव में दोनों महानुभावों में से कोई भी खड़ा नहीं होगा। क्योंकि यह उनकी शान के विरुद्ध है। संशोधन में आपने कहा है कि एक्जीक्यूटिव चांसलर को चुनेगी तो इसके माने यह है कि एक्जीक्यूटिव में पार्टीबाजी और भी अधिक पैदा होगी और हो या न हो लेकिन यह जरूर है कि जिसको एक्जीक्यूटिव कौंसिल चांसलर चुनेगी वह इस बात की कोशिश में रहेगा कि एक्जीक्यूटिव को खुश रखा जाय, आगे बिल में चांसलर को यह अधिकार दिया है कि वह वाइस चांसलर को एप्वाइंट करेगा इस एक्जीक्यूटिव कौंसिल की रिकमंडेशन पर, तो जो चांसलर इस एक्जीक्यूटिव से चुना जायगा तो क्या उसका साहस हो सकता है कि वह उस ग्रुप की जो उसमें डोमीनेट करेगा ख्वाहिश के विरुद्ध किसी को वाइस चांसलर चुन ले जिस चीज को हम हटाना चाहते हैं जिस गल्ती को हम दूर करना चाहते हैं उसको इस संशोधन से बढ़ायेंगे। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी वजह से एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक राज्य से चुनाव नहीं कर सकेगी कि कौन सा व्यक्ति इस पद के लिये हो तो वह तीन नाम चुनेगी। अब जो तीन साल की स्टैंडिंग के रजिस्टर्ड-ग्रेजुयेट्स हैं वह इकट्ठे हो कर उनमें से एक व्यक्ति का नाम चुनेंगे। युनिवर्सिटी में कोर्ट सुप्रीम बाडी है, उसकी ऐक्जीक्युटिव वहां की एक्जीक्यूटिव कौंसिल है तो यह जो ग्रेजुयेट्स की बाडी होगी तो इसका क्या लोकस्टैंडाई होगा। इसमें कांस्टीट्यूशनल आपत्ति बहुत बड़ी पैदा हो सकती है। तीसरी चीज इसमें यह है कि उन्होंने जो ७ वां क्लाज रखा है—

"The manner and procedure of election under this section shall be prescribed by the Statutes." तो मैं यह नहीं समझ पाया कि सब तो उन्होंने खुद ही तय कर दिया अब स्टेट्यूट्स के लिये कौन सी बात बाक़ी छोड़ी। जो पहले एमेंडमेंट था जिसे हाउस ने नहीं माना कि चांसलर गवर्नर हों या न हों इस प्वांइट के ऊपर तो मतभेद हो सकता है। लेकिन जितने तर्क सुनने में आये उनसे मैंने महसूस किया कि इस तरफ़ जो हमारे साथी बैठे हैं उनको भी गवर्नर के एम्प्वाइंटमेंट में कुछ बहुत आपत्ति नहीं है। चूंकि अपोजीशन पार्टीज को एक जनरल डिसट्रस्ट है इस गवर्नमेंट के अन्दर इसी कारण उनकी यह सब दलीलें हैं, आन प्रिन्सिपिल उनको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद तीन तीन किस्म के एमेंडमेंट दिये हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बनें। फिर उन्होंने समझा कि शायद यह न माना जाय इसलिये उन्होंने यह प्रतिबन्ध आगे रखा है कि गवर्नर महोदय चांसलर की हैसियत से काम करते समय अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दें और गवर्नमेंट से कन्सल्ट न करें। जहां तक राधाकृष्णन् कमीशन्स रिपोर्ट का ताल्लुक है तेजप्रताप सिंह जी ने भी उससें से कुछ कोटेशन्स दिये हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आया कि जब राधाकृष्णन् कमीशन ने चांसलर के एप्वाइंटमेंट पर अपनी निश्चित राय दी है और वह ३–४ दफा इस हाउस के सामने आ चुकी है तब इस प्रश्न पर इधर उधर भटकने से क्या लाभ? उनका स्पष्ट मत है कि जहां एक युनिवर्सिटी हो वहां गवर्नर उसके चांसलर बने और उन्होंने यह भी कहा कि यह पद्धति अभी तक बहुत सफल हुई है। हां, यह अवश्य कहा है कि यदि एक से अधिक हों तब दूसरे भी नियुक्त हो सकते हैं। मूथम साहब तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि गवर्नर को होना चाहिये। मैं श्री आचार्य नरेन्द्र देव जी की रिपोर्ट के पेज ९० से आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। वह कहते हैं:—

"The Chancellor should be a person appointed by the Governor, i. e. the Provincial Government, for a period of 5 years and should be eligible for re-appointement.

The present functions of the Chancellor, which are of two discritions should be separated. The functions which he exercises as the highest officer of the University, e. g. presiding over the Court and the Convocation,

[श्री नवलकिशोर]

sanctioning the appointment of the Vice-Chancellor, acting as umpire in disputes between the University authorities, should continue to be exercised by the Chancellor.

Functions such as that of giving assent to or withholding assent from Statutes and considering and cancelling Ordinances, in the performance of which the Chancellor is responsible for maintaining uniformity of standards among the Universities of the Province, should be transferred to the Governor, ie, the Provincial Government."

इसके माने यह हुये कि उनका व्यू स्पष्ट है कि चांसलर के फ़ंक्शन्स को दो हिस्सों में विभाजित किया जाय । एक को गवर्नर महोदय यानी प्रांविशल गवर्नमेंट ले और दूसरे को चांसलर जो गवर्नर का नामिनी हो वह ले । तो सिद्धान्ततः यहां भी यह चीज आ जाती है कि गवर्नर महोदय के ही पक्ष में वह थे । अपोजीशन पार्टीज में गवर्नमेंट के प्रति डिसट्रस्ट है इसलिये वे यह कहते हैं लेकिन किसी कमीशन का व्यू ऐसा नहीं है । मैं समझता हूं कि माननीय तेजप्रताप सिंह जी अपने इस एमेंडमेंट को वापस लें और इस समय की जो स्थिति है उसमें यह उचित है कि जो इसमें हमारा प्राविज़न है कि गवर्नर महोदय ही चांसलर हों वही ठीक है और वैसे इस प्रिंसिपिल को आगरा युनिवर्सिटी में हम मान भी चुके हैं । और उससे एक फायदा यह भी होगा कि जब गवर्नर महोदय तीनों युनिवर्सिटीज के चांसलर होंगे तो इससे एक यूनिफ़ार्मिटी आफ स्टैंडर्ड और पालिसी के अन्दर भी सामान्यता आने की सम्भावना है ।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आया हुआ है सदन के सामने इसकी बहस का ट्रेंड कुछ ग़लत सा हो रहा है । सवाल यह नहीं है संशोधन में कि गवर्नर को चांसलर होना चाहिये या नहीं । पिछले संशोधन में यह तय हो गया था कि हाई कोर्ट के जज को नहीं होना चाहिये, लेकिन यह जो संशोधन अभी सदन के सामने प्रस्तुत है, उसमें यह नहीं है गवर्नर को नहीं होना चाहिये । क्योंकि संशोधन में गवर्नर को वंचित नहीं किया गया है, माननीय सदस्य ने एलेक्शन तो खोल दिया है और यह कह दिया कि कोई शख्स भी खड़ा हो सकता है । अगर गवर्नर चाहे तो वह भी खड़ा तो सकता है । तो बहस यह नहीं होनी चाहिये कि गवर्नर को इसमें नहीं होना चाहिये यह तो एक असंगत सी बात है, जिसको मनोविज्ञान में "फ़ैंसी आफ़ प्रोजेक्शन," कहते हैं यानी जो बहस हो रही थी कि गवर्नर को नहीं होना चाहिये उसी के बारे में ध्यान ज्यादातर सब का हो गया और उन्होंने उसी पर बहस की । यहां पर बहस के दायरे को महदूद कर देना है कि यह जो दूसरी पद्धति जो माननीय सदस्य ने रखी है यह कहां तक ठीक है, एक तो ऐक्ट में दिया गया है कि गवर्नर को चांसलर होना चाहिये । अब माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा वह यह है कि वह गवर्नर के आल्टरनेटिव पर दूसरी पद्धति भी हो सकती है । अब वह पद्धति अच्छी है या नहीं, केवल हमको यही देखना है । एक पद्धति तो हाउस में वह है जो कि ऐक्ट में है और एक हमारे माननीय सदस्य ने रखी है । अब हमें इन दोनों में देखना है कि कौन सी अच्छी है और जो अच्छी है उसे स्वीकार कर लेना चाहिये और अगर खराब है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिये । यह पद्धति कैसी है ?

तो सब से पहली बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह रखना चाहता हूं कि यह जो संशोधन आया है वह इनसफ़ीसियेंट है, सेल्फ सफ़ीसियेंट नहीं है । हर संशोधन के लिये यह लाज़िमी है कि वह बजात खुद सेल्फ सफीसियेंट हो । मैं इसको इसलिये इनसफ़ीसियेंट कहता हूं कि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों का कोई प्रोसीजर नहीं है और उससे भविष्य में डिफिकल्टीज पैदा होंगी । एक फार्मल आर्गूमेंट दे रहा हूं । और वह यह कि जिस वक्त माननीय सदस्य ने इस संशोधन को रखा तो यह नहीं सोचा यदि इस एलेक्शन

की पद्धति को रखते हैं तो यह तो जरूरी नहीं है कि कोई वेतन वाला आदमी एलेक्शन में रख दिया जाय और चांसलर हो जाय। गरीब भी आ सकता है। तो उसके खाने, कपड़े का, हाउसिंग का, रेजीडेंस का क्या प्रबन्ध होगा, यह चीज इस संशोधन से प्रकट नहीं होती। वाइस चांसलर को तो हम १,५०० रुपया देंगे, दो सौ रुपये का मकान देंगे, तो चांसलर के लिये हमने क्या रखा? चांसलर गवर्नर तो होगा नहीं, हाईकोर्ट का जज भी नहीं होगा, तो अब यह सवाल पैदा होगा कि यदि यह सजेशन मान लिया जाय तो जो कोई चांसलर होगा उसकी तनख्वाह उसकी सवारी के अलावेंस इत्यादि का क्या प्रबन्ध होगा? संशोधन में इसके सबन्ध में कुछ नहीं है। इसमें यह भी नहीं है कि स्टेट्यूट्स के जरिये से, जैसा कि सदस्य ने एलेक्शन के सबन्ध में रखा है, इन बातों पर निर्णय किया जायेगा। अस्तु शुरू से आखिर तक संशोधन में कोई जिक्र नहीं है कि किस तरह से रुपये का, स्टेटस का, हाउस का प्रबन्ध होगा। इसलिये यह पहली फार्मल आब्जेक्शन है मेरा इस संशोधन पर कि यह संशोधन सेल्फ सफिशेंट नहीं है और जब सेल्फ सफिशेंट है नहीं तो वेग हो जाता है। इसलिये यह गिर जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इसमें शब्द बड़े सुपरफ्लुअस हैं जो ला में नहीं आ सकते। ला में तो शार्टेस्ट पासिबिल शब्द होने चाहिये और इर्रेलेवेन्सी न होनी चाहिये क्योंकि इर्रेलेवेन्सी का कोई अर्थ नहीं होता। यह संशोधन में रखना कि यह कौंसिल इस तरह के आदमियों को इलेक्ट करेगी जो बड़े तालीमयाफ्ता होंगे तो ये सब इर्रेवेलेंट शब्द हैं और इनका रखना बिलकुल बेकार होगा। क्योंकि कौंसिल यदि किसी एक मनुष्य को नहीं भी करेगी तो हम इन शब्दों की शक्ति से कुछ नहीं कर सकेंगे।

यदि यह फार्मल आब्जेक्शंस न भी होते तब भी हमें वास्तविकता की ओर देखना होगा। मैं यह अनुरोध करूंगा कि यदि पिछला संशोधन आसमान पर था तो यह जमीन पर आ गया। एक तरफ तो चीफ जस्टिस चांसलर होना चाहिये ताकि उसका पोलिटिक्स से कोई संबंध न हो और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह न हो तो चांसलर का चुनाव इलेक्शन से होना चाहिये अस्तु वह निष्पक्षता की भावना खत्म हो जाती है। पहला संशोधन हमारा आसमान पर जाता है तो दूसरा जमीन पर आ जाता है। दोनों संशोधन कांट्रेडिक्टरी हैं। अब इस वजह से जब पहला संशोधन गिर जाता है तो इसे भी गिर जाना चाहिये। यदि यह संशोधन मान लिया जाता है तो जो ग्रेजुएट्स होंगे वे वाइस चांसलर को चुनेंगे। मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं कि कोई भी आज कल की परिस्थिति में और यदि हमने यह इलेक्शन की पद्धति कायम कर दी तो जिसको वास्तव में एजुकेशनिस्ट कहते हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं वह इलेक्शन में खड़ा होना पसन्द नहीं करेगा। तो कौन खड़े होंगे? वही खड़े होंगे, जो वोट लेना जानते हैं। जिनको वोट कैचिंग डिवाइस मालूम है। जो आदमी सच्चा है, नेक है, जो झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, जो एजूकेशन में इंट्रेस्ट रखता है इस संशोधन के जरिये से हम उसको वाइकाट कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर वह सोचें और समझें तो उनको मालूम होगा कि यह संशोधन सही नहीं है। इलेक्शन की पद्धति क्या है वह तो वोट कैचिंग डिवाइस है, प्रोपेगैंडा है। उसी इलेक्शन की पद्धति से आप चांसलर या कुलपति का चुनाव करना चाहते हैं। यह एजूकेशन पर कुठाराघात करना है।

दूसरी बात यह है कि यदि इलेक्शन की पद्धति को मान लिया जाय और इलेक्शन की पद्धति को कायम कर भी दिया जाय जैसा कि यह अमेंडमेंट है तब दो ही तरीके हो सकते हैं चुनाव के। एक तो यह बनेगा कि सब ग्रेजुएट्स को जमा किया जाय एक जगह पर और एक दिन निश्चित किया जाय और बाई बैलेट वोट चुनाव कराया जावे और दूसरा तरीका यह है कि लिफाफे भेज दिये जायें और वहां घर पर बैठ कर वोट ले लिये जायं। तीसरा कोई तरीका नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों तरीके फेल न हो जायंगे और इस तरह से फेल हो जायेंगे क्योंकि जिस तरह का आदमी वे चाहते हैं वह कदापि नहीं मिल सकता। यदि मान लिया जाय कि इलेक्शन होगा और वह लिफाफों के जरिये होगा। अब अक्सर हमने देखा

[श्री नौरंगलाल]

कि ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएन्सी का एलेक्शन हुआ है । उसमें लोगों ने घर-घर में जा कर लोगों से वोट नहीं मांगे । उन्होंने लिफाफा मांगा । उन्होंने कहा कि हमको यह लिफाफा दे दो और हम इसको रजिस्ट्री से भेज देंगे । और उन्होंने उसको रजिस्ट्री से भेज दिया तो किसी भी ग्रेजुएट को इतना इन्टरेस्ट नहीं होता है कि वह स्वयं इस बात की कोशिश करे कि वह लोगों से वोट के लिये कहे या वहाँ पर चुनाव तक जाने की जहमत गवारा करे। कोई भी जाना नहीं चाहता है । जो लोग उसमें इन्टरेस्ट लेते हैं या चुनाव के लिये खड़े होते हैं वह लिफाफा ले कर रजिस्ट्री से भेज देते हैं । किसी ग्रेजुएट को इतनी फुरसत नहीं होती है कि वह उसमें हिस्सा ले । इसलिये इसका नतीजा यह होता है कि इस प्रकार जो इलेक्शन होते हैं उनमें अच्छे आदमी नहीं आते हैं, काबिल आदमी नहीं आ पाते हैं और नाकाबिल आदमी जीत जाते हैं । तो अगर इस पद्धति को मान लिया गया तो यह केवल एक धोखा हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया माइक्रोफोन पर बोलिये ।

श्री नौरंगलाल—दूसरी पद्धति को अब आप ले लीजिये कि सब को एक जगह पर जमा कर के चुनाव करें । इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि इससे नामुमकिन हो जाय कि सब ग्रेजुएट बड़ी-बड़ी दूर से लखनऊ या इलाहाबाद में आयें । अगर उनको कुछ खर्चा १००-५० रुपये रास्ते के लिये दे दिया जाय तब तो बात दूसरी है वरना इतना खर्च कर के कोई भी ग्रेजुयेट आने के लिये तकलीफ नहीं उठायेगा कि वह वहां आ कर वोट दे । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि युनिवर्सिटी का चांसलर ऐसा आदमी होना चाहिये जो कि एजुकेशन का विशेषज्ञ हो और वह आप को इस तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता है । अगर आप को इस तरीके से वास्तविकता को देखना है तो मैं यह कहूंगा कि देश में इस प्रकार के संशोधन से निर्वाचन के जरिये चांसलर नहीं मिल सकता है । अगर आप अपने यहां की शिक्षा को ऊंचे उठाना चाहते हैं तो उसके लिये शिक्षा के विशेषज्ञ आदमी को चाहे वह नामिनेशन के जरिये से ही हो, वहां पर लाना होगा । यदि हम चाहते हैं कि एजुकेशन बढ़े और लड़कों की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो तो वहां पर शिक्षा के विशेषज्ञ लोगों को लाना पड़ेगा और वह निर्वाचन इलेक्शन के जरिये से नहीं हो सकता है । जहां पर सिद्धांत में मतभेद होते हैं और वहां पर पालिटिक्स का प्रश्न होता है वहां पर एलेक्शन हुआ करते हैं और वहां पर एजुकेशन का सवाल होता है वहां पर तो विशेषज्ञ से ही उनकी नियुक्ति हो सकती है चाहे वह नामिनेशन के जरिये से हो या किसी और तरीके से हो ।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो मुखालफत है कि गवर्नर चांसलर न हो वह केवल गलतफहमी के कारण से ही विरोध हो रहा है । इसके सम्बन्ध में यहां पर यह कहा गया कि गवर्नर तो वही काम करेगा जो कि मिनिस्ट्री उसको कहेगी । मैं यह समझता हूं कि गवर्नर और मिनिस्ट्री के जो मामले हैं वह जो हमारे संविधान के जरिये से ही तय किये गये हैं । जो शासन के मामले हैं उसके दो हिस्से है । एक तो वह हैं जो उसकी डिस्क्रीशन से किये जाते हैं और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं तो उन पर कैबिनेट ही सलाह दे सकती है । जिस पर गवर्नर कि डिस्क्रीशन है उसको तो स्वयं करेगा ही और उसमें वह किसी की सलाह मान नहीं सकता है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उसमें तो सलाह ही ली जायगी । तो इसमें मिनिस्ट्री की बात मानने की कहां रह गयी । बहुत से ऐसे मामले आ जाते हैं कि वह मानने पड़ते हैं । तो इस तरीक़े से गवर्नर जो है वह हमारे प्रान्त का एक प्रतिनिधि है और हम सब लोगों को यहां पर चाहे वह विरोधी दल के हों और चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों वह प्रतिनिधित्व करता है । वह एकता का सिंबल है और कांस्टीट्यूशन का रक्षक है । और मैं समझता हूं इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिये । इसलिये मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि अगर गवर्नर चांसलर

होता है तो ऐसा नहीं होगा कि वह युनिवर्सिटी के हर मामले में प्रतिदिन के कामों में हस्तक्षेप करे तथा गवर्नमेंट की सलाह से काम ले। यही कारण है कि गवर्नमेंट के नामीनेशन्स अलग हैं और गवर्नर के नामीनेशन्स अलग हैं जहां तक युनिवर्सिटी का मामला है वह गवर्नमेंट से गाइड नहीं होगा। फिर भी यह शुबहा करना कि वह मिनिस्ट्री से गाइड होगा ठीक नहीं है। चांसलर होने के लिये चार गुण चाहिये। १—उसके पास समय हो, २—वह एजुकेशन का विशेषज्ञ हो, ३—निष्पक्ष हो तथा ४—विद्वान हो। लेकिन मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्शन के जरिये से ऐसा व्यक्ति कभी चुना ही नहीं जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि आज कल की स्थिति में जो पद्धति विधेयक में बतायी गयी है कि गवर्नर चांसलर होना चाहिये, वही पद्धति अच्छी है। यह मैं नहीं कहता कि यही सबसे अच्छी पद्धति हो सकती है लेकिन इस समय उसके अलावा और भी जो पद्धतियां बतायी गयी हैं उन सब में यही सबसे कम दोषपूर्ण है। इसलिये हमें इसी पद्धति को मानना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नर के पास टाइम है, वह विद्वान तो होगा ही तथा वह विशेषज्ञ और निष्पक्ष भी होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने रक्खा है वह इनसफीशियेंट है, वास्तविकता से दूर है इसलिये उसको मंजूर न कर के जो प्रोसीजर विधेयक में बताया गया है उसी को मंजूर करना चाहिये तभी ज्यादा अच्छा हो।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है इसलिये मैं ज्यादा विवाद में तो नहीं जाना चाहता केवल मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि गवर्नर का चांसलर होना उचित है या नहीं। कल मैंने सदन में निवेदन किया था आज के राज्यपाल महोदय के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जहां तक उनकी योग्यता का सवाल है उसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता, निष्पक्षता में भी संदेह नहीं हो सकता, उनकी विद्वता में भी किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता लेकिन श्रीमन्, हमें यह शिकायत है और आशंका है कि सरकार की नीति के कारण गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे कैबिनेट में आदमी काबिल न हुये तो जहां किसी को दिल्ली रवाना कर दिया जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को जिन्हें राजनीति में स्थान नहीं रहता यदि उनको राज्यपाल बना दिया गया तो वह हमारी आपत्ति का कारण बन जायगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें जो आप एक रूप में आक्षेप सा कर रहे हैं वह नियुक्ति के सम्बन्ध में थोड़ा आक्षेप हो जाता है। उसका जिक्र नहीं होना चाहिये तथा वह प्रश्न भी इस समय हमारे सामने नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं उससे सहमत हूं कि जो चांसलर हो वह एलेक्टेड होना चाहिये। मैं ही नहीं बल्कि डाक्टर अमरनाथ झा ने भी इस बात को कहा है कि और बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी तथा अलीगढ़ युनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वे भी एलेक्टेड ही हैं। ऐसी परिस्थिति में श्रीमन् मैं इतना ही कह सकता हूं कि जैसा माननीय सदस्य तेजप्रताप सिंह ने कहा कि विलायत में तो चांसलर विशेषज्ञ ही हुआ करते हैं। हो सकता है कि वे लोग हों और उसके लिये हम प्रयत्न करते जा रहे हैं। मैंने माना कि रिडंडेंट हो सकता है लेकिन सिद्धांततः उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि हो भी तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा वह अच्छी तरह दुरुस्त किया जा सकता है। जहां तक हम सदस्यों का प्रश्न है हम लोगों का पहला कर्तव्य यह है कि उसमें कुछ सुधार जो हम करना चाहते हैं उनको करें और जिस तरह से भी हो उसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश बाकी न रखें। माननीय मदनमोहन जी ने इसका विरोध उठाया, यह बात अवश्य है कि उनके बोलने के उपरान्त सदन के मूड में एक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन मैं कहां तक उनके समझने की कोशिश करूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

हमको थोड़ी सी अवश्य कठिनाई हुयी और मान्यवर उन्होंने जो तरीका बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी का बतलाया कि किस तरह से कोर्ट में एप्वाइंटमेंट होता है तो उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन सिद्धांततः यह बात मान ली गयी है कि वाइस चांसलर एक्जीक्यूटिव कमेटी में कोई मतभेद न हो, एकमत हो तो वह व्यक्ति वाइस चांसलर नियुक्त किया जा सकता है। जहां तक एक्जीक्यूटिव कमेटी का सवाल है एक माननीय सदस्य को यह आपत्ति थी कि कहीं ऐसा हो सकता है कि उससे कुछ गुटबन्दी और दलबन्दी बढ़ सकती है। तो मैं उनका ध्यान सिर्फ इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब एक्जीक्यूटिव कमेटी यूनानिमस है, एक मत है तो ऐसी परिस्थिति में बहुमत या अल्पमत का कोई प्रश्न नहीं होता है और गुटबन्दी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय के सतत् प्रयत्न के उपरान्त भी अगर यह कहा जाय कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट में कोई सुधार नहीं हो सकता तो मैं कम से कम इसको मानने के लिये तैयार न हूंगा। और सम्भवतः माननीय मंत्री महोदय भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मान्यवर जो सबसे बड़ी बात इसमें है वह सिद्धांत की है जिससे इलाहाबाद युनिवर्सिटी का जो भविष्य में चांसलर होगा वह एलेक्टेड होगा न कि जैसा कि आज मौजूदा कानून है 'बाई दि वर्च्यू आफ दि ऐक्ट' उस कानून के अनुसार गवर्नर महोदय ही युनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। श्रीमन्, एक बात इस सम्बन्ध में कही गयी है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स यदि उन चांसलर महोदय का निर्वाचन करते हैं तो हमको सही किस्म के आदमी नहीं मिलेंगे लेकिन श्रीमन्, ऐसा कहना तो एक ऐसी चीज है, यह एक ऐसा भय है जिसको आगे चल कर समय ही बतलायेगा जो तरीका आपने आज रखा है इसमें भी वे त्रुटियां हैं, इसमें भी त्रुटियों के होने की गुंजाइश है और आप जिस प्रयत्न से, जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य से, जिस रूप का वाइस चांसलर चाहते हैं वह न मिले।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ अक्तूबर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३३ पर)

सूची सं० १

श्री व्रजभूषण मिश्र जी के प्रश्न सं० २ में वर्णित सूची ।

मिर्जापुर जिले में वन विभाग की कुल सड़कों की सूची

सड़कों का नाम	लम्बाई		चौड़ाई (फीट में)	विवरण
	मील	चेन		
१—भीसूर-गोंडा रोड	३	५३	१०	
२—गोंडा-बलिया रोड	८	२०	१२	
३—गोंडा-दुवा रोड	७	—	१०	
४—गोविंदपुर इन्सपेक्शन पाथ	३	२०	५	
५—हाथीयानी-कराहिया रोड	१०	१५	१२	
६—झाली-रोटावां रोड	४	८	१०	
७—जोरखर-कराहिया रोड	११	३२	१२	
८—मुरिसेमर-हरबारिया रोड	३	५५	१२	
९—पिपरी-हाथीपानी रोड	११	४३	१०	
१०—रोटोला-मुरघोया रोड	२	७५	१०	
११—दुद्धी-भीसुर रोड	९	१४	१४	
१२—दुद्धी-मेवरपुर रोड	१७	—	१४	
१३—दुद्धी-विन्डमगंज रोड	११	—	१४	
१४—हाथीनाला-मेवरपुर रोड	१२	—	१४	
१५—विन्डमगंज-श्रमवारघाट रोड	१२	—	१४	
१६—बागनदिया-जुरा-पोखरा रोड	१५	२८	१०	
१७—बगईनार-पिपरी रोड	१२	१५	१२	
१८—बनिया-रमया-झीलोघाट रोड	२९	३२	१२	
१९—बन महरी-सीरो रोड	९	१६	१२	
२०—दुवा-गोंडा-कुडरी रोड	८	—	१०	
२१—दुवा-बन महरी रोड	८	४०	१०	
२२—फारिफ़न-बनिया रोड	११	—	१२	
२३—हरहोरी-गरिया इन्सपेक्शन पाथ	५	४०	१०	
२४—सेवरपुर-बनमहरी रोड	७	६८	१०	
२५—परनी-पिपरी पाथ	६	—	६	
२६—राम पाहारी-पिपरी पाथ	८	—	६	
२७—अनजनी-सिसटोला रोड	१४	—	—	
२८—असनहर-पोखरा रोड	८	—	१२	
२९—मेवरपुर-बिच्छी रोड	८	—	१२	
३०—मेवरपुर-हाथीनाला	७	—	१२	
३१—मेवरपुर-कनवा रोड	२०	—	१२	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३३ पर)

सूची सं० २

श्री व्रजभूषण मिश्र जी के प्रश्न सं० ३ में वर्णित सूची ।

मिर्जापुर जिले में वन विभाग के उन सड़कों की सूची, जिनकी मरम्मत की गयी है।

सड़कों का नाम	लम्बाई मील	लम्बाई चेन	चौड़ाई (फ़ीट में)	विवरण
१—जरखर-कराहिया रोड (आंशिक)	११	३२	१२	
२—दुद्धी-मेवरपुर	१७	—	१४	
३—दुद्धी-विंडमगंज रोड (आंशिक)	११	—	१४	
४—हाथीनाला-मेवरपुर रोड	१२	—	१४	लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत की गयी।
५—मेवरपुर-वनमहरी रोड	७	६८	१०	
६—पनरी-पिपरी पाथ	६	—	६	रिहन्ड डैम विभाग द्वारा मरम्मत की गयी है।
७—आसनहर-पोखरा रोड	८	—	१२	
८—मेवरपुर-बिच्छी रोड	८	—	१२	
९—मेवरपुर-कनवा रोड	२०	—	१२	

सूची सं० ३

श्री व्रजभूषण मिश्र जी के प्रश्न सं० ३ में वर्णित सूची ।

मिर्जापुर जिले में वन विभाग के उन सड़कों की सूची, जिनकी मरम्मत नहीं की गयी ।

सड़कों के नाम	लम्बाई		चौड़ाई (फीट में)	विवरण
	मील	चेन		
१—भीसुर-गोंडा रोड	३	५३	१०	
२—गोंडा-बजिया रोड	८	२०	१२	
३—गोंडा-दुबा रोड	७	—	१०	
४—गोविंदपुर इन्सपेक्शन पाथ	३	२०	५	
५—हाथीपानी-कराहिया रोड	१०	१५	१२	
६—झारो-रोटाला रोड	४	८	१०	
७—मुरिसेमर-हरवारिया रोड	३	५५	१२	
८—पिपरी-हाथीपानी रोड	११	४३	१०	
९—रोटाला-मुरधीया रोड	२	७५	१०	
१०—दुद्धी-भीसुर रोड	९	१४	१४	
११—विन्डमगंज-श्रमवारघाट रोड	१२	—	१४	
१२—बामनदिया-जुरा-पोखरा रोड	१५	२८	१०	
१३—वागाईनार-पिपरी रोड	१२	१५	१२	
१४—बनिया-रमया-झीलोघाट रोड	२९	३२	१२	
१५—बन महरी-सीरो रोड	९	१६	१२	
१६—दुबा-गोंडा-कुडरी रोड	८	—	१०	
१७—दुबा-बन महरी रोड	८	४०	१०	
१८—फ़ारिफन-बजिया रोड	११	—	१२	
१९—हरहोरी-गारिया इन्सपेक्शन पाथ	५	४०	१०	
२०—राम पाहारी-पिपरी पाथ	८	—	६	
२१—अनजानी-सिसटोला रोड	१४	—	१२	
२२—मेवरपुर-हाथीनाला	७	—	१२	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४१ पर)

क्रम-संख्या	पद का नाम	संख्या	पढ़ाने का विषय	मासिक वेतन बिना भत्ता के	गजटेड नान-गजटेड
१	शिविर संचालक	१	प्रसार एवं समाज शिक्षा	४५०	गजटेड
२	प्रसार अधिकारी शिक्षण	१	कृषि, कृषि प्रसार	२६०	नान-गजटेड
३	प्रसार अधिकारी-कृषि	१	सहकारिता व उद्यान	२००	,,
४	प्रसार अधिकारी—कृषि यंत्र कला	१	कृषि यंत्र कला	२००	,,
५	प्रसार अधिकारी—पशुपालन	१	पशुपालन	२००	,,
६	प्रसार अधिकारी—समाज शिक्षा एवं जनसम्पर्क	१	स्थान रिक्त है	२००	,,
७	सहायक प्रसार अधिकारी (शिक्षण)	१	जन-स्वास्थ्य, जनसम्पर्क एवं प्रसार शिक्षा	२००	,,
८	सहायक विकास-अधिकारी	१	जन-स्वास्थ्य	१५०	,,
९	जिला स्वास्थ्य-अधिकारी	१	को ३० रुपया माहवार आनरेरिया दिया जाता है और वह फर्स्ट एड पढ़ाते हैं और १ शिक्षार्थियों की डाक्टरी परीक्षा भी करते हैं।		

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४२ पर)

उत्तर प्रदेश वित्त निगम (U. P. Financial Corporation) पर संक्षिप्त टिप्पणी

उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना स्टेट फाइनेन्शल कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९५१ के अधीन राज्य में इसलिये की गयी है कि औसत तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जा सके। इस निगम की अधिकृत पूंजी ३ करोड़ रुपया है, जो तीन लाख हिस्सों में विभाजित की जायगी और प्रत्येक हिस्सा १०० रुपये का होगा। पहिले-पहल केवल ५० लाख रुपये तक के हिस्से जारी किये जायेंगे जिसमें से राज्य सरकार का अंशदान १८ लाख रुपया होगा। अवशेष में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ७.५ लाख रुपया, अनुसूचित (Scheduled) बैंकों, बीमा कंपनियों आदि द्वारा १९.५ लाख रुपया तथा अन्य पार्टियों द्वारा ५ लाख रुपया अंशदान दिया जायगा। अन्य पार्टियों द्वारा दिये गये अंशदान में यदि कोई भी कमी हुयी तो उसे राज्य सरकार तथा रिज़र्व बैंक आफ इंडिया पूरा करेगी।

२—इस निगम का उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक संस्थाओं को उनके कुशल तथा सुविधाजनक कार्य-संचालन के लिये वित्तीय सहायता दी जाय। जिन कार्यों के लिये वित्तीय सहायता दी जायगी उनमें स्थिरयंत्रों (plant) तथा मशीनों और अन्य स्थावर संपत्तियों (fixed asset) का क्रय, नवीकरण अथवा विस्तार सम्मिलित है। दी गयी वित्तीय सहायता का पुनर्भुगतान ऐसी अवधि में किया जायगा, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्दिष्ट की जायगी, परन्तु किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।

३—प्रस्ताव यह है कि हिस्सेदारों को ३ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लाभांश (dividend) का भुगतान किया जाय। राज्य सरकार मूलधन के पुनर्भुगतान तथा लाभांश के भुगतान की प्रत्याभूति (guarantee) देगी।

४—निगम अपनी कार्यकारी पूंजी (working capital) को बढ़ाने के प्रयोजनों के लिये अधिनियम की धारा ७ के अधीन ब्याज वाले बंधों (bonds) तथा ऋणपत्रों (debentures) को जारी कर सकता है तथा उन्हें बेंच सकता है। यह निगम निम्नप्रकार के कारोबार में कोई भी कारोबार कर सकता है, अर्थात्

(१) ऐसे ऋणों की प्रत्याभूति देना, जो औद्योगिक संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से बाजार में लिये जायं और जिनका भुगतान ऐसी अवधि के भीतर किया जाय जो बीस वर्ष से अधिक न हो।

(२) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी किये गये स्टाकों, हिस्सों, बन्धों अथवा ऋणपत्र सम्बन्धी भुगतान का दायित्व लेना।

(३) उपरोक्त खंड (१) तथा (२) में उल्लिखित सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप ऐसे कमीशन की प्राप्ति जिसके लिये अनुबन्ध हुआ हो।

(४) अपनी संपत्ति के अंश के रूप में ऐसे किन्हीं स्टाकों, हिस्सों, बन्धों अथवा ऋणपत्रों को रोक रखना जो उसे अपने दायित्वों की पूर्ति के लिये लेना पड़े।

(५) औद्योगिक संस्थाओं को ऐसे ऋण या ऐसी अग्रिम धनराशि देना अथवा औद्योगिक संस्थाओं के ऐसे ऋणपत्रों को लेना जिनका पुनर्भुगतान ऋण तथा अग्रिम धनराशि देने अथवा ऋणपत्र लेने, जैसी भी दशा हो, के दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर हो जाय, जो २० वर्ष से अधिक न हो।

(६) सामान्यतः ऐसे सभी कार्य अथवा ऐसी समस्त बातें करना जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के प्रयोग अथवा कर्त्तव्यों के पालन में आनुषंगिक (incidental) या पारिणामिक (consequential) हों ।

५--इस निगम के कार्यों तथा कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा प्रबन्धक संचालकों का एक बोर्ड करेगा जिसके दस सदस्य होंगे और उनमें से तीन को राज्य सरकार मनोनीत करेगी । बोर्ड के प्रथम निर्माण में राज्य सरकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा भारत सरकार के परामर्श से प्रबंधक संचालक (Managing Director) नियुक्त करेगी, और बोर्ड में अनुसूचित बैंकों, बीमा कंपनियों आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिये तीन व्यक्ति और निगम के अन्य हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिये भी एक व्यक्ति मनोनीत करेगी ।

६--राज्य सरकार ने निगम के संचालकों के बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को मनोनीत किया है :--

(१) श्री बी०जी० राऊ, आई०सी०एस०, वित्त सचिव,

(२) श्री के० एन० सिंह, आई० ए० एस०, उद्योग सचिव,

(३) श्री श्रीपति, आई० ए० एस०, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश ।

निम्नलिखित व्यक्ति भी उनके नाम के आगे उल्लिखित निकायों द्वारा बोर्ड में मनोनीत किये गये हैं :--

(४) श्री के०सी० मित्रा, मैनेजर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, कानपुर (शाखा रिजर्व बैंक आफ इंडिया ।)

(५) श्री ए० सी० चटर्जी, डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया (इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया)

(६) श्री रामगोपाल को निगम का प्रबन्धक संचालक (Managing Director) नियुक्त किया गया है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर)

IMPORTANT

NO. 4366/II-A—523-1954

FROM

SRI K. P. BHARGAVA, I. C. S.,

CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,

UTTAR PRDAESH,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS, COMMISSIONERS OF DIVISIONS,

DISTRICT OFFICERS AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,

UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, July 21, 1954.

Subject:—**Reorganization of the Functions of Commissioners**

SIR,

Appointment (A) Department.

I AM directed to refer to circular G. O. no. 4654/II-A—523-1951, dated September 20, 1951, which contained a detailed scheme for the reorganization of the functions of the Board of Revenue, the Commissioners of Divisions, and the Land Reforms Commissioner. The three years experience of the working of this reorientated set up, and the ever increasing needs of a democracy to which people look for providing an efficient machinery of administration responsible, regualr, punctual, working with despatch, adjusting and enlarging itself to cover the fast growing requirements of a Welfare State without itself being burdensome or unduly expensive, suggest a periodical review and readjustment of the mechanism. Planning and Development of the country is now a task of supreme importance, and needs a dynamic approach so that the attention of every public servant gets focussed on the objective of attainment of the prosperity of the common man as rapidly as feasible. The First Five-Year Plan has run almost half of its course and has awakened keen interest in the people. The future Plans of development for accelerating the pace of progress will require an efficient machinery that not only is able to handle the big task but at the same time can harmonize and co-ordinate the various activities of development. Side by side the very important consideration of runnnig without jolts and smoothly the day-to-day administration, which in a Welfare State will go on covering most of the activities of the citizens, will have to be duly borne in mind, Maintenance of law and order for instance is essential for retaining the confidence of the people in administration, and the co-ordinating machinery has to be very alive and alert in this respect as no progress or advancement is possible if people feel shaky and insecure, or have their faith in administration for securing a fair deal diminished. Similarly, if the local bodies like the Municipal and District Boards , and the numerous Panchayats that are gradually and steadily learning the difficult art of governance through decentralized democratic units, do not get right guidance and assistance in the solution of their problems they will find it difficult to function smoothly and will not be able to serve the people as efficiently as they are expected to do. Other administrative wings of Government also need proper guidance and supervision of experienced and mature administrators for securing the most efficient results.

2. For getting the maximum advantage out of the existing personnel, and for securing the desired ends, it has been decided to reorientate the func-

tions of the Commissioners, and consequently those of the district officers and the executive staff under them. While the district magistrate will continue as heretofore to be responsible for the maintenance of law and order and the efficient running of the normal administration of the district, and while his initiative and responsibility for taking effective action to keep the district administration in proper gear has to remain intact he is now being made squarely responsible also for the entire planning and development work in his district. The district magistrate will remain in overall charge of the planning and development departments in the district and will assess on the work of various officers in charge of development work in the district by sending annual reports of his appraisal of their work to Commissioner, who may, after supplementing these reports by his own impressions, forward them to Heads of Department concerned. The Sub-Divisional Officers and other executive staff will also be made responsible for the carrying out of planning work in their areas. The Commissioner will be responsible for efficient supervision of the Planning work of the district magistrates, and will in addition co-ordinate and supervise all other wings of public administration in his division, including law and order and particularly direct his attention to the securing of efficiency and dispatch in the conduct of Government work. For this purpose he may have to inspect frequently offices in his division and take effective action to correct defects. This will necessarily mean his being on tour for about 20 days a month. All the junior officers in the division, including district magistrates, will look to him for guidance, help and advice in tackling difficult problems and suituations that arise from time to time. The Commissioner will also naturally devote his attention to the removal of friction between officers and officers, and departments and departments that may be generated due to differences in outlook or approach and help in producing an atmosphere in which such differences do not tend to impair efficiency of work. He will also help in maintaining healthy contact between various sections of the public, the publicmen and the administration, so that while sense of responsibility is developed in the public in ventilating their greivances, the administration is made equaolly responisve to genuine public complaints. There is also the specific problem of the reorganization of the Officers Training School in Allahabad Complaint is often heard about the inadequacy of the training which the junior officers now get prior to their holding responsible posts. In order to pur the officers training programme on a stabler footing a senior officer's services have to be made available for working as Principal of the Training School. In short, the proper functioning of the development programme, reasonable guidance in the matter of maintenance of law and order, the supervision of Local Self-Government institutions supervision of revenue work in the districts, including the work of collection of Government dues, inspection and supervision of other governmental work harmonious co-ordination and co-operation between departments, and maintenance of contact with public will be the most important duties of the Commissioner. The Commissioner will no doubt continue to dispose of as much of the case work as he can do without prejudice to the other duties that now devl. ve on him. The Additional Commissioner will have to deal with the re maining cases. Departments concerned will be taking necessary action for he amendment of existing notifications, orders or rules in the light of these instructions.

3. It is realized that with the enlargement of Commissioner 'sfunctions and the effective and important role he will now have to play in keeping the entire administrative machinery in shape, territorial adjustments in th eper

sent charges of some Commissioners will be necessary, as otherwise these might become unmanageable or irksome. It has accordingly been decided to make the following changes and adjustments.

4. In place of the present three Commissionerships of (i) Allahabad-Jhansi-Banaras (ii) Lucknow-Faizabad-Gorakhpur and (iii) Meerut-Agra-Rohilkhand and the Deputy Commissionership in charge of the Kumaon Division, there will now be the following seven charges with headquarters as noted against each :

Charge	*Officer-in-charge*	*Headquarters*
(1) Allahabad	Commissioner	Allahabad
(2) Banaras-Gorakhpur	Commissioner	Banaras
(3) Lucknow-Faizabad	Commissioner	Lucknow
(4) Meerut-Agra	Commissioner	Meerut
(5) Rohilkhand	Collector-in-charge	Bareilly
(6) Kumaon	Deputy Commissioner-in-charge.	Naini Tal
(7) Jhansi	Collector-in-charge	Jhansi.

5. As a result of this reorganization of charges the administrative units will have to be reorganized as follows :

(*a*) There will be one Commissioner for the Allahabad Division. In addition he will be the Principal of the Officers Training School, Allahabad.

(*b*) There will be one Commissioner of the Lucknow-Faizabad Division.

(*c*) There will be one Commissioner of the Meerut-Agra Division.

(*d*) Kumaon Division will continue as heretofore under a Deputy Commissioner-in-charge.

(*e*) Rohilkhand will be one Division under a Collector -in-charge.

(*f*) Jhansi Division will also be under a Collector-in-charge.

(*g*) Gorakhpur-Banaras Division will become a separate unit under a Commissioner.

6. Orders sanctioning the requisite staff for the Commissionership of Banaras-Gorakhpur and for the offices of the Collectors-in-charge, Rohilkhand and Jhansi Division will issue separately from the Revenue Department.

7. These instructions shall have effect from August 1, 1954.

8. Government trust that all concerned will extend their fullest co-operation in putting the instructions conveyed in this letter into effect so that the expected results become perceptible as rapidly as possible.

Yours faithfully,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary.

No. 4366(i)/II-A—523-1954

Copy forwarded for information and necessary action to all Departments of the Secretariat.

By Order,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

IMPORTANT

No. 5687/II-A—523-1954.

FROM

SRI A. N. JHA, I. C. S.,

CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,

UTTAR PRADESH,

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS, ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS,
ALL DISTRICT OFFICERS AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,

UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, September 15, 1954.

Subject :—**Reorganisation of functions of Commissioners**

Appointment (A) Department.

SIR,

IN continuation of G. O. no. 4366/II-A—523-1954, dated July 21, 1954, on the above subject, I am directed to say that Government have since considered what specific functions will need to be allotted to Commissioners in regard to their supervision over various departments in order that they may be able to discharge their new responsibilities in an effective manner. I am now to convey the decisions of Government on the subject, as follows :

I—Planning and Development

2. As was stated in the Government Order referred to above, one of the chief reasons why Government have undertaken to reorganise the functions of Commissioners is to ensure that they play their full role in the successful implementation of the States Development Programme. In the course of their tours of the Divisions, Commissioners should watch the progress of various development schemes in the districts, guide Distirct Officers where necessary help solve inter-departmental problems and assess the work of officers of the various departments in charge of planning and development schemes in the district by recording their own impression upon reports forwarded by District Officers on the subject before forwarding them to Heads of Departments concerned for a record in the character rolls of the officers. They will similarly report to Heads of Departments their own impressions of the work of regional officers of various departments for being recorded in their character rolls. Besides supervising the planning work of the District Officers and securing adequate co-ordination between all departments, Commissioners may be required to attend periodical conferences which Government propose to hold of Heads of Departments so that their constructive suggestions may be available in addition to such comments as they will have to make on the progress of the schemes included in the Five-Year Plan.

II—General Administration

Co-ordinaton and general supervision.

3. As was laid down in the Government Order referred to in paragraph 1 above, while the primary responsibility of the Commissioner will be supervision over the planning and development work in the Division, he will also be responsible for co-ordinating and supervising all wings of public administration including law and order within his jurisdiction, and will particularly direct his attention to the securing of efficiency, honesty and despatch in the conduct of public work. In the course of his tours it will be his responsibility to ascertain whether all the departments of Government in the Division are functioning satisfactorily and in accordance with Government orders, and where necessary, he will guide and advise officers in charge of the the various departments in the districts and the Division in the removal of defects and bottlenecks and in the solution of difficult problems. He will also ensure that friction between officer and officer, and department and department is not allowed to interfere with efficiency of administration. Heads of Departments will secure his help in resolving similar problems and shou!d direct their district and regional officers to maintain necessary contacts with the Commissioner and seek his advice in regard to such matters.

Supervision of the conduct of officers of all departments and the transaction of public business.

4. It will be the responsibility of Commissioners to watch, in the course of their tours, whether the administration of every department of Government is abosolutely clean and whether the conduct and behaviour towards the public of all officers is satisfactory and such as is calculated to promote amity, goodwill and cordiality between the officials and various sections of the public, and evoke healthy public response towards the activities of Government departments. They will, in particular, watch whether the public are attended to courteously and promptly in every Government office. In brief, it will be one of the special responsibilities of Commissioners to see that a change of spirit in keeping with the needs and ideals of a democracy, is brought about every where in the transaction of public business and the conduct of public servants.

Calls on Commissioners by officers of all departments.

5. In this connection, I am also to invite attention to paragraph 533 of the Manual of Government Orders, Volume I, which requires Heads of Departments to impress on officers subordinate to them, the necessity of calling officially on the Commissioner of the Division in which they are serving. Government consider it essential that these orders invariably followed so that the Commissioner may get to know the officers of various departments in his division. All such officers should be asked to make it a point to call on the Commissioner when the latter visits the place of their posting for the first time or when the officer joins his new station. Apart from this obligatory call, each officer in charge of a department in the district and Division is expected to pay periodical visit to the Commissioner when the latter is on tour, or when the Commissioner may desire that an officer should meet him. The officer will naturally see the Commissioner whenever he has any special problems for which he has to seek the Commissioner's guidance. Heads of Departments will also find it useful to call on the Commissioner during their tours in accordance with instructions contained in praragraph 534 of the Manual of Government Orders, Volume I, and discuss with him problems relating to the department concerned.

Correspondence.

6. It has also been decided that in corresponding direct with Government, District Officers will endorse copies of all important references to the Commissioner concerned, and the latter may thereafter forward to Government his own comments in the matter. In order that Government may have the benefit of the Commissioner's comments in such matters, it will be nenecessary that these reach Government with the utmost possible expedition and in no case later than 30 days from receipt by them of the District Officer's letter. Copies of important Government orders will similarly be endorsed to Commissioner, where this is not being done already.

Power to shift I.A. S./P.C.S officers within the Division in an emergency.

7. In order to enable the Commissioner to divert without any loss of time, junior officers from one district to another within the division, when help is needed in emergencies like disturbances of the public peace, floods and other agricultural calamities and epidemics, etc., it has been decided to authorise Commissioners to shift I.A.S. Officers and Deputy Collectors from one district to another within the division, for a maximum period of one month provided that immediate intimation to this effect is sent by them to Government. Commissioners will similarly be authorised to sanction leave up to a period of one month to I. A. S. Officers, Deputy Collectors and Judical Officiers, under simultaneous intimation to Government.

Inspection of district offices.

8. In addition to these functions, the Commissioner will, as before, be responsible for general supervision over district Offices which he will continue to inspect periodically for ensuring that day-do-day administration in these Offices is carried on efficiently and honestly, that District Officers and their subordinate staff follow the rules of conduct and work according to the standards expected of them and that Officers exercising revenue and magisterial functions attend to their court work with punctuality and despatch. On the basis of these inspections, Commissioners will, as before, submit their reports to Government on the work of District Officers, I. A. S. and P. C. S. Officers and Judicial Officers, through the Administrative Member of the Board of Revenue.

Realisation of revenue and economy in expenditure.

9. Commissioners will also be expected to observe, in the course of their tours and inspections, whether public money is being spent in every department of Government prudently and to the maximum advantage. Similarly, it will be their important function to watch the collection of Government revenues from all sources, e. g., Land Revenue, Entertainment Tax, Sales Tax, etc., and to ensure that leakages are stopped as far as possible.

Attention towards creative and productive items.

10. They will also now be expected to devote themselves to the creative and productive aspects of administration and it is for this reason that they are not being burdened with routine functions. Government would like Commissioners to work out, for adoption by Government, schemes that would lead to increased prosperity of the people and the development of the State, such as those for the relief of unemployment, for the deveolopment of small or large industries and the development of agriculture generally. They should, similarly, take note of the state of trade and Commerce or the growth of industries in their charges, the condition of factories located therein, and any other matter of importance of a like nature.

Fortnightly Demi-Official leetters.

The traditional form in which Fortnightly Demi-Official letters have hitherto been sent to Government will accordingly need to be suitably modified and mention made in them of all such important matters. In brief, Commissoners will now be expected to concern themselves more with matters wider in import and creative in character than to merely routine ones.

III—Law and Order, Arms Act, Police Administration and Jails

11. It has now been decided that the Commissioner shall perform the following functions in relation to Police Administration in the districts of his division:

(*a*) He will exercise general supervision over District Magistrates in matters relating to Police.

(*b*) He will forward to Government cases relating to strictures passed against Police Officers by courts.

(*c*) He will examine the Annual Police Administration Report of each district submitted by the Superintendent of Police through the District Magistrate and record his own observations thereon.

(*d*) He will forward to Government, with his comments, annual reports submitted by District Magistrates on the working of the Arms Act under rules 193 and 194 of the Arms Rules.

(*e*) His concurrence will be obtained by District Magistrates in issuing licences for automatic weapons.

(*f*) He will allocate among districts within his charge grants for payment of rewards to non-officials for helping the Police in dacoity incidents.

Necessary amendments to the Arms Rules and the earlier orders on the subject are being issued by Home Department separately in this connexion and certain instructions have been issued very recently to the Inspector-General of Police.

IV—Revenue Administration

12. With a view to giving effect to the decision of Government communicated in paragraph 2 of the Government Order referred to in paragraph 1 above, that the supervision of revenue work in the districts including the work of collection of Government dues will henceforth be the responsibility of the Commissioner, it has been decided that Commissioners will with immediate effect, be associated with the following items of revenue administration in the manner indicated below:

(*i*) *Collection of Government dues.*—The Land Reforms Commissioner will continue to be the functional head responsible for collection of Government dues but the Commissioners should keep a close watch on the state of collections within their Divisions and should give all necessary guidance to the Collectors. For this purpose, a copy of the fortnightly return of collections will also be sent by the Collectors to the Commissioners who will in turn devote a paragarph in their Fortnightly Demi-Official letter to this subject.

(*ii*) *Collection staff.*—In the matter of Collection Naib-Tahsildars, the Commissoners will exercise the same powers as they exercised in respect of regular Naib-Tahsildars prior to the issue of G. O. no. 4654/II-A—523-1951, dated September 20, 1951. The rest of the powers in respect of the above staff will be exercised by the Land Reforms Commissioner. The Commissioners will be the appellate authority in disciplinary cases against Naib-Tahsildars, Aminsand other

ministerial and inferior staff recruited in connexion with collections. In respect of Collection Officers, the annual entries about their work should be submitted by the District Officers to the Land Reforms Commissioner through the Commissioners, who may also record their own remarks.

(*iii*) *Land Reforms*.—The Commissioners will be required to watch the development of the Land Management Committees. They shall supervise the work relating to the training of these Committees, their functioning and the maintenance of their property registers. They will be required to inspect on the spot the work of at least two Land Management Committees in each tahsil in their Divisions duning the year.

(*iv*) *Famine Code and Scarcity*.—At present the Land Reforms Commissioners directly controls the test works and scrutinises the District programmes and abstracts of village work. In order to give effective powers to Commissioners who should normally be able to exercise better supervision in regard to these items, it has been decided that they shall exercise in this behalf all those powers that they used to ex-ercise before the issue of Government Order of Sept ember 20, 1951.

(*v*) *Taqavi*.—The Commissioners shall perform all the functions relating to *taqavi* which they used to perform prior to the issue of the Government Order of September 20,1951. Commissioners will thus be able to reallocate available *taqavi* from one district to another, as circumstances may require.

(*vi*) *Tahsildars, Naib-Tahsildars and Kanungos*.—The Land Reforms Commissioner shall have, in respect of these services, all the powers which the Board of Revenue used to exercise before the issue of the Government Order of September 20, 1951, and the Commissioners shall exercise the powers which they used to exercise before the issue of the above Government Order.

(*vii*) *Consolidation of Holdings*.—The Commissioners should watch the progress of the consolidation of holdings, as this is an important part of the development programme. They should see that the work is done on proper lines and should ensure that the Collectors who are also *ex-officio* Assistant Directors of Consolidation, take real interest in this work. The Commissioners should devote a paragraph to this matter in their Fortnightly Demi-Official letter.

(*viii*) *Land Records*.—It is felt necessary for enabling the Commissioners properly to discharge their responsibility in regard to planning and development work, to vest in them adequate powers with respect to the land records staff, i. e.' lekhpals and kanungos in order that they may be able to ensure that land records are accurately maintained and kept up-to-date. Orders on these subjects will issue separately from the Revenue Department.

(*ix*) *Touring*.—In the Government Order, dated July 21, 1954, a minimum touring period of 20 days in a month has been prescribed for every Commissioner. Since the Commissioner of Allahabad is now also the Principal of the Officers' Training School, Allahabad, this minimum period in his case will be fifteen days.

(*x*) *Judicial Work*.—It is inevitable that with their added responsibilities, it will not be possible for Commissioners to adhere to the standards prescribed in regard to the disposal of judicial work in the Government Order, dated September 20, 1951. Government do not propose to lay down any specific revised standards in this behalf but will expect Commissioners to turn out as much of judicial work themselves as may be reasonably possible in the changed circumstances.

Revenue Department will separately issue orders sanctioning such extra staff for the offices of Commissioners as will be necessary.

V—General

13. All the functions laid down for Commissioners in these orders, will also be exercised by Collectors-in-charge and the Deputy Commissioner-in-charge, Kumaon Division. Formal amendments to rules and orders, where necessary, will issue separately from the departments concerned,.

14. It need hardly be emphasised that the discharge of routine functions must not be alloewd in any way to upset the priority which it is intended to allot to functions connected with planning and development and the other items of wider importance referred to in these orders.

Yours faithfully,
A. N. JHA,
Chief Secretary.

No. 5687 (i) II-A—523-1954

Copy forwarded for information and immediate necessary action to all Departments of the Secretariate.

2. Revenue Department should take steps to sanction such additional staff for the offices of Commissioners as was allowed to them prior to the issue of the Government Order, dated September 20, 1951.

3. A copy of the amendments to the rules, etc. issued by them in pursuance of this Government Order together with a copy of the circular with which they are issued, should be supplied to the Appointment (A) Department.

By order,
A. N. JHA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

पीं० एस० यू०पी० ए० पी० १९६ एल० ए०—१९५४—८५० ।